

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग ।।। खण्ड 4

PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 247]

नई दिल्ली, शुक्रवार, जून 23, 2017/आषाढ 2, 1939

No. 247]

NEW DELHI, FRIDAY, JUNE 23, 2017/ASHADHA 2, 1939

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग

अधिसूचना

नई दिल्ली, 23 जून, 2017

फा. सं. 2−4/2015 (डीईबी–III).—विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 (1956 का तीसरा) की धारा 26 की उप—धारा (1) के साथ पठित धारा 12 के खंड (ञ) के माध्यम से प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग करते हुए तथा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के विनियम, (कला, मानविकी, लिलत कला, संगीत, सामाजिक विज्ञान, वाणिज्य और विज्ञान संकाय में गैर—औपचारिक / दूरस्थ शिक्षा के माध्यम से प्रथम डिग्री प्रदान करने के लिए अनुदेशों के न्यूनतम मानक) विनियम, 1985 का अधिक्रमण करते हुए, तथा ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किए गए कार्य अथवा किए अथवा जिन्हें छोड़ दिया गया के अलावा, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग निम्नलिखित विनियम तैयार करता है, अर्थातः —

भाग–I

प्रारंभिक

1. लघु शीर्षक, अनुप्रयोग और प्रारंभ -

- (1) इन विनियमों को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (मुक्त और दूरस्थ माध्यमों से शिक्षा प्राप्ति) विनियम, 2017 कहा जाएगा।
- (2) इन विनियमों में मुक्त और दूरस्थ माध्यमों से शिक्षा प्राप्ति हेतु पद्धितयों के माध्यम से स्नातक और स्नातकोत्तर स्तरों पर डिग्री प्रदान करने के लिए शिक्षा प्रदान करने के न्यूनतम मानकों को निर्धारित किया गया है, और यह आयोग द्वारा समय—समय पर जारी किन्ही अन्य विनियमों, अधिसूचनाओं, दिशानिर्देशों अथवा अनुदेशों को निष्प्रभावी नहीं बनाएंगे बल्कि उनके अनुपूरक होंगे।
- (3) यह विनियम, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 की धारा 2 की खंड (च) के तहत विनिर्दिष्ट विश्वविद्यालयों, उक्त अधिनियम के धारा 3 के तहत सम विश्वविद्यालय संस्थानों पर अभियांत्रिकी, चिकित्सा, दंत चिकित्सा, भेषजी, परिचर्या, वास्तुशिल्प,

3899GI/17 (1)

भौतिक चिकित्सा विधाओं में कार्यक्रमों तथा किसी विनियामककारी निकाय द्वारा दूरस्थ पद्धति में पेशकश किए जाने हेतु वर्जित किए गए कार्यक्रमों के अलावा अन्य विधाओं में स्नातक और स्नातकोत्तर स्तर के कार्यक्रमों पर लागू होंगे।

- (4) यह विनियम शासकीय राजपत्र में उनके प्रकाशन की तिथि से प्रवृत्त होंगे।
- 2. परिभाषाएं- इन विनियमों में, जब तक संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो:-
- (क) ''शैक्षणिक सत्र'' का अभिप्राय प्रत्येक वर्ष जनवरी अथवा जुलाई के महीने में आरंभ होने वाले बारह माह के कार्यक्रम से है;
- (ख) ''अधिनियम'', का अभिप्राय विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 (1956 का तीसरा) से है;
- (ग) ''आंतरिक गुणवत्ता आश्वासन हेतु केंद्र'' (सीआईक्यूए) का अभिप्राय **अनुलग्नक I** में यथा विनिर्दिष्ट मुक्त और दूरस्थ माध्यमों से शिक्षा प्रदान करने वाले एक उच्च शिक्षा संस्थान से है तािक इसके द्वारा **अनुलग्नक II** में यथा विनिर्दिष्ट दिशािनर्देशों के अनुसार आंतरिक गुणवत्ता निगरानी तंत्र के माध्यम से पेशकश किए जा रहे कार्यक्रमों की गुणवत्ता सुनिश्चित की जा सके।
- (घ) ''आयोग'' का अभिप्राय विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 (1956 का तीसरा) के तहत स्थापित विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से है।
- (ङ) ''क्रेडिट'' का अभिप्राय न्यूनतम तीस घंटे के अध्ययन के प्रयासों द्वारा एक छात्र द्वारा प्राप्त किया गया यूनिट पुरस्कार जिससे वह उक्त यूनिट के संबंध में विहित स्तर को प्राप्त कर सके।
- (च) ''डिग्री'' का अभिप्राय अधिनियम की धारा 22 की उप–धारा (3) के तहत विनिर्दिष्ट डिग्री से है।
- (छ) ''परीक्षा केंद्र'' का अभिप्राय उस स्थान से है जहां मुक्त और दूरस्थ माध्यमों से शिक्षा प्रदान करने हेतु परीक्षाएं आयोजित की जाती हैं और जहां परीक्षाओं के सुचारु संचालन के लिए **अनुलग्नक III** में यथा विनिर्दिष्ट न्यूनतम मानकों का पालन करते हुए अपेक्षित बुनियादी ढांचे और पर्याप्त जनशक्ति हो;
- (ज) इन विनियमों के प्रयोजनार्थ ''फ्रेंचाइजिंग'' शब्द का अभिप्राय इसमें औपचारिक रूप से या अनौपचारिक रूप से, इन विनियमों के तहत मान्यता प्राप्त उच्च शिक्षा संस्थान के अलावा, किसी भी व्यक्ति अथवा संस्था अथवा संगठन को अनुमित प्रदान करने से है, जो दूरस्थ शिक्षा माध्यमों से मान्यताप्राप्त उच्च शिक्षा संस्थान के नाम से अथवा इसकी ओर से अध्ययन के ऐसे कार्यक्रमों की पेशकश कर सके और 'फ्रेंचाइज' शब्द और 'फ्रेंचाइजी' शब्दों का तदनुसार अर्थ लगाया जाएगा;
- (झ) ''उच्च शिक्षा'' का अभिप्राय बारह वर्षीय विद्यालयी शिक्षा के अलावा ऐसी शिक्षा प्रणाली से है, जिसमें नियमित कक्षाएं संचालित कर अथवा दूरस्थ शिक्षा प्रणाली के माध्यम से शिक्षा प्रदान की जाती है, जिससे एक डिग्री या प्रमाणपत्र या डिप्लोमा अथवा स्नातकोत्तर डिप्लोमा प्रदान किया जा सके:
- (ञ) ''उच्च शिक्षा संस्थान'' का अभिप्राय धारा 2 की खंड (च) के तहत कवर किए गए विश्वविद्यालयों तथा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 की धारा 3 के तहत कवर किए गए किसी सम विश्वविद्यालय संस्थान से है जो नियमित कक्षाएं संचालित कर अथवा मुक्त और दूरस्थ माध्यमों से शिक्षा प्रदान करने की प्रणालियों द्वारा, उच्च शिक्षा प्रदान कर रहा हो अथवा उसमें शोध कार्य कर रहा हो।
- (ट) ''शिक्षार्थी सहायता केन्द्र'' का अभिप्राय, मंत्रणा करने, परामर्श देने, शिक्षकों और शिक्षणार्थियों के बीच एक संपर्क का माध्यम प्रदान करने, और शिक्षणार्थियों द्वारा अपेक्षित किसी भी शैक्षणिक अथवा किसी भी अन्य संबंधित सेवा और सहायता प्रदान करने के लिए उच्च शिक्षा संस्थान द्वारा स्थापित, अनुरक्षित अथवा मान्यता प्राप्त केंद्र से है।
- (ठ) ''शिक्षार्थी सहायता सेवाओं'' का अभिप्राय तथा उसमें ऐसी सेवाएं शामिल हैं जो किसी उच्च शिक्षा संस्थान द्वारा प्रदान की जाती हैं ताकि शिक्षार्थी द्वारा शिक्षण— ज्ञान अर्जन के अनुभवों को आयोग द्वारा विहित कार्यक्रम के अध्ययन के एक स्तर तक लाया जा सके।
- (ड) ''मुक्त और दूरस्थ माध्यमों से शिक्षा प्राप्ति'' पद्धित का अभिप्राय है कि एक व्यावहारिक अथवा कार्य अनुभव सिहत एक उच्च शिक्षा संस्थान या शिक्षार्थी सहायता सेवाओं के माध्यम से प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक, ऑनलाइन और कभी—कभी सापेक्ष आमुख भेंट करने का अवसर उपलब्ध कराने के साथ अनेकानेक मीडिया का उपयोग कर शिक्षक और शिक्षार्थी के बीच की खाई को पाटकर लचीली ज्ञान अर्जन सेवाएं मुहैया करवाना है।
- (ढ) "मुक्त विश्वविद्यालय" का अभिप्राय एक ऐसे विश्वविद्यालय से है, जो मुक्त शैक्षिक संसाधन (ओईआर) या वृहद मुक्त ऑनलाइन शिक्षा पाठ्यक्रम (एमओओसी) आदि अनेकानेक सूचना और संचार प्रौद्योगिकी शैक्षणिक साधनों का उपयोग करके दूरस्थ शिक्षा अथवा मुक्त और दूरस्थ शिक्षा पद्धति यों के माध्यमों से शिक्षा प्रदान करता है।
- (ण) ''कार्यक्रम'' का अभिप्राय ऐसे पाठ्यक्रम अथवा अध्ययन के कार्यक्रम से है जिसमें उच्च शिक्षा संस्थान में प्रमाणपत्र, डिप्लोमा या स्नातकोत्तर डिप्लोमा सहित स्नातक और स्नातकोत्तर स्तर पर डिग्री प्रदान की जाती है ।

- (त) ''पेशेवर कार्यक्रम'' का अभिप्राय अभियांत्रिकी, चिकित्सा, दंत चिकित्सा, भेषजी, परिचर्या, वास्तुशिल्प, भौतिक चिकित्सा विधाओं में कार्यक्रमों के अलावा किसी अन्य कार्यक्रम से है जिसे किसी भी सांविधिक परिषद् अथवा विनियामक प्राधिकरण को दूरस्थ शिक्षा पद्धति के माध्यम से पेशकश करने की अनुमति नहीं है तथा जिन्हें इन विनियमों के प्रयोजनार्थ किसी उच्च शिक्षा संस्थान द्वारा मुक्त तथा दूरस्थ शिक्षा प्राप्ति पद्धति अथवा दूरस्थ शिक्षा पद्धति के माध्यम से चलाया जा रहा हो, यदि कोई हो तो, उन पर केवल उस स्थिति में ही विचार किया जाना चाहिए यदि इन्हें संबंधित सांविधिक परिषदों अथवा विनियामक प्राधिकरणों द्वारा अनुमोदित किया गया हो।
- (थ) ''प्रॉस्पेक्टस'' में कोई भी प्रकाशन, चाहे प्रिंट अथवा अन्यथा हो, जिसे ऐसे उच्च शिक्षा संस्थानों के प्रबंधन या उच्च शिक्षा संस्थानों द्वारा प्राधिकृत किसी ऐसे प्राधिकारी या व्यक्ति, जिसे ऐसा करने के लिए अधिकृत किया जाए द्वारा सामान्य जनता (ऐसे उच्च शिक्षा संस्थानों में प्रवेश पाने वाले लोगों सहित) को उच्च शिक्षा संस्थान और कार्यक्रमों से संबंधित उचित और पारदर्शी जानकारी प्रदान करने के लिए जारी किया गया हो, शामिल है;
- (द) ''स्वतः ज्ञान अर्जन सामग्री'' का अभिप्राय है तथा इसमें पाठ्यक्रम सामग्री, चाहे वह मुद्रित हो अथवा मुद्रित न हो, ऐसी पाठ्य विषयवस्तु शामिल है, जो अन्य बातों के साथ—साथ स्वतः स्पष्ट हो, अपने आप में सम्पूर्ण हो, शिक्षार्थी हेतु स्वतः निर्देश देने वाली तथा स्व— मूल्यांकन कराने वाली और अध्ययन के पाठ्यक्रम में शिक्षार्थी को ज्ञान अर्जन के विहित स्तर को प्राप्त करने में सक्षम बनाने वाली पाठ्य सामग्री हो, परंतु इसमें पाठ—पुस्तकें अथवा गाइड—पुस्तकें शामिल नहीं हैं;
- (ध) ''स्टैंडालोन संस्थानों'' का अभिप्राय उन संस्थानों से है जो कि अधिनियम के उपबंधों के तहत किसी भी विश्वविद्यालय से संबद्ध नहीं हैं।

भाग–II

मुक्त और दूरस्थ माध्यमों से शिक्षा प्रदान हेतु कार्यक्रमों के लिए उच्च शिक्षा संस्थान की पहचान

- 3. मुक्त और दूरस्थ माध्यमों से शिक्षा प्रदान करने की पद्धति में कार्यक्रमों की पे ाकश करने वाले उच्च शिक्षा संस्थानों को मान्यता प्रदान करना—
- (1) प्रत्येक उच्च शिक्षा संस्थान, जो तत्कालीन दूरस्थ शिक्षा परिषद् अथवा आयोग अथवा किसी अन्य विनियामककारी प्राधिकरण द्वारा प्रदान किए गए अनुमोदन के अनुपालन में, इन विनियमों की अधिसूचना के तुरंत पश्चात् आगामी शिक्षा सत्र से मुक्त और दूरस्थ माध्यमों से शिक्षा प्रदान करने का इच्छुक हो वह मान्यता प्राप्त करने हेतु आयोग को निम्नवत शर्तों पर खरा उतरने पर उप–विनियम (2) में यथा निर्धारित तरीके तथा पद्धित से आवेदन करेगा, अर्थात्–
- (i) उच्च शिक्षा संस्थान को मुक्त और दूरस्थ ज्ञान अर्जन पद्धतियों से शिक्षा प्रदान करने के लिए कार्यक्रम की पेशकश के लिए अधिनियम के तहत सांविधिक निकायों का अनुमोदन प्राप्त है;
- (ii) उच्च शिक्षा संस्थान, अनुलग्नक IV में यथा विनिर्दिष्ट क्षेत्रीय क्षेत्राधिकार की नीति का अनुपालन करेगा;
- (iii) एक मुक्त विश्वविद्यालय के अलावा उच्च शिक्षा संस्थान, कक्षा शिक्षण के पारंपरिक पद्धति के अनुरूप कार्यक्रम की पेशकश कर रहा है:
- (iv) इस तरह के आवेदन की एक प्रतिलिपि स्वयं— प्रकटीकरण के माध्यम से उच्च शिक्षा संस्थानों की वेबसाइट पर प्रदर्शित की जाती है;
- (v) यह कि आवेदन के साथ अध्ययन के कार्यक्रमों को चलाने के लिए अपेक्षित स्व- शिक्षण सामग्री के साथ संलग्न है, जिसे शैक्षणिक मामलों पर निर्णय लेने के लिए शक्ति प्राप्त उच्च शिक्षा संस्थानों की सांविधिक निकायों द्वारा विधिवतरूप से अनुमोदित किया गया हो;
- (vi) आवेदन के साथ अध्ययन के सभी प्रस्तावित कार्यक्रम(मों) को प्रभावी ढ़ंग से प्रदान करने के लिए मुक्त और दूरस्थ माध्यमों से शिक्षा प्रदान करने संबंधी संसाधनों की पर्याप्त उपलब्धता के प्रमाण के साथ शिक्षणार्थियों के अपेक्षित नामांकन का ब्यौरा संलग्न हो;
- (vii) आवेदन के साथ शिक्षार्थी सहायता केंद्र को स्थापित करने, ज्ञान अर्जन सेवाएं मुहैया कराने, आंतरिक गुणवत्ता आश्वासन के लिए केंद्र की स्थापना करने, इकाई में अकादिमक और दूसरे कर्मचारियों की उपलब्धता और उच्च शिक्षा शिक्षार्थी सहायता केंद्र की उपलब्धता, शिक्षार्थी सहायता केंद्र में योग्य परामर्शदाताओं की उपलब्धता, तथा **अनुलग्नक V** में यथा विनिर्दिष्ट सक्षमता के ऐसे मानदंडों पर खरा उतरना तथा मुक्त और दूरस्थ ज्ञान अर्जन को प्रभावी ढ़ंग से प्रदान करने के लिए सहायता सेवाओं हेतु प्रशासिनक व्यवस्थाएं करने के साक्ष्य उपलब्ध कराए जाएं;
- (viii) उच्च शिक्षा संस्थान के पास राष्ट्रीय मूल्यांकन और प्रत्यायन परिषद् (एनएएसी) से मान्य प्रत्यायन प्राप्त हो और उसने अपने अस्तित्व के पांच वर्ष पूर्ण कर लिए हों:

बशर्ते कि यह खण्ड मुक्त विश्वविद्यालयों पर तब तक लागू नहीं होगी जब तक कि वे राष्ट्रीय मूल्यांकन और प्रत्यायन परिषद से प्रत्यायन प्राप्त करने के योग्य न हो जाएं और मुक्त विश्वविद्यालयों को इसके लिए पात्र बनने के एक वर्ष के भीतर राष्ट्रीय मूल्यांकन और प्रत्यायन परिषद से प्रत्यायन प्राप्त करना अनिवार्य होगा।

बशर्ते आगे कि केन्द्र सरकार द्वारा घोषित एक सम विश्वविद्यालय संस्थान, मौजूदा सम विश्वविद्यालय विनियमों साथ ही इस मामले में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा समय— समय पर अधिसूचित विनियमों के अनुसार मुक्त और दूरस्थ माध्यमों से शिक्षा प्राप्ति के पाठ्यक्रम अथवा कार्यक्रमों की पेशकश करेगा।

- (2) इन विनियमों की अधिसूचना के तुरंत पश्चात् और तत्पश्चात् उत्तरवर्ती वर्षों के लिए अकादिमक सत्र हेतु मुक्त और दूरस्थ शिक्षा पद्धित से कार्यक्रम की पेशकश करने के इच्छुक उच्च शिक्षा संस्थान को इसके बावजूद कि उसे तत्कालीन दूरस्थ शिक्षा परिषद या आयोग से इन विनियमों की अधिसूचना के बाद तुरंत पश्चात् और तत्पश्चात् उत्तरवर्ती वर्षों के लिए अकादिमक सत्र हेतु दूरस्थ माध्यमों से शिक्षा प्रदान करने की अनुमित पहले ही प्राप्त है, उसे इन विनियमों की अधिसूचना के पश्चात् दूरस्थ शिक्षा पद्धित से कार्यक्रम की पेशकश करने के लिए, ऐसे उच्च शिक्षा संस्थान द्वारा प्रस्तावित कार्यक्रम के शैक्षणिक सत्र के शुरू होने से कम से कम छह माह पूर्व, आयोग द्वारा विनिर्दिष्ट प्रारूप में ऑनलाइन आवेदन करना होगा और साथ ही विनिर्दिष्ट पोर्टल पर विनिर्दिष्ट दस्तावेजों की स्कैन की गई प्रति सिहत अपलोड करना होगा।
- (3) आयोग निम्नलिखित विनियम 3 के उप-विनियमन (2) के तहत प्राप्त आवेदन को निम्नवत पद्धति से संसाधित करेगा, अर्थातः -
- (i) आवेदन में किसी भी कमी या त्रुटि के संबंध में आयोग द्वारा उच्च शिक्षा संस्थान को आवेदन प्राप्त होने की तिथि से एक माह के भीतर सूचित किया जाएगा और उच्च शिक्षा संस्थान को ऐसी किमयों या त्रुटियों को अपेक्षित दस्तावेजों या जानकारियों, यदि कोई हों तो, के साथ पंद्रह दिनों के भीतर दूर करना या सुधारना होगा।
- (ii) जहां उच्च शिक्षा संस्थान ने मुक्त और दूरस्थ माध्यमों से शिक्षा पद्धित में कार्यक्रम (मों) को प्रदान करने के लिए एक आवेदन किया है, इस बात के होते हुए भी कि इस प्रकार के कार्यक्रम (मों) को चलाने के लिए दूरस्थ शिक्षा परिषद् (डीईसी) या आयोग ने विगत में अथवा इन विनियमों के लागू होने से पूर्व संस्थान का निरीक्षण भी किया था, आयोग विशेषज्ञ समिति के माध्यम से अपने विवकानुसार ऐसे उच्च शिक्षा संस्थानों द्वारा चलाए जा रहे ऐसे कार्यक्रम (मों) के संबंध में एक निरीक्षण कर सकता है; और
- (iii) आयोग, अध्यक्ष द्वारा गठित एक विशेषज्ञ समिति की मदद से आवेदन की जांच करेगा और समिति की सिफारिशों पर विचार करने के लिए आयोग के समक्ष रखेगा।
- (4) विनियम 3 के उप-विनियमन (3) में यथा निर्धारित तरीके से आवेदन को संसाधित करने के पश्चात्, आयोग-
- (i) यदि आयोग संतुष्ट है कि ऐसा उच्च शिक्षा संस्थान निर्धारित शर्तों को पूरा करता है और इन नियमों के तहत विनिर्दिष्ट गुणवत्ता मानदंडों पर खरा उतरता है तो, आयोग ऐसे उच्च शिक्षा संस्थानों को ऐसे कार्यक्रमों के संबंध में पांच वर्षों की अविध के लिए को ऐसी शर्तों के अध्यधीन, जिन्हें वह विनिर्दिष्ट कर सकता है, मान्यता प्रदान करने देने का आदेश दे सकता है:

बशर्ते यह कि कोई आदेश पारित करते समय, जहां आयोग एक या अधिक कार्यक्रमों के संबंध में मान्यता प्रदान नहीं करता है, आयोग इस आदेश में इस प्रकार इंकार किए जाने के कारणों को विनिर्दिष्ट करेगाः

बशर्ते आगे कि किसी आदेश को पारित करने से पहले आयोग संबंधित उच्च शिक्षा संस्थान को सुनवाई के लिए उचित अवसर प्रदान करेगा।

- (ii) यदि आयोग की यह राय है कि ऐसा उच्च शिक्षा संस्थान, उच्च शिक्षा संस्थान द्वारा चलाए जाने वाले किसी भी कार्यक्रम के संबंध में खंड (झ) में निर्धारित अपेक्षाओं पर खरा नहीं उतरता है, तो ऐसे उच्च शिक्षा संस्थान को मान्यता प्रदान करने से इंकार करेगा तथा इसके कारणों को उच्च शिक्षा संस्थान द्वारा लिखित रूप में दर्ज किया जाएगा।
- (5) उप–विनियमन (4) के तहत मुक्त और दूरस्थ शिक्षा पद्धित से शिक्षा प्रदान करने हेतु कार्यक्रम के संबंध में उच्च शैक्षिक संस्थानों को मान्यता देने अथवा अस्वीकार करने वाले हर आदेश को ऐसे उच्च शिक्षा संस्थानों और संबंधित राज्य तथा केन्द्र सरकार द्वारा उपर्युक्त कार्रवाई के लिए लिखित रूप में सूचित किया जाएगा।
- (6) प्रत्येक उच्च शिक्षा संस्थान, जिनके संबंध में आयोग द्वारा कार्यक्रम (मों) को मान्यता प्रदान नहीं की गई है, वे तत्काल प्रभाव से मुक्त और दूरस्थ शिक्षा पद्धति से प्रदान किए जा रहे कार्यक्रम (मों) को बंद कर करेंगे।
- (7) कोई भी उच्च शिक्षा संस्थान, इन नियमों की अधिसूचना के पश्चात् और तुरंत पश्चात् के शिक्षा सत्र तथा बाद के शिक्षा सत्रों के लिए मुक्त और दूरस्थ शिक्षा पद्धित में कोई कार्यक्रम नहीं चलाएगा और न ही छात्रों को प्रवेश प्रदान करेगा, जब तक कि इसे उप–विनियमन (4) की खंड (झ) के तहत कार्यक्रम के लिए मान्यता प्रदान नहीं की गई हो।

स्पष्टीकरण— इस विनियम के प्रयोजनार्थ ''दूरस्थ शिक्षा परिषद्'' का अभिप्राय दिनांक 22.11.1991 की अधिसूचना संख्या 692 के माध्यम से इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मृक्त विश्वविद्यालय अधिनियम, 1985 के तहत परिनियम 28 के अंतर्गत गठित दूरस्थ शिक्षा परिषद से है

(जिसका तत्पश्चात् दिनांक 31.08.2013 को भारत के राजपत्र के भाग III में प्रकाशित दिनांक 14.08.2013 की अधिसूचना संख्या आईजी / एडिमन (जी) / डीईसी / 2013 / 3148 के माध्यम से निरसन कर दिया गया था)

4. मान्यता को वापस लिया जाना -

(1) जहां आयोग, स्वयं अथवा किसी भी व्यक्ति से प्राप्त किसी अभ्यावेदन अथवा किसी प्राधिकरण अथवा किसी सांविधिक निकाय से प्राप्त किसी जानकारी अथवा इसके द्वारा की गई किसी जांच अथवा निरीक्षण के आधार पर इस बात से संतुष्ट हो कि उच्च शिक्षा संस्थान ने इन विनियमों या दिशानिर्देशों के किसी भी उपबंध या इसके तहत बनाए गए या जारी किए गए आदेशों का उल्लंघन किया है, अथवा कोई भी ऐसी जानकारी अथवा दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत किए हैं जो कि किसी भी स्तर पर गलत पाए जाते हैं, जिन्हें विनियम 3 के के उप—विनियमन (4) की खंड (झ) के अध्यधीन मान्यता प्रदान की गई है, आयोग ऐसे कार्यक्रम(मों) के संबंध में ऐसे उच्च शिक्षा संस्थान की मान्यता वापस ले सकता है, जिसके कारणों को लिखित रूप में दर्ज किया जाएगा;

बशर्ते जब तक कि प्रस्तावित आदेश के विरूद्ध अपना पक्ष रखने के लिए ऐसे उच्च शिक्षा संस्थान को उचित अवसर को नहीं दिया गया हो, तब तक उच्च शिक्षा संस्थान के विरूद्ध कोई ऐसा आदेश पारित नहीं किया जाएगा;

बशर्ते आगे कि आयोग द्वारा पारित मान्यता वापस लेने या मान्यता प्रदान करने से इंकार करने वाला आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा।

- (2) यदि कोई उच्च शिक्षा संस्थान उप—विनियमन (1) के तहत मान्यता वापस लेने के आदेश के पश्चात् मुक्त तथा दूरस्थ शिक्षा पद्धित के माध्यम से किसी भी शिक्षा कार्यक्रम की पेशकश करता है अथवा जहां एक उच्च शिक्षा संस्थान इन विनियमों के लागू होने से पूर्व मुक्त तथा दूरस्थ शिक्षा पद्धित के माध्यम से एक कार्यक्रम की पेशकश कर रहा हो तथा इन विनियमों को अधिसूचित किए जाने के तुरंत पश्चात् शिक्षा सत्र हेतु मुक्त तथा दूरस्थ शिक्षा पद्धित के माध्यम शिक्षा प्रदान करने हेतु कार्यक्रमों की पेशकश करने के संबंध में मान्यता प्राप्त नहीं कर पाता है तो ऐसे उच्च शिक्षा संस्थान में मुक्त तथा दूरस्थ शिक्षा पद्धित के माध्यम से चलाए जा रहे ऐसे कार्यक्रम के फलस्वरूप प्राप्त होने वाली उपाधि को वैध योग्यता नहीं माना जाएगा।
- (3) आयोग की अनुमित के बिना अथवा इन विनियमों तथा दिशानिर्देशों अथवा उनके तहत तैयार किए गए आदेशों के किन्ही उपबंधों का उल्लंघन कर यदि कोई भी उच्च शिक्षा संस्थान मुक्त तथा दूरस्थ शिक्षा पद्धित के माध्यम से कोई कार्यक्रम अथवा पाठ्यक्रम की पेशकश करता पाया जाता है तो आयोग:-
- (i) कारण बताओं नोटिस जारी कर सकता है अथवा किसी एक शिक्षा सत्र के लिए मान्यता वापस ले सकता है अथवा अधिकतम अगले पांच शिक्षा सत्रों के लिए मान्यता वापस ले सकता है अथवा स्थायी रूप से मान्यता वापस ले सकता है;
- (ii) यदि उपर्युक्त के बावजूद, उच्च शिक्षा संस्थान उल्लंघन जारी रखता हुआ पाया जाता है तो , उल्लंघन करने वाले उच्च उच्च शिक्षा संस्थान के कर्मचारियों अथवा प्रबंधन के विरूद्ध प्राथमिकी दर्ज की जा सकती है;
- (iii) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से प्राप्त होने वाला अनुदान बंद किया जा सकता है अथवा अनुदान प्राप्त करने पर रोक लगाई जा सकती है
- (iv) मामले को संबंधित राज्य सरकार या केंद्र सरकार, जैसा भी मामला हो, को भेजा जा सकता है, और
- (v) उच्च शिक्षा संस्थान पर यथा लागू अधिनियम या नियम या विनियम के उपबंधों के अनुरूप कार्रवाई कर सकता है।

5. अपीलें -

- (1) विनियमन 3 के उप—विनियमन (4) के तहत जारी किए गए किसी आदेश अथवा उप—विनियमन (1) के तहत मान्यता को वापस लिए जाने से विक्षुब्ध कोई भी उच्च शिक्षा संस्थान तीस दिनों की अवधि के भीतर आयोग के समक्ष अपील दायर कर सकता है।
- (2) निर्धारित अवधि की समाप्ति के बाद कोई अपील स्वीकार नहीं की जाएगी।
- (3) इन विनियमों के तहत की गई प्रत्येक अपील के साथ आयोग द्वारा जारी किए गए आदेश की एक प्रति लगाई जाएगी तथा आयोग द्वारा समय–समय निर्धारित शुल्क भी जमा किया जाएगा।
- (4) अपील का निपटान करने की प्रक्रिया को आयोग द्वारा समय-समय पर निर्धारित किया जाएगा।
- (5) आयोग कि गई अपील के विरूद्ध आदेश की पुष्टि कर सकता है अथवा उसे उलट सकता है।
- (6) आयोग का निर्णय अंतिम होगा और उच्च शिक्षा संस्थानों पर बाध्यकारी होगा ।

भाग–III

उच्च शिक्षा संस्थानों द्वारा अवसंरचनात्मक, शैक्षिक तथा अन्य गुणवत्ता संबंधी मानदंडों का रखरखाव

6. प्रणाली प्रबंधनः संरचना और प्रक्रियाएं –

- (1) किसी उच्च शिक्षा संस्थान के पास मुक्त और दूरस्थ माध्यमों से शिक्षा प्रदान करने की पद्धित में कार्यक्रमों को संचालित करने के लिए एक विनिर्दिष्ट विद्यालय अथवा दूरस्थ शिक्षा केन्द्र होगा जिसकी अध्यक्षता कम से कम आचार्य अथवा उसके पद के समकक्ष नियमित आधार पर कार्यरत पदाधिकारी द्वारा की जाएगी तथा **अनुलग्नक VI** में यथा विनिर्दिष्ट उपर्युक्त तथा पर्याप्त शैक्षिक, तकनीकी, प्रशासनिक कर्मचारिवृंद तथा अवसंरचनात्मक संसाधन होंगे।
- (2) उच्च शिक्षा संस्थान, शिक्षार्थी सहायता केन्द्रों द्वारा चलाए जा रहे कार्यक्रम की निगरानी करने सहित मुक्त और दूरस्थ शिक्षा पद्धित के अंतर्गत कार्यक्रमों के प्रचालन तथा गुणवत्ता आश्वासन का आयोजन, कार्यान्वयन, समन्वय तथा निगरानी करेगा तथा यह सुनिश्चित करेगा कि आयोग तथा अन्य विनियामक प्राधिकरणों के विनियमों तथा दिशानिर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाए।

7. उद्घटन, घोषणाओं और प्रतिवेदनों के माध्यम से स्व- विनियमन -

- (1) मुक्त और दूरस्थ शिक्षा पद्धित में कार्यक्रमों की पेशकश करने वाला उच्च शिक्षा संस्थान, कम से कम कुल सचिव के पद अधिकारी द्वारा एक घोषणा पत्र को वेबसाइट पर प्रदर्शित करेगा जिसमें यह अनुप्रमाणित किया गया हो कि संस्थान की वेबसाइट पर निम्नवत दस्तावेजों को अपलोड किया गया है।
- (i) उच्च शिक्षा संस्थान के संगम ज्ञापन के तहत स्थापन संबंधी अधिनियम और परिनियमों, जैसा भी मामला हो, अथवा दोनों जिसके तहत मुक्त तथा दूरस्थ शिक्षा पद्धित से कार्यक्रमों की पेशकश करने की शक्ति प्राप्त हो;
- (ii) आयोग अथवा अन्य संगत सांविधिक अथवा विनियामक प्राधिकरणों से मान्यता प्रदान करने के संबंध में पत्रों की प्रतियां;
- (iii) कार्यक्रम के ब्यौरे में ब्रोशर अथवा प्रोग्राम गाइड के साथ साथ कार्यक्रम का नाम, कार्यक्रम की अवधि, नामांकन के लिए पात्रता, कार्यक्रम शुल्क, कार्यक्रम की संरचना आदि ब्यौरा भी शामिल होगा;
- (iv) पाठ्यक्रम के संबंध में कार्यक्रम—वार जानकारी, पठन सामग्री हेतु सुझाव, परामर्श के लिए संपर्क बिंदु, क्रेडिट बिंदुओं के साथ कार्यक्रम की संरचना, कार्यक्रम—वार संकाय विवरण, सहायक कर्मचारिवंदों की सूची, शिक्षार्थी सहायता केन्द्रों की सूची और पते तथा संपर्क ब्यौरे, उनके कार्य करने के घंटे तथा परामर्श अनुसूची आदि ब्यौरे शामिल होंगे;
- (v) प्रवेश, पंजीकरण, पुनः पंजीकरण, परामर्श, दिए गए कार्य और उस पर प्रतिप्राप्ति, परीक्षाएं, परिणाम घोषणाएं आदि के संबंध में महत्वपूर्ण अनुसूचियां अथवा तिथियां
- (vi) ऑन-लाइन पाठ्यक्रम संचालन करने से संबंधित व्यापक कार्यनीति, यदि कोई हो तो, जिसमें ऑन लाइन पद्धित से प्रदान की जाने वाली शिक्षण सामग्री तथा ई- लर्निंग कार्यक्रमों की शिक्षार्थी मूल्यांकन प्रणाली तथा गुणवत्ता आश्वासन पद्धितयां शामिल हैं;
- (vii) शिक्षार्थी के निष्पादन के सतत् मूल्यांकन को तैयार करने, उसका विकास करने, उसे प्रदान करने के संबंध में एक व्यापक प्रतिप्राप्ति प्रणाली तैयार करना जो मुक्त और दूरस्थ शिक्षा पद्धित के कार्यक्रमों के संचालन संबंधी योजना का एक अभिन्न अंग बनेगी तथा यह कार्यक्रमों की गुणवत्ता को बनाए रखने तथा उसमें किसी भी प्रकार की किमयों, यदि कोई हो तो, को दूर करने के लिए एक महत्वपूर्ण जानकारी होगी;
- (viii) आरंभ किए गए किसी नए कार्यक्रमों तथा आगामी वर्षों के दौरान प्रस्तावित नए कार्यक्रमों के संबंध में जानकारी;
- (ix) वर्ष— वार अथवा कार्यक्रम —वार छात्र नामांकन और उपाधि या प्रमाण पत्र या डिप्लोमा या स्नातकोत्तर डिप्लोमा प्रदान किए जाने संबंधी आंकडों का ब्यौरा;
- (x) 'स्व— ज्ञान अर्जन संबंधी सामग्री' के बारे में पूरी जानकारी तथा संकाय सदस्य जिसने उसे तैयार किया, इसे कब तैयार किया गया, तथा अंतिम बार इसे कब अद्यतन किया गया, स्व— ज्ञान अर्जन संबंधी सामग्री का स्रोत, स्व— ज्ञान अर्जन संबंधी सामग्री के संदर्भ ग्रंथ के बारे में संपूर्ण जानकारी;
- (xi) ''बार—बार पूछे जाने वाले प्रश्नों'' के शीर्ष के तहत प्रश्नों तथा उत्तर का एक संकलन जिसमें एक 'हायपरलिंक' सहायता से शिक्षणार्थियों से 'ऑन लाइन' बातचीत की स्विधा भी हो;
- (xii) 'शिक्षार्थी सहायता केन्द्रों' की सूची के साथ साथ छात्रों की संख्या जो किसी परीक्षा केंद्र में उपस्थित रहेंगे तथा परीक्षा को एक निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से संचालित करने के लिए उपलब्ध सूचना और संचार प्रौद्योगिकी संबंधी सुविधाओं का विवरण;
- (xiii) 'परीक्षा केंद्रों' की सूची सहित प्रत्येक केंद्र में छात्रों की संख्या का ब्यौरा;

(xiv) शिक्षा सत्र के साथ— साथ प्रवेश प्रक्रियाओं की अवधि तथा सत्रांत पर आयोजित की जाने वाली परीक्षाओं की तिथि संबंधी ब्यौरा।

8. गुणवत्ता आश्वासन –

- (1) मुक्त और दूरस्थ माध्यमों से शिक्षा प्रदान करने की पद्धति में कार्यक्रम(मों) की पेशकश करने वाले उच्च शिक्षा संस्थान निम्नवत कदम उठाएंगे, नामत:—
- (i) इन नियमों के लागू होने के एक वर्ष के भीतर, मुक्त और दूरस्थ शिक्षा पद्धतियों के अंतर्गत चलाए जा रहे कार्यक्रमों के लिए विशेष रूप से एक आंतरिक गुणवत्ता आश्वासन केन्द्र की स्थापना की जाएगी;
- (ii) **अनुलग्नक VII** में यथा विनिर्दिष्ट, ऐसे दिशानिर्देशों को विहित करने के लिए आयोग अथवा इसके द्वारा प्राधिकृत कोई भी अन्य एजेंसी बहु— मीडिया, मानव संसाधन, पाठ्यचर्या और अध्यापन में ज्ञान अर्जन सामग्रियों पर गुणवत्ता आश्वासन दिशानिर्देशों का पालन करेंगे तथा अपने गुणवत्ता आश्वासन तंत्र को वेबसाइट पर डालेंगे।
- (iii) नियमित अंतरालों पर अपने शिक्षण और प्रशासनिक कर्मचारियों और परामर्शदाताओं के प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण के लिए पर्याप्त उपाय करेंगे;
- (iv) यह सुनिश्चित करेंगे कि मुक्त और दूरस्थ शिक्षा पद्धित यों के माध्यम से चलाए जा रहे अध्ययन के कार्यक्रमों की गुणवत्ता, आयोग अथवा उपर्युक्त सांविधिक प्राधिकरणों द्वारा यथा उपबंधित कक्षा अध्यापन के परंपरागत तरीकों के मानकों के अनुरूप ही होनी चाहिए;
- (v) उच्च शिक्षा संस्थान, अधिनियम की धारा 22 और विनियमन 3 के उप—विनियमन (4) के खंड (झ) के तहत मान्यता के आदेश में अनुमेय केवल यथा विनिर्दिष्ट उपाधियां ही प्रदान करेगा। तथापि, उच्च शिक्षा संस्थान इस शर्त के अध्यधीन कि सभी प्रमाणपत्र अथवा डिप्लोमा अथवा स्नातकोत्तर डिप्लोमा कार्यक्रम सांविधिक प्राधिकरणों अथवा संबंधित उच्च शिक्षा संस्थानों के निकायों द्वारा विधिवत्रूप से अनुमोदित किए गए हों तथा पढ़ाने की प्रणाली उच्च शिक्षा संस्थानों द्वारा यथा विनिर्दिष्ट, मुक्त और दूरस्थ शिक्षा पद्धित यों के गुणवत्ता मानकों के अनुरूप हों, केवल उस स्थित में ही उच्च शिक्षा संस्थान प्रमाणपत्र अथवा डिप्लोमा अथवा स्नातकोत्तर डिप्लोमा कार्यक्रम संचालित करना जारी रख सकता है, इसके अलावा, उच्च शिक्षा संस्थान (अभियांत्रिकी, चिकित्सा, दंत चिकित्सा, भेषजी, वास्तुशिल्प, भौतिक चिकित्सा विधाओं में कार्यक्रमों तथा किसी अन्य विनियमककारी प्राधिकरण द्वारा दूरस्थ पद्धित से चलाने हेतु वर्जित पाठ्यक्रमों के अलावा) पेशेवर कार्यक्रमों में प्रमाणपत्र अथवा डिप्लोमा अथवा स्नातकोत्तर डिप्लोमा की पेशकश कर सकता है, बशर्ते कि संबंधित उच्च शिक्षा संस्थान ने पहले ही संबंधित सांविधिक विनियामककारी प्राधिकरणों अथवा परिषदों से ऐसे पाठ्यक्रमों को मुक्त तथा दूरस्थ शिक्षा पद्धित के माघ्यम से संचालित करने के लिए उन्हें वास्तविक रूप में आरंभ करने से पूर्व अपेक्षित अनुमोदन प्राप्त कर लिए हों।
- (vi) उच्च शिक्षा संस्थानों को संस्थान की वेबसाइट पर पेशेवर पाठयक्रम अथवा कार्यक्रम को संचालित करने के लिए संबंधित सांविधिक विनियामककारी प्राधिकरणों अथवा परिषदों से विधिवत्रूप से प्राप्त किए गए अनुमोदन पत्र की प्रति को प्रदर्शित करना होगा साथ ही संबंधित उच्च शिक्षा संस्थान के ब्रोशर अथवा बुलेटिन में प्रत्येक पेशेवर प्रमाणपत्र अथवा डिप्लोमा अथवा स्नातकोत्तर डिप्लोमा कार्यक्रमों के सम्मुख भी प्रदर्शित की जानी चाहिए तथा इस मामले में समय—समय पर विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को इसकी जानकारी देनी चाहिए:

बशर्ते कि इन विनियमों के उल्लंघन के मामले में, विनियमन 4 के उप–विनियमन (3) के तहत विनिर्दिष्ट उपबंध लागू होंगे; और

- (vii) यह सुनिश्चित करेगा कि उसके शिक्षार्थी सहायता केन्द्रों में शिक्षा तथा पढ़ाने से जुड़ी सुविधाएं तथा कार्यक्रम के ऑन—लाइन पद्धित से चलाए जाने की स्थिति में ज्ञान अर्जन संसाधन आयोग द्वारा समय समय पर निर्धारित दिशानिर्देशों पर खरे उतरते हों तथा वे कार्यक्रमों की संख्या तथा उनमें नामांकन के अनुरूप हो।
- (2) मुक्त और दूरस्थ पद्धतियों में कार्यक्रमों की पेशकश करने वाला एक उच्च शिक्षा संस्थान, ज्ञान अर्जन को गति देने तथा शिक्षणार्थियों के लिए बहु विकल्प मुहैया करवाने के लिए निम्नवत को ध्यान में रखते हुए स्व— अध्ययन सामग्री तैयार करेगा:—
- (i) स्व— अध्ययन सामग्री में स्पष्ट रूप से उद्देश्यों, वांछित परिणामों, अध्ययन मार्गदर्शन तथा शिक्षणार्थियों के लिए यह परामर्श कि सामग्री का किस प्रकार इष्टतम उपयोग किया जाए इसका स्पष्ट उल्लेख होना चाहिए ताकि ज्ञान अर्जन के अनुभव को और बेहतर बनाया जा सके तथा अन्य मीडिया (डिजीटल एसएलएम के लिए) के पाठ्य सामग्री के साथ इसके संबंध को बनाए रखा जाना चाहिए ताकि सुलभता से संदर्भ ग्रहण किया जा सके तथा उन्नित की जा सके;
- (ii) इसके द्वारा विकसित और पेशकश की गई स्व— अध्ययन सामग्री स्वत:— स्पष्ट, अपने आप में परिपूर्ण, उदाहरणों से परिपूर्ण, बोधगम्य, तथा इकाई तथा ब्लॉक आदि कम से कम मॉडयूलों में संकलित हो;
- (iii) स्व– अध्ययन सामग्री, शिक्षणार्थियों को विषय के संबंध में उनके बोध पर प्रतिप्राप्ति देने के लिए पर्याप्त तंत्र मुहैया करवाती है;

- (iv) स्व— अध्ययन सामग्री को गुणवत्ता और शिक्षार्थियों की सहायता में सुधार करने के परिप्रेक्ष्य से आवधिक रूप से संशोधित किया जाता है; और
- (v) स्व- अध्ययन सामग्री को तैयार करने संबंधी दिशानिर्देशों को अनुलग्नक VIII में दर्शाया गया है:

बशर्ते कि एक उच्च शिक्षा संस्थान कार्यक्रम परियोजना रिपोर्ट के अनुमोदन के बाद ही स्व– अध्ययन सामग्री तैयार करेगाः

बशर्ते आगे कि जब तक की संस्थान ने उपर्युक्त कारकों को ध्यान में रखते हुए एक स्व– अध्ययन सामग्री तैयार न कर ली हो तब तक किसी भी उच्च शिक्षा संस्थान द्वारा मुक्त और दूरस्थ शिक्षा पद्धति यों में कोई कार्यक्रम आयोजित नहीं किया जाएगा।

9. उच्च शिक्षा संस्थानों में कार्य करने वाले शिक्षक और शैक्षणिक कर्मचारिवृंद -

- (1) दूरस्थ शिक्षा केंद्रों अथवा विद्यालय के शिक्षार्थी सहायता केन्द्रों में शिक्षक और समकक्ष शैक्षणिक कर्मचारिवृंदों को यथा संशोधित विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में अध्यापकों और अन्य शैक्षिक कर्मचारिवृंदों की नियुक्ति के लिए न्यूनतम योग्यता और उच्च शिक्षा में मानकों के रखरखाव के लिए उपाय) विनियम, 2010 में यथा निर्धारित न्यूनतम योग्यता के अनुसार नियुक्त किया जाएगा; और शिक्षा संबंधी क्रियाकलापों के निष्पादन के लिए दूरस्थ शिक्षा केंद्रों अथवा विद्यालयों में सहायक आचार्य, सह— आचार्य तथा आचार्य के पद होंगे।
- (2) प्रत्येक शिक्षक अपने शैक्षिक उत्तरदायित्वों के अलावा, शिक्षण, पाठ्यचर्या और पाठ्यक्रम सामग्री विकास में योगदान करेगा तथा परीक्षा आयोजित करवाएगा, जांच अथवा मूल्यांकन करेगा अथवा अन्वीक्षक संबंधी कार्य करेगा, शिक्षणार्थियों की शिक्षा संबंधी समस्याओं को दूर करने में सामान्य सहायता प्रदान करेगा तथा यथा अपेक्षित पाठयेत्तर तथा संस्थान को सहायता प्रदान करने संबंधी क्रियाकलापों में भागीदारी करेगा।
- (3) एक शिक्षक के कार्यभार में शिक्षण, शोध और विस्तार क्रियाकलापों, पाठ की तैयारी, कार्य का मूल्यांकन, आवधिक परीक्षाएं आदि शामिल होंगी तथा यह आयोग द्वारा समय समय पर जारी किए गए दिशानिर्देशों के अनुरूप ही जारी किए जाएंगेः

बशर्ते कि विस्तार कार्य पर व्यतीत किया गया समय, जहां यह निर्धारित पाठ्यक्रम का अभिन्न अंग हो, शिक्षण भार में जोड़ा जाएगा।

- (4) आयोग द्वारा समय—समय पर जारी दिशानिर्देशों के अनुसार प्रस्तावित कार्यक्रम के स्वरूप को ध्यान में रखते हुए पूर्णकालिक शिक्षकों, शिक्षाविदों और अन्य प्रशासनिक और तकनीकी कर्मचारियों की संख्या निर्धारित की जाएगी।
- (5) उच्च शिक्षा संस्थानों के दूरस्थ शिक्षा केंद्रों अथवा विद्यालयों में शिक्षार्थी सहायता केन्द्रों में सकाय का ब्यौरे को उच्च शिक्षा संस्थान की वेबसाइट पर घोषित किया जाएगा तथा आधार के विवरण अथवा अन्य शासकीय पहचान तंत्रों के साथ जोड़ा जाएगा।

10. प्रौद्योगिकी का उपयोग -

- (1) मुक्त और दूरस्थ शिक्षा पद्धितयों में कार्यक्रम (मों) की पेशकश करने वाले उच्च शिक्षा संस्थान ऐसे उपाय करेंगे तािक सूचना और संचार प्रौद्योगिकियों के माध्यम से शिक्षा पर राष्ट्रीय मिशन द्वारा विकसित सूचना संचार प्रौद्योगिकी (आईसीटी) को शािमल किया जा सके तािक शिक्षण— ज्ञान अर्जन प्रक्रिया तथा प्रशासनिक कार्यकरण की प्रभावकारिता को बढ़ाया जा सके, तथा हर समय प्रवेश, पंजीकरण की स्थिति के संबंध में जानकारी को अद्यतन रखा जा सके, ज्ञान अर्जन द्वारा दी गई प्रतिप्राप्ति के साथ सम्प्रेषण के माध्यम से ज्ञान अर्जन हेतु ऑन लाइन सहायता के माध्यम से शिक्षण— ज्ञान अर्जन क्रियाकलापों का प्रबंधन किया जा सके, मुक्त शिक्षा संसाधनों (ओईआर), वृहद मुक्त ऑनलाइन पाठयक्रमों के उपयोग हेतु सुविधा प्रदान करने के साथ साथ वृहद मूल्यांकन, प्रमाणन तथा छात्र को सहायता प्रदान करने के अन्य पहलुओं के संबंध में आवश्यक कदम उठाए जाएं।
- (2) कोई उच्च शिक्षा संस्थान किसी विशिष्ट कार्यक्रम में पेशकश किए जा रहे कुल पाठयक्रमों में से बीस प्रतिशत पाठयक्रमों को ही ऑनलाइन ज्ञान अर्जन पाठ्यक्रमों / वृहद मुक्त ऑनलाइन पाठयक्रमों के माध्यम से विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ('स्वयं' के माध्यम से ऑनलाइन ज्ञान अर्जन पाठ्यक्रमों के लिए क्रेडिट फ्रेमवर्क) विनियम, 2016 के अनुसार संचालित कर सकता है।

11. कार्यक्रम आरंभ करने की प्रक्रिया तथा अनुमोदन—

- (1) मुक्त और दूरस्थ शिक्षा पद्धितयों में कार्यक्रम (मों) की पेशकश करने वाले उच्च शिक्षा संस्थान अपनी वेबसाइट पर पेशकश किए जा रहे प्रत्येक कार्यक्रम का संपूर्ण ब्यौरा डालेगा जिसमें शुल्क का ढ़ांचा, आयोग द्वारा समय समय पर यथा विहित प्रवेश हेतु न्यूनतम योग्यता की शर्त, क्रियाकलापों की अनुसूची तथा शैक्षणिक कलेण्डर अर्थात् पंजीकरण, पुनः पंजीकरण, परामर्श सत्रों, दिए गए कार्य को जमा करने, जमा किए गए कार्य पर प्रतिप्राप्ति ग्रहण करने की तिथियों का उल्लेख होगा तथा विभिन्न कार्यक्रमों के लिए शिक्षार्थी सहायता केन्द्रों की सूची उपलब्ध कराई जाएगी।
- (2) किसी कार्यक्रम की पेशकश करने से पूर्व, उच्च शिक्षा संस्थान प्रत्येक कार्यक्रम के लिए एक कार्यक्रम परियोजना रिपोर्ट तैयार करेगा जिसमें निम्नवत शामिल होगा, यथाः –

- (i) संस्थान के मिशन तथा उद्देश्यों, कार्यक्रमों के लक्ष्यों, शिक्षणार्थियों के भावी लक्षित समूह के स्वरूप तथा विशिष्ट सक्षमताएं एवं कौशल प्राप्त करने हेतू मुक्त और दुरस्थ शिक्षा कार्यक्रम की उपर्युक्तता के बारे में कार्यक्रम की संगतता के संबंध में जानकारी;
- (ii) शिक्षा प्रदान करने के तरीके जिसमें कार्यक्रम(मों) की अवधि, संकाय तथा सहायक कर्मचारिवृंद की आवश्यकताएं, शिक्षा प्रदान करने की प्रणाली, मीडिया यथा प्रिंट, दृश्य, श्रव्य की पहचान करना, ऑनलाइन, कम्प्यूटर समर्थित, तथा छात्र सहायता सेवा प्रणाली शामिल होगी;
- (iii) प्रवेश की प्रक्रिया, पाठ्यचर्या को लागू करना तथा मूल्यांकन करना ;
- (iv) कार्यक्रम(मों) हेत् अपेक्षित प्रयोगशाला की आवश्यकता, यदि कोई हो तो, के संबंध में ब्यौरा;
- (v) ग्रंथालय संसाधन;
- (vi) कार्यक्रम हेतु लागत का अनुमान तथा तत्संबंधी व्यवस्था, जिसमें कार्यक्रम के विकास, कार्यक्रम प्रदान करने तथा उसके रखरखाव हेतु नियत की गई राशि को दर्शाएं;
- (vii) गुणवत्ता आश्वासन प्रणाली तथा अनुमानित कार्यक्रम परिणाम;
- (viii) पाठ्यक्रम तथा कार्यक्रम(मों) की विस्तृत पाठ्यचर्या; और
- (ix) कार्यक्रम(मों) के डिजाइन तैयार करने, उसके विकास तथा आयोग और किसी अन्य विनियामककारी निकायों द्वारा **अनुलग्नक IX** यथा विनिर्दिष्ट किसी अन्य ऐसे मामलों के संबंध में दिशानिर्देश जिसका पालन उच्च शिक्षा संस्थानों द्वारा किया जाएगा।
- 3) कार्यक्रम परियोजना रिपोर्ट को उच्च शिक्षा संस्थानों के उपर्युक्त प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित किया जाएगा, जो इसके उपर्युक्त कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए एक निगरानी तंत्र स्थापित करेगा।

भाग- IV

प्रवेश, परीक्षाएं तथा शिक्षार्थी सहायता

12. प्रवेश और शुल्क -

- (1) आबादी के एक बड़े भाग को उच्च शिक्षा का अवसर प्रदान करने के लिए और सामान्य रूप से समुदाय में शिक्षा के प्रसार को बढ़ावा देने के लिए, उच्च शिक्षा संस्थानों द्वारा इस प्रकार से एक शुल्क संरचना तैयार की जाएगी ताकि वह सभी हितधारकों के लिए वहनीय हो और उच्च शिक्षा संस्थानों को निम्नलिखित का पालन करना होगाः —
- (क) एक उच्च शिक्षा संस्थान, मुक्त और दूरस्थ शिक्षा पद्धित में किसी भी कार्यक्रम के संबंध में प्रवेश के लिए प्रवेश शुल्क और अन्य शुल्क के लिए भुगतान स्वीकार करेगा —
 - (i) जैसा कि इसके द्वारा प्रवेश के लिए प्रॉस्पेक्टस तथा उच्च शिक्षा संस्थान की वेबसाइट पर घोषित किया गया में निर्धारित और घोषित किया गया हो;
 - (ii) ऐसे उच्च शिक्षा संस्थानों में भर्ती किए गए छात्रों को ऐसे भुगतान के लिए लिखित रूप में उचित रसीद जारी की जाए;
 - (iii) उच्चतर शिक्षा संस्थान के पक्ष में केवल ऑनलाइन अंतरण, बैंक ड्रॉफ्ट अथवा पे ऑर्डर के माध्यम से शुल्क जमा किए जाएं।
- (ख) उच्चतर शिक्षा संस्थानों के लिए संस्थानों की वेबसाइट पर छात्रों द्वारा किए गए सभी भुगतान या शुल्क का विवरण अपलोड करना अनिवार्य होगा।
- (ग) अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और निशक्त छात्रों के लिए केंद्र सरकार या राज्य सरकार द्वारा जारी किए गए निर्देशों या आदेशों के अनुसार शुल्क में छूट दी जाएगी।

बशर्ते एक उच्चतर शिक्षा संस्थान किसी भी प्रकार से शिक्षा के व्यावसायीकरण नहीं करेगा और सभी योग्य शिक्षार्थियों के लिए शिक्षा हेतु समानता और पहुंच प्रदान करेगा।

(घ) एक उच्चतर शिक्षा संस्थान के लिए मुक्त और दूरस्थ शिक्षा पद्धित में शिक्षार्थियों को किसी कार्यक्रम के लिए एक पारदर्शी तरीके से प्रवेश दिया जाएगा और सीधे उच्चतर शिक्षा संस्थान के मुख्यालय द्वारा किया जाएगा जो प्रवेश से संबंधित अंतिम अनुमोदन प्रदान करने तथा छात्रों का पंजीकरण के लिए पूरी तरह उत्तरदायी होगाः बशर्ते एक शिक्षार्थी सहायता केन्द्र किसी भी शिक्षार्थी को उच्च शिक्षा संस्थान की ओर से मुक्त और दूरस्थ शिक्षा के किसी भी कार्यक्रम में प्रवेश नहीं देगा।

- (ङ) प्रत्येक उच्च शिक्षा संस्थान
 - (i) शिक्षार्थी का 'आधार' संबंधी ब्यौरा अथवा अन्य सरकारी पहचान को दर्ज करेगा;
 - (ii) उम्मीदवारों के चयन की पूरी प्रक्रिया के अभिलेखों का रखरखाव करेगा तथा ऐसे अभिलेखों को कम से कम पांच साल के लिए रखरखाव करेगा;
 - (iii) इस तरह के अभिलेखों को अपनी वेबसाइट पर प्रदर्शित करेगा; तथा
 - (iv) जब भी किसी भी कानून के तहत सरकार के किसी भी वैधानिक प्राधिकारी द्वारा ऐसा करने के लिए कहा जाए तो इस तरह के अभिलेखों को प्रस्तुत करने के लिए उत्तरदायी होगा।
- (च) प्रत्येक उच्च शिक्षा संस्थान, मुक्त और दूरस्थ शिक्षा पद्धित में अपने किसी भी कार्यक्रम में प्रवेश प्रारंभ होने की तारीख से पहले साठ दिन की समाप्ति से पूर्व ऐसे उच्च शिक्षा संस्थानों में प्रवेश प्राप्त करने के इच्छुक व्यक्तियों को सूचित करने के प्रयोजनों और आम जनता के लिए निम्नलिखित सहित एक प्रॉस्पेक्टस प्रकाशित करेंगे, अर्थातः —
- (i) ऐसे उच्च शिक्षा संस्थान में मुक्त और दूरस्थ शिक्षा के कार्यक्रम में प्रवेश प्राप्त करने वाले प्रत्येक शिक्षार्थी द्वारा भुगतान किए जाने वाले शुल्क, धरोहर राशि और अन्य प्रभारों के प्रत्येक घटक और ऐसे किए जाने वाले भुगतान की अन्य निबंधन और शर्तों का ब्यौरा शामिल होगा:
- (ii) ऐसे उच्च शिक्षा संस्थान में प्रवेश पाने वाले एक शिक्षार्थी द्वारा उच्च शिक्षा संस्थान से नाम वापस लिए जाने अथवा अध्ययन कार्यक्रम अथवा पाठ्यक्रम को पूर्ण किए जाने पर प्रतिदाय योग्य शिक्षण शुल्क और अन्य प्रभारों के प्रतिशत तथा समयाविध और पद्धित जिसके अनुसार शिक्षार्थी को ऐसा प्रतिदाय किया जाएगा, के संबंध में पूर्ण विवरण होगा;
- (iii) प्रत्येक पाठयक्रम या मुक्त और दूरस्थ शिक्षा पद्धति के पाठयक्रम अथवा कार्यक्रम में अनुमोदित सीटों की संख्या, जो संसाधनों के अनुरूप होगी, का ब्यौरा;
- (iv) अध्ययन के किसी विशिष्ट कार्यक्रम में शिक्षार्थी की न्यूनतम आयु सहित योग्यता की शर्तों, जिन्हें उच्च शिक्षा संस्थान द्वारा विनिर्दिष्ट किया गया हो;
- (v) जहां किसी भी सांविधिक प्राधिकरण द्वारा, किसी भी प्रकार के योग्यता मानकों को विनिर्दिष्ट नहीं किया गया है उस स्थिति में संगत सांविधिक प्राधिकरण अथवा निकाय अथवा उच्च शिक्षा संस्थान द्वारा प्रत्येक पाठयक्रम(मों) में प्रवेश हेतु विनिर्दिष्ट अपेक्षित नयुनतम शैक्षिक योग्यता का उल्लेख किया जाए;
- (vi) अध्ययन के प्रत्येक पाठयक्रम अथवा कार्यक्रम में प्रवेश के लिए और उम्मीदवारों का चयन करने के लिए परीक्षा अथवा परीक्षण के विवरण के संबंध में सभी प्रासंगिक जानकारी सहित प्रवेश परीक्षा के लिए किए जाने वाले भुगतान सहित इस तरह के प्रवेश के लिए आवेदन करने वाले पात्र उम्मीदवारों के प्रवेश और चयन की प्रक्रिया के संबंध में ब्यौरे;
- (vii) शिक्षण संकाय का विवरण जिसमें इसके शिक्षण संकाय के प्रत्येक सदस्य की शैक्षणिक योग्यता और शिक्षण अनुभव का उल्लेख किया जाए तथा यह भी उल्लेख किया जाए कि क्या इस तरह के संकाय सदस्य को नियमित या अंशकालिक आधार पर नियोजित हैं अथवा अभ्यागत अथवा संविदात्मक आधार पर नियोजित हैं;
- (viii) शिक्षकों और अन्य कर्मचारियों के प्रत्येक वर्ग को भूगतान किया जाने वाला वेतन और अन्य देय परिलब्धियों का ब्यौरा;
- (ix) वास्तविक और शैक्षिक और अन्य सुविधाओं के संबंध में जानकारी, साथ ही प्रत्येक शिक्षार्थी सहायता केन्द्रों और विशेषरूप से उच्च शिक्षा संस्थानों में प्रवेश पाने वाले शिक्षणार्थियों को प्राप्त सुविधाओं का ब्यौरा शामिल होगा;
- (x) प्रत्येक पाठयक्रम अथवा अध्ययन कार्यक्रम हेतु उपर्युक्त सांविधिक निकाय या उच्च शिक्षा संस्थान, जैसा भी मामला हो, द्वारा विनिर्दिष्ट पाठ्यक्रम की विस्तृत रूपरेखा का ब्यौरा अंतर्विष्ट होगा;
- (xi) शिक्षा सत्र के दौरान उच्च शिक्षा संस्थान द्वारा चलाई जाने वाले सभी शैक्षिक क्रियाकलापों सहित क्रियाकलाप आयोजना अंतर्विष्ट होगी तथा जुलाई माह और जनवरी माह का विवरण अलग से अधिसूचित किया जाएगा;

बशर्ते उच्च शिक्षा संस्थान अपनी वेबसाइट में खंड (i) से (xi) में विनिर्दिष्ट सूचनाओं को प्रकाशित करेगा, और भावी शिक्षार्थियों आम जनता का ध्यान इस वेबसाइट पर डाली गई विषयवस्तु और उच्च शिक्षा संस्थानों के प्रवेश प्रपत्र की ओर आकर्षित किया जाएगा और सत्र के प्रारंभ से पूर्व प्रवेश प्रक्रिया पूर्ण कर ली जाएगी; बशर्ते आगे कि उच्च शिक्षा संस्थान साठ दिनों की समाप्ति से पहले किसी भी समय प्रवेश प्रपत्र (प्रॉस्पेक्टस) प्रकाशित कर सकते हैं।

- (छ) कोई भी उच्च शिक्षा संस्थान, इसके द्वारा चलाए जाने वाले किसी पाठयक्रम अथवा किसी कार्यक्रम में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, किसी भी सीट या सीट पर प्रवेश के लिए विचार किए जाने के लिए किसी भी प्रकार के दान अथवा कैपिटेशन शुल्क की मांग नहीं करेगा अथवा उसे प्रभारित अथवा स्वीकार नहीं करेगा;
- (ज) किसी भी उच्च शिक्षा संस्थान द्वारा मुक्त और दूरस्थ शिक्षा पद्धित में पेशकश किए जाने वाले किसी भी कार्यक्रम में किसी भी सीट या सीट पर प्रवेश पाने के लिए कोई भी व्यक्ति, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, नकदी या किसी अन्य स्वरूप में कैपिटेशन शुल्क अथवा दान देने की पेशकश अथवा उसका भूगतान नहीं करेगा;
- (झ) ऐसा कोई भी उच्च शिक्षा संस्थान, जिसमें प्रवेश प्राप्त करने के लिए किसी व्यक्ति द्वारा अपने किसी डिग्री, प्रमाणपत्र, डिप्लोमा या कोई अन्य पुरस्कार या किसी अन्य दस्तावेजों को ऐसे उच्च शिक्षा संस्थान की अभिरक्षा में रखा है, तथा ऐसा व्यक्ति किसी पाठयक्रम अथवा कार्यक्रम, जिसमें वह व्यक्ति अध्ययन जारी रखने का इच्छुक नहीं है अथवा ऐसे उच्च शिक्षा संस्थान में किसी प्रकार की सुविधा प्राप्त नहीं करना चाहता है तो ऐसा संस्थान उस व्यक्ति को उसके डिग्री, प्रमाणपत्र, डिप्लोमा या कोई अन्य पुरस्कार या किसी अन्य दस्तावेजों को लौटाने के लिए उक्त पाठयक्रम अथवा कार्यक्रम के लिए किसी भी प्रकार के शुल्क अथवा शुल्कों का भुगतान करने के लिए बाध्य नहीं करेगा अथवा प्रलोभन नहीं देगा।
- (ञ) यदि कोई शिक्षार्थी, उच्च शिक्षा संस्थान में मुक्त और दूरस्थ शिक्षा पद्धित के तहत प्रवेश प्राप्त करने के पश्चात, मुक्त और दूरस्थ शिक्षा पद्धित के ऐसे किसी भी कार्यक्रम को ऐसे उच्च शिक्षा संस्थान में जारी नहीं रखना चाहता है तो उस मामले में कोई भी उच्च शिक्षा संस्थान ऐसे शिक्षार्थी द्वारा जमा किए गए शुल्क के ऐसे प्रतिशत का ऐसी समयाविध के भीतर प्रतिदाय करने से इंकार नहीं कर सकता है जिसका उल्लेख ऐसे उच्च शिक्षा संस्थान द्वारा उसके प्रवेश प्रपत्र में किया गया है।
- (ट) कोई भी उच्च शिक्षा संस्थान, निम्नवत जारी या प्रकाशित नहीं करेगी -
 - (i) उच्च शिक्षा संस्थान में प्रवेश प्राप्त करने के लिए शिक्षार्थियों को प्रलोभन देने के लिए किसी प्रकार का विज्ञापन, जारी नहीं करेगा जिसमें यह दावा किया गया हो कि अमुक संस्थान उपर्युक्त सांविधिक प्राधिकरण अथवा जहां यह लागू नहीं है, आयोग से मान्यता प्राप्त है; अथवा
 - (ii) विज्ञापन के माध्यम से अथवा अन्यथा संस्थान के बुनियादी ढांचे या उसकी शैक्षणिक सुविधाओं या इसके संकाय या शिक्षा के मानक या शैक्षणिक या शोध के निष्पादन के संबंध में, जो उच्च शिक्षा संस्थान, अथवा उच्च शिक्षा संस्थान की ओर से इस तरह के विज्ञापन जारी करने के लिए प्राधिकृत व्यक्ति ऐसे असत्य, तथ्यात्मक रूप से गलत अथवा भ्रामक विज्ञापन जारी नहीं करेगा जिनके संबंध में ऐसे संस्थान अथवा व्यक्ति को ज्ञात हैं कि वे गलत हैं।
- (ठ) विनियमन 3 के उप—विनियमन (4) के खंड (झ) के तहत मान्यता प्राप्त होने पर, एक उच्च शिक्षा संस्थान मान्यता प्रदान करने वाले आदेश में विनिर्दिष्ट शिक्षा सत्र से केवल अपने अनुमोदित कार्यक्रमों में ही छात्रों को प्रवेश देगा;

बशर्ते कि उच्च शिक्षा संस्थान, किसी भी कारण से, किसी कार्यक्रम की पेशकश के लिए मान्यता प्राप्त होने की प्रत्याशा में, शिक्षार्थियों का नामांकन करता है तो इससे, नामांकन अमान्य हो जाएगा।

13. मूल्यांकन और प्रमाणन -

- (1) उच्च शिक्षा संस्थान को परीक्षाओं के संचालन के संबंध में आयोग द्वारा समय-समय पर जारी दिशानिर्देशों को अंगीकार करेंगे।
- (2) असाइनमेंट छात्रों की प्रतिक्रिया पत्रक, संपर्क कार्यक्रमों और सेमेस्टर अथवा वर्षांत परीक्षाएं आयोजित की जाएंगी और असाइनमेंट और प्रतिक्रिया पत्रक में प्राप्त अंकों या ग्रेडों को अलग–अलग दिखाया जाएगा।
- (3) मुक्त और दूरस्थ शिक्षा पद्धति के माध्यम से शिक्षा प्रदान करने वाला उच्च शिक्षा संस्थान के पास मुक्त और दूरस्थ शिक्षा पद्धति में नामांकित विद्यार्थियों के मूल्यांकन तथा उनके अनुप्रमाणन एक सुस्थापित प्रणाली होगी।
- (4) एक उच्च शिक्षा संस्थान जो मुक्त और दूरस्थ शिक्षा पद्धित के तहत कार्यक्रमों की पेशकश करता है, वह प्रश्नपत्र, प्रश्न बैंकों, असाइनमेंट का विकास और उनमें संशोधन करने, परीक्षा का संचालन करने, योग्य शिक्षकों द्वारा उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन करने, और परिणामों की घोषणा करने के लिए एक कठोर प्रक्रिया को अपनाएगा, और इस प्रकार वह प्रश्नपत्रों को तैयार करेगा तािक यह स्विश्चित किया जा सके कि किसी भी शिक्षार्थी द्वारा पाठ्यक्रम का कोई भी भाग अध्ययन करने से छूट न गया जाए।
- (5) मुक्त और दूरस्थ शिक्षा पद्धति में कार्यक्रमों के संबंध में परीक्षा का प्रबंध कार्य, उच्च शिक्षा संस्थान की परीक्षा या मूल्यांकन इकाई द्वारा किया जाएगा और परीक्षाएं उच्च शिक्षा संस्थान द्वारा अनुमोदित परीक्षा केंद्र में आयोजित की जाएंगी।
- (6) मूल्यांकन के अतंर्गत असाइनमेंट के रूप में दो प्रकार के मूल्यांकन यथा सतत् अथवा रचनात्मक मूल्यांकन किए जाएंगे तथा सेमेस्टर के अंत अथवा वर्षांत परीक्षा के रूप में समग्र मूल्यांकन किया जाएगा;

बशर्ते कि किसी विषय में कोई भी सेमेस्टर के अंत अथवा वर्षांत परीक्षा आयोजित नहीं की जाएगी, जब तक कि उच्च शिक्षा संस्थान इस बात से संतुष्ट न हो कि सेमेस्टर या वर्ष के लिए निर्धारित अध्ययन कार्यक्रम के कम से कम 75 प्रतिशत भाग को वास्तव में पूर्ण कर लिया गया है;

बशर्ते आगे ''वर्षांत परीक्षा'' के लिए 70 प्रतिशत से कम अंक नहीं होंगे।

- (7) निम्नलिखित के अध्यधीन, उच्च शिक्षा संस्थानों के क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र के भीतर 'परीक्षा केंद्र', स्थापित किया जाएगाः –
- (i) परीक्षा केंद्र, देश में विश्वविद्यालयी प्रणाली के तहत अनुमोदित संबद्ध कॉलेजों सिहत सरकारी विद्यालयों जैसे नवोदय विद्यालय, केन्द्रीय विद्यालय, सैनिक विद्यालय आदि में स्थित होगा और कोई भी परीक्षा केंद्र किसी भी निजी संगठन या अनिधकृत उच्च शिक्षा संस्थान को आवंटित नहीं किया जाएगा।
- (ii) परीक्षा केंद्र में संपूर्ण परीक्षा प्रक्रिया की 'क्लोज सर्किट टेलीविजन कैमरा ' (सीसीटीवी) रिकॉर्डिंग की जाएगी और बायोमेट्रिक प्रणाली होगी तथा 'क्लोज सर्किट टेलीविजन कैमरा ' के नहीं होने पर उच्च शिक्षा संस्थान यह सुनिश्चित करेगा कि परीक्षा की उपर्युक्त ढ़ंग से वीडियोग्राफी की जाए और परीक्षा केन्द्र के विशिष्ट प्रभारी द्वारा वीडियो रिकॉर्डिंग को संबंधित उच्च शिक्षा संस्थान को प्रस्तुत की जाए।
- (iii) उच्च शिक्षा संस्थान अभिलेखागार में कम से कम दस वर्षों के लिए ऐसे सभी 'क्लोज सर्किट टेलीविजन कैमरा ' रिकॉर्डिंग का रखरखाव करेगा।
- (iv) विश्वविद्यालय द्वारा जारी की गई विशिष्ट पहचान संख्या (यूआईएन) अथवा विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूआईडीएआई) के अभिलेखों के अनुसार, जांचकर्ताओं की उपस्थिति को बायोमेट्रिक प्रणाली के माध्यम से अनुप्रमाणित किया जाएगा।
- (v) उच्च शिक्षा संस्थान द्वारा प्रत्येक परीक्षा केंद्र के लिए एक प्रेक्षक की नियुक्त की जाएगी तथा प्रेक्षक की रिपोर्ट को उच्च शिक्षा संस्थान को प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा ।
- (8) प्रादेशिक क्षेत्राधिकार के भीतर शिक्षार्थी सहायता केन्द्रों का प्रयोग परीक्षा केन्द्रों के रूप में भी किया जा सकता है, बशर्ते वे परीक्षा केंद्र के मानदंडों को पूरा करते हों और उच्च शिक्षा संस्थान के लिए यह अनिवार्य होगा कि वह 'शिक्षार्थी सहायता केन्द्रों' तथा 'परीक्षा केन्द्र' के नाम तथा स्थान का उल्लेख छात्रों को जारी किए जाने वाले सभी प्रमाणपत्रों तथा अंक तालिकाओं पर करें।
- (9) उच्च शिक्षा संस्थान, अंक तालिकाओं तथा उपाधियों पर शिक्षा प्राप्ति की पद्धित अर्थात् मुक्त और दूरस्थ शिक्षा पद्धित का उल्लेख करेगा तथा उच्च शिक्षा संस्थान द्वारा शिक्षार्थी को जारी किए गए सभी दस्तावेजों में अनिवार्य रूप से शिक्षार्थी का फोटोग्राफ तथा उसकी विशिष्ट पहचान संख्या अथवा आधार संख्या का उल्लेख करेगा:
- (10) उच्च शिक्षा संस्थान जारी किए गए प्रत्येक प्रमाणपत्र (सेमेस्टर या सेमेस्टर की समाप्ति कार्यक्रम अथवा पाठयक्रम की समापित) में जारी किए गए प्रत्येक प्रमाणपत्र पर 'प्रवेश प्राप्त करने की तिथि' और 'समापन की तिथि' का उल्लेख करना अनिवार्य होगा।

14. शिक्षार्थी सहायता केंद्र -

(1) मुक्त और दूरस्थ शिक्षा पद्धति में कार्यक्रम पेशकश करने वाला एक उच्च शिक्षा संस्थान, इन विनियमों के लागू होने की तिथि से एक वर्ष के भीतर, यह सुनिश्चित करेगा कि किसी विश्वविद्यालय से संबंद्ध महाविद्यालय अथवा संस्थान अथवा सरकार से मान्यता प्राप्त उच्च शिक्षा संस्थान में ही शिक्षार्थी सहायता केन्द्रों की स्थापना की जाए से जो ऐसे ही व्यापक क्षेत्रों में कार्यक्रमों की पेशकश कर रहे हों और जिनके पास जिसे कार्यक्रम की पेशकश के लिए आवश्यक बुनियादी ढांचा और मानव संसाधन मौजूद हैं।

बशर्ते एक उच्च शिक्षा संस्थान, निःशक्त व्यक्ति (समान अवसर, अधिकार संरक्षण और पूर्ण भागीदारी) अधिनियम, 1995 तथा राष्ट्रीय स्वपरायणता, प्रमस्तिष्क घात, मानसिक मंदता और बहुनिःशक्तताग्रस्त व्यक्ति कल्याण न्यास अधिनियम, 1999 में उल्लिखित व्यक्तियों तथा कारागार भोग रहे व्यक्तियों सहित कठिन परिस्थितियों में जीवनयापन कर रहे अन्य व्यक्तियों के लिए एक विशेष शिक्षार्थी सहायता केन्द्र की स्थापना कर सकता हैं।

बशर्ते आगे कि किसी भी मामले में फ्रेंचाइजी समझौते के तहत शिक्षार्थी सहायता केन्द्र की स्थापना नहीं की जाएगी।

- (2) शिक्षार्थियों को शैक्षणिक तथा प्रशासनिक सहायता मुहैया करवाने के लिए शिक्षार्थी सहायता केन्द्र, अथवा उच्च शिक्षा संस्थान द्वारा प्रबंधित केन्द्र एक संपर्क बिंद् होगा तथा वह **अनुलग्नक X** में यथा विनिर्दिष्ट अन्य कार्यकरण करेगा।
- (3) शिक्षार्थी सहायता केन्द्र की अध्यक्षता एक समन्वयक करेंगे, जो संबंधित महाविद्यालय या उच्च शिक्षा संस्थान में कम से कम एक योग्य सहायक आचार्य के पद पर नियमित आधार पर नियुक्त एक शिक्षक होगा और उच्च शिक्षा संस्थान द्वारा यथा निर्धारित सलाहकारों उसे सहायता प्रदान करेंगे।
- (4) उच्च शिक्षा संस्थान के पास शिक्षार्थी सहायता केन्द्र के सुचारु कार्यकरण के लिए एक मानक कार्यकरण प्रक्रिया होगी जिसमें शिक्षार्थी सहायता केन्द्र और इसके विभिन्न पदधारियों के कार्यकरण, केंद्र के द्वारा विभिन्न सेवाओं के लिए उपलब्ध कराए जाने वाली

निगरानी प्रणाली शामिल होगी तथा शिक्षार्थी सहायता केन्द्र के लिए परामर्श सत्रों को संचालित करने, असाइनमेंट का मूल्यांकन करने तथा शिकायत का निवारण करने के संबंध में शिक्षार्थियों के संबंध में आंकड़ों का रखरखाव करना अनिवार्य होगा;

15. शिक्षार्थी सहायता सेवाएं -

- (1) मुक्त और दूरस्थ शिक्षा पद्धति में कार्यक्रमों की पेशकश करने वाले एक उच्च शिक्षा संस्थान में शिक्षार्थी सहायता सेवाओं के लिए दिशानिर्देश होंगे जिन्हें सभी शिक्षार्थी सहायता केन्द्र को उपलब्ध कराए जाएंगे तथा जो सभी शिक्षार्थियों की पहुंच में होंगे।
- (2) उच्च शिक्षा संस्थान द्वारा प्रदान की जाने वाली शिक्षार्थी सहायता सेवाओं में निम्नवत शामिल होंगे, अर्थात्ः
 - (i) भावी शिक्षार्थियों के लिए प्रवेश पूर्व परामर्श उपलब्ध कराया जाएगा ताकि उन्हें किसी विशेष कार्यक्रम में शामिल होने के बारे में जानकारीप्रद निर्णय लेने में स्विधा प्रदान की जा सके;
 - (ii) प्रवेश से संबंधित मामलों के लिए सहायता;
 - (iii) उच्च शिक्षा संस्थान की वेबसाइट पर अध्ययन सामग्री और जानकारी का ब्यौरा भी उपलब्ध होगा;
 - (iv) प्रवेश की तिथि से एक पखवाड़े के भीतर शिक्षार्थियों के लिए अध्ययन सामग्री का वितरण सुनिश्चित करने की व्यवस्था की जाए;
 - (v) शिक्षार्थियों से जुड़े सभी प्रश्नों का समाधान करने के लिए तथा उन्हें एकल खिड़की सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए शिक्षार्थियों संबंधी जानकारियों से पूर्णतः अवगत एक प्रतिबद्ध पूर्णकालिक सहायता डेस्क का गठन किया जाएगा।
- (3) उच्च शिक्षा संस्थान द्वारा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (शिकायत निवारण) विनियम, 2012 को अंगीकार तथा लागू किया जाएगा तथा उच्च शिक्षा संस्थान **अनुलग्नक XI** में यथा विनिर्दिष्ट दिशानिर्देशों के अनुरूप शिकायत निवारण प्रणाली का गठन करेगा।
- (4) उच्च शिक्षा संस्थान शिक्षार्थियों को ऑनलाइन मार्गदर्शन और परामर्श सुविधाएं मुहैया करवाने की सुविधाएं प्रदान करेगा।
- (5) उच्च शिक्षा संस्थान को शिक्षार्थियों के लिए 'ऑनलाइन' चर्चा मंच बनाना होगा।
- (6) मुद्रित रूप में 'स्व– ज्ञान अर्जन सामग्री' को शिक्षार्थियों को अनिवार्य रूप से प्रदान किया जाएगा और साथ ही, उच्च शिक्षा संस्थान ऑनलाइन पद्धति से कॉम्पैक्ट डिस्क आदि माध्यमों से अतिरिक्त शिक्षण संसाधन प्रदान कर सकते हैं।

भाग-V

मूल्यांकन, प्रत्यायन, लेखापरीक्षा, निरीक्षण तथा निगरानी

16. मूल्यांकन, प्रत्यायन और लेखापरीक्षा -

(1) मुक्त और दूरस्थ शिक्षा पद्धित में कार्यक्रमों की पेशकश करने वाला एक उच्च शिक्षा संस्थान, अनुदान प्राप्त करने के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (उच्च शिक्षा संस्थानों का अनिवार्य मूल्यांकन और प्रत्यायन) विनियम, 2012 का अनुपालन करेगा और किसी भी मामले में संस्थान द्वारा मुक्त और दूरस्थ शिक्षा पद्धित में चलाए जा रहे कार्यक्रमों के संबंध में इन विनियमों के तहत मूल्यांकन तथा प्रत्यायन के लिए आवेदन करेगाः

बशर्ते यह उप–विनियम मुक्त विश्वविद्यालयों पर लागू नहीं होगा जब तक कि वे राष्ट्रीय मूल्यांकन और प्रत्यायन परिषद् द्वारा प्रत्यायन प्राप्त करने के लिए पात्र नहीं हो जाते हैं तथा मुक्त विश्वविद्यालयों के लिए अनिवार्य है कि वे इसके लिए पात्र बनने के एक वर्ष के भीतर राष्ट्रीय मूल्यांकन और प्रत्यायन परिषद् से प्रत्यायन प्राप्त करें।

(2) मुक्त और दूरस्थ शिक्षा पद्धित में कार्यक्रम संचालित करने के लिए इन विनियमों के तहत मान्यता प्राप्त एक उच्च शिक्षा संस्थान एक वर्ष में एक बार आयोग द्वारा विहित प्ररूप में आंतरिक गुणवत्ता आश्वासन केन्द्र से अपने सभी कार्यक्रमों का मूल्यांकन करवाएगा तथा शिक्षा वर्ष का अंत होने से पूर्व गुणवत्ता आश्वासन के संबंध में रिपोर्ट को अपनी वेबसाइट पर स्पष्टरूप से प्रदर्शित करेगा तथा इसकी एक प्रति आयोग को भेजेगा।

17. जानकारी मंगवाने तथा निरीक्षण करने की शक्तियां -

- (1) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, समय समय पर उच्च शिक्षा संस्थान के निष्पादन की समीक्षा करेगा और इस प्रयोजनार्थ वह उच्च शिक्षा संस्थान को ऐसी जानकारी प्रदान करने के निर्देश दे सकता है, जैसा कि उच्च शिक्षा संस्थान द्वारा विनियमों का पालन सुनिश्चित करने की दृष्टि से अपेक्षित हो, और उच्च शिक्षा संस्थान ऐसी जानकारी को ऐसी समयाविध में मुहैया कराने की बाध्यता होगी जैसा कि विनिर्दिष्ट हो।
- (2) जहां आयोग, स्वतः अथवा इसे प्राप्त जानकारी के आधार पर, लिखित में कारणों को दर्ज किया जाना आवश्यक समझता हो, उस स्थिति में वह विशेषज्ञों के एक दल के माध्यम से निरीक्षण के द्वारा जांच करवा सकता है, जैसा वह उचित समझे, ताकि वह स्वयं को

संतुष्ट हो सके कि मुक्त और दूरस्थ शिक्षा पद्धित के माध्यम से शिक्षा प्रदान कर रहे उच्च शिक्षा संस्थान द्वारा इन विनियमों के तहत सभी अनिवार्य अपेक्षाओं का अनुपालन किया जा रहा है तथा चूककर्ता उच्च शिक्षा संस्थानों से अनुपालन सुनिश्चित करवाने के लिए उनके विरूद्ध उपर्युक्त कार्यवाही कर सकता है।

भाग-VI

प्रकीर्ण

18. प्राधिकरण —

- (1) आयोग इन नियमों को लागू करने हेत् विभिन्न कृत्यों के निष्पादन के लिए आयोग के अधिकारियों को अधिकृत कर सकता है।
- (2) विनियम 4 के प्रयोजनों के लिए, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, अपने अधिकारियों सिहत ऐसे व्यक्ति अथवा व्यक्तियों की अपीलों की सुनवाई करने तथा निर्णय लेने के लिए अपनी शक्तियों का प्रत्यायोजन कर सकता है, जैसा कि यह लिखित में विनिर्दिष्ट कर सकता है।

19. व्यावृत्ति -

- (1) इन विनियमों में काई भी शर्त दूरस्थ शिक्षा परिषद् अथवा आयोग की अनुमित के तहत पेशकश किए जाने हेतु मुक्त और दूरस्थ शिक्षा पद्धित के माध्यम से प्रस्तावित कार्यक्रमों, इन विनियमों के लागू होने से पूर्व ऐसे कार्यक्रमों में प्रवेश पाने वाले छात्रों और तत्कालीन दूरस्थ शिक्षा परिषद् अथवा आयोग की अनुमित के तहत प्रदान किए गए डिग्री, अथवा डिप्लोमा अथवा स्नातकोत्तर डिप्लोमा पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालेगा।
- (2) स्टैंडालोन संस्थानों द्वारा प्रदान किए गए प्रमाण पत्र अथवा डिप्लोमा अथवा स्नातकोत्तर डिप्लोमा, जिन्हें विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय की तत्कालीन दूरस्थ शिक्षा परिषद् की नीतियों के अनुरूप आयोग के स्तर पर पहले ही जारी किए जा चुके मान्यता प्रदान करने के पत्रों में यथा विनिर्दिष्ट था, अकादिमक सत्र तक दूरस्थ शिक्षा कार्यक्रम चलाने के लिए अनुमोदित किया गया है, वे मुक्त और दूरस्थ शिक्षा पद्धित के क्षेत्र में वैध कार्यक्रम बने रहेंगे और एक बार ऐसे स्टैंडालोन संस्थानों की मान्यता की अविध समाप्त हो जाने पर ऐसे संस्थान मुक्त और दूरस्थ शिक्षा कार्यक्रमों की पेशकश नहीं कर सकते हैं; बशर्ते कि वे मुक्त और दूरस्थ शिक्षा विनियमों के प्रयोजनार्थ अपने स्टैंडालोन संस्थानों के दर्जे को विश्वविद्यालय अथवा सम विश्वविद्यालय में परिवर्तित करने के लिए मुक्त होंग और ऐसा न कर पाने पर आयोग स्टैंडालोन संस्थानों के मुक्त और दूरस्थ शिक्षा कार्यक्रमों को कोई अनुमित प्रदान नहीं करेगा।

20. निर्वचन खंड -

इन विनियमों के निर्वचन में विचारों में मतभेद होने की स्थिति में आयोग की राय अंतिम होगी।

जसपाल एस. सन्ध्र, सचिव, वि.अ.आ.

[विज्ञापन III / 4 / असा. / 122 / 17]

अनुलग्नक I

आंतरिक गुणवत्ता आश्वासन केंद्र (सीआईक्यूए)

उद्देश्य और कार्यः

- 1. आंतरिक गुणवत्ता आश्वासन केंद्र (सीआईक्यूए) की स्थापना का उद्देश्य मुक्त और दूरस्थ शिक्षा पद्धित के तहत उच्च शिक्षा के उच्च गुणवत्तायुक्त कार्यक्रमों को प्रदान करने के लिए एक बृहद और परिवर्तनीय आंतरिक गुणवत्ता आश्वासन प्रणाली को विकसित कर स्थापित करना है। इसके कार्यों में अन्य बातों के साथ निम्नलिखित शामिल होंगेः —
- (i) शिक्षार्थियों को प्रदान की गई सेवाओं में गुणवत्ता बनाए रखना।
- (ii) उच्च शिक्षा संस्थान के समग्र प्रचालनों में सतत् सुधार सुनिश्चित करना।
- (iii) उन प्रमुख क्षेत्रों की पहचान करना जहां उच्च शिक्षा संस्थान को गुणवत्ता बनाए रखनी चाहिए।
- (iv) गुणवत्ता आश्वासन के बारे में जानकारी का प्रसार करना।
- (v) उच्च शिक्षा संस्थान में विभिन्न विभागों अथवा केंद्रों अथवा विद्यालयों से संपर्क करने की प्रणाली विकसित करना और प्रतिक्रिया प्राप्त करने के लिए तंत्र तैयार करना।

- (vi) उच्च शिक्षा संस्थान के प्राधिकारियों को गुणात्मक सुधार करने के उपाय सुझाना।
- (vii) नियमित निगरानी के माध्यम से अपनी सिफारिशों का कार्यान्वयन स्निश्चित करना।
- (viii) गुणवत्ता सुधार प्रक्रियाओं में सभी हितधारकों नामतः शिक्षार्थियों, शिक्षकों, कर्मचारियों, माता–पिता, समाज, नियोक्ताओं और सरकार की भागीदारी सुनिश्चित करना।
- (ix) कार्यक्रम परियोजना रिपोर्ट तैयार करना और नए कार्यक्रम(मों) का श्भारंभ स्निश्चित करना।
- (x) कार्यक्रम(मों) की गुणवत्ता के बारे में सटीक, पूर्ण और विश्वसनीय आंकड़ों का संग्रहण, मिलान और प्रसार करना

आंतरिक गुणवत्ता आश्वासन केंद्र के क्रियाकलाप:

- 2. उपर्युक्त उद्देश्यों को पूरा करने के लिए आंतरिक गुणवत्ता आश्वासन केंद्र –
- (i) आयोग द्वारा निर्धारित मानदंडों और दिशानिर्देशों के अनुसार प्रत्येक कार्यक्रम के लिए एक कार्यक्रम परियोजना रिपोर्ट तैयार करेगा और जहां कहीं भी आवश्यक हो, उपर्युक्त विनियामकारी प्राधिकरण के माध्यम से कार्यक्रम पर नियंत्रण रखना;
- (ii) कार्यक्रम आरंभ करने से पहले उच्च शिक्षा संस्थान और आयोग के उपर्युक्त प्राधिकारी द्वारा कार्यक्रम परियोजना रिपोर्ट को अनुमोदित करवाना;
- (iii) अध्ययन ज्ञान अर्जन सामग्री (एसएलएम) के विकास, सूचना और संचार प्रौद्योगिकी (आईसीटी) के समेकन का पर्यवेक्षण करना और शिक्षा केन्द्रों की स्थापना और मूल संस्थानों और संगत विनियामक प्राधिकारियों के साथ समन्वय करना;
- (iv) कार्यक्रम परियोजना रिपोर्ट का उपर्युक्त कार्यान्वयन स्निश्चित करने के लिए निगरानी तंत्र गठित करना;
- (v) उच्च शिक्षा संस्थान के स्तर पर गुणवत्ता के स्तर में वृद्धि करने के लिए वार्षिक योजनाएं तैयार करना और उनका कार्यान्वयन स्निश्चित करना;
- (vi) गुणवत्ता से संबंधित संस्थागत प्रक्रियाओं के विषय में छात्रों, नियोक्ताओं और अन्य हितधारकों से प्रतिक्रिया प्राप्त करने की व्यवस्था करना:
- (vii) उच्च शिक्षा संस्थान की विभिन्न शैक्षणिक और प्रशासनिक क्रियाकलापों के लिए गुणवत्ता के मानकों अथवा मानदंडों को विकसित करना;
- (viii) अन्य उच्च शिक्षा संस्थानों से विभिन्न गुणवत्ता के मानकों या मानदंडों और सर्वोत्तम पद्धतियों के संबंध में जानकारी प्राप्त करना;
- (ix) गुणवत्ता संबंधी विषयों पर कार्यशालाएं अथवा संगोष्ठिष्यां आयोजित करना और ऐसे क्रियाकलापों की कार्यवाहियों के संबंध में उच्च शिक्षा संस्थानवार प्रचार करना;
- (x) नौकरी प्राप्त करने के लिए कार्यक्रमों को प्रासंगिक बनाने के लिए कार्यक्रमों के पुनर्गठन का सुझाव देना;
- (xi) प्रमुख क्षेत्रों में अभिनव पद्धतियों को विकसित और कार्यान्वित करना जिससे शिक्षार्थियों के लिए सेवाओं में गुणवत्ता में वृद्धि की जा सके;
- (xii) संस्था केंद्रित परिवेश तैयार करने की बजाय शिक्षार्थी केंद्रित परिवेश तैयार करना;
- (xiii) संकाय और कर्मचारिवृंदों में रचनात्मकता और नवीनता पैदा करना;
- (xiv) आवधिक प्रत्यायन और लेखापरीक्षा के माध्यम से गुणवत्ता उन्नयन पद्धतियों की आंतरिकता और संस्थागत बनाना सुनिश्चित करने के लिए उपायों को अपनाना;
- (xv) समग्र प्रणाली में गुणात्मक परिवर्तन लाने के लिए प्रणाली आधारित शोध करना अथवा उसे प्रोत्साहित करना;
- (xvi) विभिन्न गुणवत्ता संबंधी मुद्दों या दिशा-निर्देशों के संबंध में उच्च शिक्षा संस्थानों और आयोग के बीच समन्वय करना;
- (xvii) वार्षिक रिपोर्ट के रूप में गुणवत्ता आश्वासन के संबंध में किए गए क्रियाकलापों को दर्ज करना; तथा
- (xviii) उच्च शिक्षा संस्थान की मान्यता और प्रत्यायन के विषय का समन्वय करना;
- 3. सभी उच्च शिक्षा संस्थानों को वित्तीय वर्ष के दौरान आंतरिक गुणवत्ता आश्वासन केंद्र द्वारा किए गए क्रियाकलापों के बारे में उनके सांविधिक प्राधिकरणों अथवा निकायों को वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

आंतरिक गुणवत्ता आश्वासन केंद्र की स्थापना :

- 4. मुक्त और दूरस्थ शिक्षा पद्धति के माध्यम से कार्यक्रम संचालित करने वाले सभी उच्च शिक्षा संस्थानों में आंतरिक गुणवत्ता आश्वासन केंद्र स्थापित किया जाएगा और जिसकी अध्यक्षता एक पूर्णकालिक आधार पर कार्यरत निदेशक करेंगे जो कि वरिष्ठ शिक्षाविद् होने के नाते आचार्य के पद पर कार्यरत शिक्षाकर्मी होंगे जिनकी सहायता पर्याप्त संख्या में शिक्षण तथा अन्य कर्मचारिवृंद करेंगे।
- 5. एक आंतरिक गुणवत्ता आश्वासन समिति केंद्र का गठन किया जाना चाहिए जिसकी अध्यक्षता इसके निदेशक महोदय करेंगे, जिसमें उच्च शिक्षा संस्थान के विभिन्न कार्यकरणों अथवा विभागों से नामांकित अकादिमक कमचारिवृंद और आंतरिक गुणवत्ता लेखापरीक्षक करेंगे। यह निम्नवत कार्य करेगाः —
- (i) कार्यक्रम विकास पद्धति और कार्यक्रम संचालन तंत्र के लिए नीतियां निर्धारित करना जो कि उच्च शिक्षा संस्थान के विजन और मिशन के समरूप हों:
- (ii) समिति को संदर्भित कार्यक्रम विकास, सूचना और संचार प्रौद्योगिकी हस्तक्षेप और कार्यान्वयन, ज्ञान अर्जन, सहयोग संबंधी किन्हीं मुद्दों पर परामर्श देना;
- (iii) शैक्षणिक अनुमोदन और संबंधित आशोधन प्रक्रियाओं की निगरानी करना और यह सुनिश्चित करना कि कार्यक्रम शिक्षा की मुक्त और दूरस्थ शिक्षा पद्धित के दर्शन के अनुसार अवार्ड के स्वरूप और प्रकार के स्तर के अनरूप उपयुक्त उल्लिखित डिजाइन संबंधी अपेक्षाओं और शैक्षिक मानकों पर खरा उतरते हों;
- (iv) उच्च शिक्षा संस्थानों, क्षेत्रीय केंद्रों और अध्ययन केंद्रों अथवा शिक्षार्थी सहायता केन्द्रों की शैक्षिक और प्रशासनिक क्रियाकलापों के स्वचालन को बढावा देना:
- (v) स्व -मूल्यांकन और निगरानी के लिए प्रणाली की प्रभावकारिता की निगरानी करना और जानकारी प्रदान करना;
- (vi) इसकी अंतर— संगठन प्रक्रियाओं, शिक्षार्थी सहायता केन्द्रों, मुक्त और दूरस्थ शिक्षा कार्यक्रमों आदि का विधिमान्यकरण तथा वार्षिक समीक्षा करने के लिए बाह्य विषय विशेषज्ञों अथवा एजेंसियों या संगठनों की नियुक्ति करना;
- (vii) कार्यक्रम(मों) की गुणवत्ता लेखापरीक्षा करने के लिए तृतीय पक्ष लेखापरीक्षा दल की नियुक्ति करना;
- (viii) उच्च शिक्षा संस्थान की ओर से मूल्यांकन और प्रत्यायन एजेंसियों को प्रस्तुत करने के लिए स्व–मूल्यांकन रिपोर्ट को अनुमोदन देना;
- (ix) मुक्त और दूरस्थ शिक्षा पद्धित में शिक्षा और शोध की गुणवत्ता में सुधार करने के लिए सहयोग और मिलजुल कर कार्य करने की प्रवृत्ति को बढावा देना; तथा
- (x) शिक्षार्थियों को उद्योग जगत का अनुभव दिलाने के लिए औद्योगिक— संस्थागत संपर्क और उद्योग—संस्था भागीदारी को बढ़ावा देना।

<u>अनुलग्नक II</u>

गुणवत्ता निगरानी तंत्र

आंतरिक गुणवत्ता आश्वासन केन्द्र द्वारा संस्थागत गुणवत्ता लेखापरीक्षा करने, गुणवत्ता आश्वासन को बढ़ावा देने, साथ ही गुणवत्ता आश्वासन को बढ़ावा देने तथा प्रसार करने के लिए सर्वोत्तम पद्धतियों को अपनाने के लिए गुणवत्ता निगरानी प्रणाली संबंधी दिशानिर्देशों को अपनाने की आवश्यकता है। गुणवत्ता निगरानी को निम्नवत बृहद क्षेत्रों में समाधान हेतु अपनाए जाने की आवश्यकता है, अर्थात्ः —

(क) अभिशासन, नेतृत्व और प्रबंधन

यह निम्नवत महत्वपूर्ण पहलुओं पर ध्यान देने के साथ—साथ नियोजन, मानव संसाधन, भर्ती, प्रशिक्षण, निष्पादन मूल्यांकन, वित्तीय प्रबंधन और नेतृत्व की समग्र भूमिका के मामले में उच्च शिक्षा संस्थानों (एचईआई) की नीतियों और पद्धतियों से संबंधित है :

- (i) **संगठनात्मक ढ़ांचा और अभि गासनः** उच्च शिक्षा संस्थान गुणवत्ता कार्यक्रमों और ज्ञान अर्जन परिणामों के लिए उत्तरदायी हैं। इसलिए, आयोग द्वारा यथा विहित, यह आवश्यक है कि संस्थान को निदेशालय या केंद्र या विभाग अथवा शिक्षार्थी सहायता केंद्र में सभी आवश्यक पदों को भरना चाहिए और एक विश्वसनीय अभिशासन प्रणाली स्थापित करनी चाहिए।
- (ii) प्रबंधनः मूल्यों को निर्धारित कर भागीदारी के माध्यम से निर्णय लेने की प्रक्रिया के माध्यम से प्रभावी नेतृत्व ही उच्च शिक्षा संस्थान के विजन, मिशन और लक्ष्यों को प्राप्त करने की कुंजी है। इसलिए, संस्थान के प्रबंधन तथा नेतृत्व को सहायता देने के लिए संगठनात्मक संस्कृति का मूल्यांकन तथ समीक्षा किए जाने की आवश्यकता है तािक ऐसे विजन, मिशन और लक्ष्यों को प्राप्त किया जा सके।

- (iii) कार्यनीतिक योजनाः उच्च शिक्षा संस्थान के नेतृत्व से स्पष्ट विजन और मिशन की आशा की जाती है। इसके कार्यकरण भागीदारी और पारदर्शिता के सिद्धांतों द्वारा अभिशासित होते हैं। इसलिए, उच्च शिक्षा संस्थान से अपने क्रियाकलापों के कार्यनीतिक आयोजना करने और समग्र गुणवत्ता में सुधार करने के लिए अकादिमक और प्रशासनिक पहलुओं के साथ संरेखित करके कार्यान्वित करने की आशा की जाती है।
- (iv) प्रचलनात्मक योजना, लक्ष्य और नीतियां: उच्च शिक्षा संस्थान अपनी कार्यनीतिक योजना से प्रचलनात्मक योजना तैयार करते हैं जो संस्था द्वारा प्राप्त किए जाने वाले कार्यक्रमों के लक्ष्य और उपायों को परिभाषित करता है। कार्यक्रम और क्रियाकलापों के वार्षिक नियोजन के लिए प्रचालनात्मक योजना को एक दिशानिर्देश के रूप में उपयोग किया जाता है। उच्च शिक्षा संस्थान के सुपरिभाषित लक्ष्यों होने चाहिए जो यथार्थवादी और परिमेय योग्य होते हैं। सुपरिभाषित नीतियां होना उतना ही महत्वपूर्ण जो अपनी कार्यनीतिक योजना के साथ तालमेल से कार्य कर सकें और यथार्थवादी और प्राप्य हों। उच्च शिक्षा संस्थानों को अपनी नीतियों और योजनाओं के कार्यान्वयन में स्पष्ट दिशानिर्देश दिए जाने की आवश्यकता है। इसके अलावा, संस्था को अपनी नीतियों और योजनाओं के लिए एक पारदर्शी और जवाबदेह प्रणाली की आवश्यकता होती है जिसे इसके हितधारकों को भली— भांति स्पष्ट हो जाती हैं।

(ख) उच्च शैक्षिक संस्थानों के उद्देश्यों को मूर्त रूप देना

उच्च शैक्षिक संस्थानों से पेशेवर ढ़ंग से समग्र तथा गुणवत्तायुक्त शिक्षा प्रदान करने, ज्ञान और नवीनता का सृजन करने, और व्यापारियों और पेशेवर समुदाय को ज्ञान के व्यावहारिक अनुप्रयोग द्वारा सहायता प्रदान करने की आशा की जाती है। तदनुसार, उच्च शिक्षा संस्थान को मुक्त और दूरस्थ शिक्षा पद्धित से कार्यक्रमों की पेशकश करने के लिए अपनी स्थिति को मजबूत करने के लक्ष्य के अनुरूप एक स्पष्ट विजन, मिशन, आचार और व्यापक कार्यनीति को मूर्तरूप देना चाहिए।

(ग) कार्यक्रम विकास और अनुमोदन की प्रक्रियाएं

निम्नवत महत्वपूर्ण पहलुओं को शामिल करते हुए चिंता का यह विषय कार्यक्रम(मों) विकास और अनुमोदन प्रणाली से संबंधित है :

- (i) पाठचक्रम डिजाइनः उच्च शिक्षा संस्थान पाठचचर्या सामग्री के डिजाइन और ज्ञान अर्जन की विषयवस्तु के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं और इसलिए, इन उत्तरदायित्वों के निवर्हन के लिए प्रक्रियाओं, प्रणालियों और संरचनाओं की अपेक्षा होती है। पाठचचर्या डिजाइन हितधारकों से प्राप्त प्रतिक्रिया के आधार पर विशेषज्ञ समूहों के साथ परामर्श में उपयुक्त आवश्यकता आधारित पाठचक्रम विकसित करने की एक प्रक्रिया है, जिसके परिणामस्वरूप लचीलेपन के साथ प्रासंगिक कार्यक्रमों का विकास होता है जो, शिक्षार्थी की पेशेवर और व्यक्तिगत आवश्यकताओं को पूरा करने और मूल मूल्यों को प्राप्त करने के लिए अनुकूल होता है। उभरते हुए राष्ट्रीय और वैश्विक रुझानों के अनुरूप तथा स्थानीय जरूरतों के लिए प्रासंगिक संस्थान की अच्छी पद्धतियों पर विचार कर कार्यक्रम के कई विकल्प और पाठचक्रमों को आरंभ किया जाना भी एक महत्वपूर्ण पहलू भी है।
- (ii) **पाठ्यचर्या योजना और कार्यान्वयनः** यह आवश्यक है कि उच्च शिक्षा संस्थान के पास कार्यान्वयन चरण के विशिष्ट घटकों हेतु दिए जाने वाले समय की पहचान करने के लिए विशिष्ट कार्यान्वयन योजनाएं होंगी। यह कार्यक्रम(मों) की प्रभावशीलता और संपूर्ण रूप से उनकी उपयोगिता का आधार है।
- (iii) शैक्षणिक लचीलापनः शैक्षणिक लचीलापन, शिक्षा की मुक्त और दूरस्थ शिक्षा पद्धति की मुख्य विशेषता है और पाठ्यक्रमों की समय—सीमा, ऊर्ध्वाधर गतिशीलता, और पाठयक्रमों में गठजोड़ द्वारा आसानी से अंतर— विधा विकल्प के उपयोग खुलेपन को दर्शाता है। इसलिए, उच्च शिक्षा संस्थान अकादिमक लचीलापन प्रदान करने के लिए उचित रणनीति अपनाएंगे।
- (iv) ज्ञान अर्जन हेतु संसाधनः ज्ञान अर्जन हेतु संसाधन, शिक्षा के मुक्त और दूरस्थ शिक्षा पद्धित का एक प्रमुख घटक है। ज्ञान अर्जन हेतु संसाधन प्रिंट और डिजिटल तरीके के हो सकते हैं। मिश्रित शिक्षा की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए, उच्च शिक्षा संस्थान को शिक्षार्थी को संदर्भ देने और अध्ययन के लिए ई— संसाधन विकसित करने चाहिए। शिक्षार्थियों के साथ शिक्षकों की कोई भी बहुत कम चर्चा होती है, शिक्षा की मुक्त और दूरस्थ शिक्षा पद्धित में ज्ञान अर्जन हेतु संसाधन की विषयवस्तु तथा ढ़ांचा एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसलिए, यह आवश्यक है कि प्रत्येक उच्च शिक्षा संस्थान, ज्ञान अर्जन हेतु संसाधनों की गुणवत्ता तथा उनकी आवधिक समीक्षा सुनिश्चित। मीडिया और प्रौद्योगिकियों की उपयुक्तता पर निर्णय लेने के दौरान, उच्च शिक्षा संस्थान को विभिन्न कारकों पर विचार करना चाहिए जो कि उपयोग की जाने वाली मीडिया और प्रौद्योगिकी पाठ्यक्रम की सामग्री से मेल खाती है तािक ज्ञान अर्जन को विस्तार दिया जा सके तथा विकास किया जा सके और शिक्षार्थियों की आवश्यकताओं के अनुरूप हो, तथा शिक्षार्थियों के लिए पहुंच के भीतर हों, व्यावहारिक और समानरूप से उपलब्ध हों और शिक्षार्थियों के लिए लागत प्रभावी हों।
- (v) प्रतिक्रिया प्रणालीः पाठ्यक्रम को संशोधित और पुनः डिजाइन करने की प्रक्रिया, हाल के बाजार की गतिशीलता, औद्योगिक विकास, शोध और विद्यार्थियों सहित हितधारकों से प्राप्त प्रतिक्रिया पर आधारित होगी। इस महत्वपूर्ण पहलू में समाज, अर्थव्यवस्था और पर्यावरण की आवश्यकताओं की पूर्ति करने में अपनी प्रासंगिकता और उपयुक्तता के संदर्भ में सभी हितधारकों की प्रतिक्रिया पर भी विचार किया जाता है।

(घ) कार्यक्रम निगरानी और समीक्षा

उच्च शिक्षा संस्थान कार्यक्रम की निगरानी की समीक्षा प्रणाली को आयोजनाबद्ध और निष्पादित करेगा जिसमें कार्यक्रम प्रबंधन संरचना, वार्षिक कार्यक्रम की समीक्षा, बाह्य बैंचमार्किंग, शिक्षार्थी सिहत हितधारकों से प्रतिक्रिया प्राप्त करने के लिए चैनल, और प्राप्त प्रतिक्रिया को बंद करने के लिए सुधार योजनाओं तथा कार्यवाहियों का विकास किया जाना शामिल होना चाहिए। शैक्षिक कार्यक्रम की गुणवत्ता बनाए रखने के लिए आवधिक आंतरिक समीक्षा किया जाना अपेक्षित है। ऐसी समीक्षाओं के लिए संस्थान परीक्षा प्रणाली के माध्यम से मृत्यांकन किए जाने वाले परिणामों की उपलब्धियों पर भी विचार करेगा।

(ङ) अवसंरचनात्मक संसाधन

यह मानदंड में शैक्षिक और अन्य कार्यक्रमों की गुणवत्ता —भौतिक सुविधाओं, पुस्तकालय (अथवा ई—पुस्तकालय), सूचना प्रौद्योगिकी अवसंरचना आदि को बनाए रखने के लिए विश्वविद्यालय या संस्थान में उपलब्ध सुविधाओं की पर्याप्तता और इष्टतम उपयोग पर आंकडे प्राप्त किए जाते है। इसमें यह जानकारी प्राप्त करनी भी अपेक्षित होती है कि संस्थान के प्रत्येक घटक यथा शिक्षार्थियों, शिक्षकों अथवा परामर्शदाताओं और कर्मचारियों — जो इन सुविधाओं से किस प्रकार लाभान्वित होते हैं।

(च) ज्ञान अर्जन हेतु परिवेश तथा शिक्षार्थी सहायता

सभी शिक्षार्थियों को सेवाएं प्रदान करने के लिए शिक्षार्थी सहायता इकाई उत्तरदायी है। ग्रंथालय सेवाओं सिहत शिक्षार्थी सहायता सेवाओं तक शिक्षार्थियों द्वारा इलेक्ट्रिनिक तरीके पहुंच बनाई जाएगी। ऑफलाइन और मिश्रित शिक्षा पद्धित से कार्यक्रम चलाए जाने पर 'वास्तविक पुस्तकालय' और कक्षा का परिवेश एक मुख्य आवश्यकता है। इसके अतिरिक्त, उच्च शिक्षा संस्थान ज्ञान अर्जन के परिवेश के घटक के रूप में आभासी सुविधाएं स्थापित करेंगे जो मिश्रित शिक्षा को समर्थन से आधुनिक शिक्षणिक पद्धितयों के शिक्षण हेतु उपयोग करने पर केंद्रित है। शिक्षार्थी सहायता सेवा, परिसर— व्यापी पोर्टल और ई— लर्निंग प्लेटफॉर्म के माध्यम से प्रदान की जाएगी। सूचना और संचार प्रौद्योगिकी का उपयोग तथा ई—लर्निंग में विशेषज्ञता प्राप्त करने के लिए संस्थान एक अधिक अत्याधुनिक पद्धित अपनाएगा। यह पद्धित एक निर्बाध शिक्षार्थी केंद्रित परिवेश प्रदान करेगी।

(छ) आंकलन और मूल्यांकन

पाठ्यक्रम या कार्यक्रम के सफलतापूर्वक समापन होने पर शिक्षार्थी क्या सीखेगा तथा वह किस प्रकार का प्रदर्शन करेगा, यह ज्ञान अर्जन के परिणाम हैं। इसे कौशल और ज्ञान की प्राप्ति के संदर्भ में ज्ञान अर्जन की प्रक्रिया के वांछित परिणाम के रूप में भी देखा जा सकता है। वे पाठ्यक्रम के साथ जुड़े हुए हैं। ज्ञान अर्जन के परिणामों को प्राप्त करने के लिए शिक्षार्थी को एक विशिष्ट अनुभव प्रदान किया जाना होता है तथा उनके द्वारा प्राप्त किए गए ज्ञान का मूल्यांकन किया जाना होता हैं। संस्थान को यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता होती है कि आंकलन के उद्देश्य पाठ्यक्रम सामग्री में स्पष्ट रूप से वर्णित हैं, और शिक्षार्थी कुछ कार्यो को कर पाने में सक्षम हैं। एक कार्यक्रम जिसमें ऐसे ज्ञान अर्जन के परिणामों का उल्लेख किया गया हो जिनका मूल्यांकन नहीं किया जाता, उनकी कार्यान्वयन में अनदेखी हो जाती है। इसलिए, ज्ञान अर्जन के सभी उल्लिखित परिणाम, कार्यक्रम के मूल्यांकन नयाचार का भाग होने चाहिए। ज्ञान अर्जन मूल्यांकन ऐसे क्षेत्रों को इंगित करता है जिनमें ज्ञान अर्जन हुआ है और जहां सुधार किया जाना है। उच्च शिक्षा संस्थान विभिन्न मूल्यांकन साधनों यथा बहु विकल्प प्रश्नों, परियोजनाओं, रिपोर्टों, मामला अध्ययन, प्रस्तुतियों और वर्षांत पर होने वाली परीक्षाओं के माध्यम से आंकलन और मूल्यांकन करेंगे तािक पाठयक्रम से प्रत्यािशत विभिन्न ज्ञान अर्जन परिणामों पर खरा उतरा जा सके। उच्च शिक्षा संस्थानों में शिक्षािर्थियों के ज्ञान अर्जन परिणामों का आंकलन करने के लिए समुचित आंकलन और आशोधन प्रणाली होगी।

(ज) शिक्षण गुणवत्ता और कमचारिवृंदों का विकास

उच्च शिक्षा संस्थानों के पास गुणवत्ता परामर्श को बढ़ावा देने और कमचारिवृंदों के लिए विकास कार्यक्रमों और क्रियाकलापों को चलाने तथा अध्यापन और शिक्षण में सुधार लाने के लिए अकादिमक कर्मचारिवृंदों को को प्रोत्साहित करने के लिए एक सुस्थापित ढ़ांचा होगा। उच्च शिक्षा संस्थान को ज्ञान अर्जन के संस्थागत परिणामों और विषय संबंधी ज्ञान अर्जन परिणामों के बोध और उन्हे कार्यान्वित करने में शैक्षणिक कर्मचारियों को सहायता प्रदान करनी चाहिए। संस्थान को यह सुनिश्चित करने की भी आवश्यकता है कि शैक्षणिक कर्मचारिवृंद रचनात्मक और समग्र मूल्यांकन प्रक्रियाओं से परिचित हैं तथा ज्ञान अर्जन की प्रक्रिया में उनका महत्व से अवगत हैं।

गुणवत्ता लेखा परीक्षा की प्रक्रिया

(क) शैक्षणिक योजनाः शैक्षणिक योजना का मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि उच्च शिक्षा संस्थानों द्वारा पेशकश किए गए कार्यक्रमों का समग्र पोर्टफोलियो बाजार की जरूरतों के संबंध में प्रासंगिक है, यह संस्थान की कार्यनीतिक दिशा को दर्शाता है और एक उच्च गुणवत्तायुक्त 'मूल्यवर्धित' अनुभव की पेशकश करता है। शैक्षिक नियोजन सुदृढ़ और उपर्युक्त प्रक्रियाओं को बढ़ावा देता है तािक यह सुनिश्चित करने में मदद की जा सके कि प्रत्येक नए कार्यक्रम में समान शिक्षार्थियों को प्रवेश दिया जा सके और पाठ्यक्रम में बनाए रखा जा सके। यह सुनिश्चित करने के लिए कि पाठ्यक्रम अद्यतन रहे, संस्थान ने कर्मचारिवृंदो को सहायता प्रदान करने के लिए आशोधन प्रक्रिया का सुग्नाहीकरण करना आरंभ कर दिया है। इस प्रक्रिया के पीछे मार्गदर्शक सिद्धांत यह है कि सभी संगत

हितधारकों को सूचित किया जाता है और उनके साथ परामर्श किया जाता है और नए कार्यक्रमों को आरंभ करने के दौरान शिक्षार्थियों की जरूरतों का मूल्यांकन किया जाता है।

- (ख) अधिप्रमाणन : अधिप्रमाणन किए जाने का मुख्य उद्देश्य उच्च शिक्षा संस्थान को आश्वस्त करना है कि एक नया कार्यक्रम अकादिमक रूप से व्यवहारिक है, इसमें शैक्षणिक मानकों को उचित रूप से परिभाषित किया गया है और इससे शिक्षार्थियों को सीखने का सबसे अच्छा मौका मिलेगा।
- (ग) निगरानी, मूल्यांकन और विकास योजना : उच्च शिक्षा संस्थानों में, ऐसे अनेक स्तर होंगे जहां से मुक्त और दूरस्थ शिक्षा कार्यक्रमों की गुणवत्ता के साथ प्रदान करना सुनिश्चित करने के संबंध में रिपोर्ट तैयार की जाती हैं और उनके अंतिम परिणाम प्राप्त होते हैं। नीचे इनका ब्यौरा दिया गया है:
- (i) **िक्षार्थी सहायता केन्द्र से रिपोर्टे** : उच्च शिक्षा संस्थान, शैक्षिक क्रियाकलापों की रिपोर्ट और अन्य संबंधित क्रियाकलापों के संबंध में समय—समय पर शिक्षार्थी सहायता केंद्र से रिपोर्टे एकत्रित करेंगे। शैक्षिक नियोजन, परामर्श, शिक्षार्थी सहायता आदि से संबंधित सभी क्रियाकलापों का विवरण होना चाहिए। उच्च शिक्षा संस्थान को इन रिपोर्टों को सुलभता से प्राप्त करने के लिए प्रौद्योगिकीय समाधान अपनाएंगे। यह रिपोर्ट गुणवत्ता लेखापरीक्षा के लिए आधार का काम करेंगी।
- (ii) **बाह्य परीक्षक या अन्य बाह्य एजेंसियों की रिपोर्टें** : कार्यक्रम विकास दल और आंतरिक गुणवत्ता आश्वासन केंद्र के दल, विशेषज्ञों और गुणवत्ता लेखा परीक्षकों के तृतीय पक्ष द्वारा की गई टिप्पणियों पर विचार करेंगे। उच्च शिक्षा संस्थान भी ऐसी बेहतर पद्धतियों को अपनाने पर विचार करने के लिए प्रोत्साहित करेगा जो कार्यक्रम को लाभान्वित करेंगे और उसका विकास करेंगे।
- (iii) कार्यक्रम, संकाय और उच्च शिक्षा संस्थान के स्तरों पर निष्पादन संबंधी आंकड़ों पर प्रणालीबद्ध पद्धित से विचार करना: एक सार्थक मूल्यांकन और लेखापरीक्षा करने के लिए, उच्च शिक्षा संस्थान को निष्पादन की निगरानी की जानकारी जैसे कि पाठ्यक्रम में उत्तीर्ण होने की दर, शिक्षार्थी प्रवेश प्रोफाइल और प्रगति और उपलब्धि रिपोर्ट तक सुलभ पहुंच की आवश्यकता है। इन्हें एक वेब— आधारित एप्लिकेशन के माध्यम से तैयार किया जाएगा तथा उसी के माध्यम से यह उपलब्ध होंगे। आवेदन के माध्यम से एकत्रित आंकड़े उच्च शिक्षा संस्थान में रिपोर्ट बनाने के लिए उपयोगी होंगे।
- (iv) **उच्च शिक्षा संस्थान द्वारा रिपोर्टिंग और विश्लेषण** : आगे, उच्च शिक्षा संस्थान इस तरह के वेब—आधारित अनुप्रयोगों से आवश्यक रिपोर्ट तैयार करेगा और बेहतर निष्पादन करने के लिए किए जाने वाले सुधारों को तय करने के लिए शिक्षार्थी शिक्षा संबंधी विश्लेषिकी का विश्लेषण करेगा।
- (v) आवधिक समीक्षा: उच्च शिक्षा संस्थान को अपने कार्यक्रमों में सुधार के लिए नियमित रूप से हितधारकों से प्रतिक्रियाओं की मांग करने के लिए एक प्रभावी प्रणाली विकसित किए जाने की आवश्यकता है। इसके कार्यक्रमों और कार्यान्वयन इकाइयों के लिए एक एकीकृत गुणवत्ता आश्वासन प्रणाली की आवश्यकता है, जिसमें शिक्षार्थी सहायता केंद्र भी शामिल है। उच्च शिक्षा संस्थान को नियमित रूप से स्व —मूल्यांकन करने की आवश्यकता होती है और इसके प्रचालनों और कार्यक्रमों में सुधार के लिए परिणामों का उपयोग करता है।

अनुलग्नक III

परीक्षा केंद्रों पर पालन किए जाने वाले न्यूनतम मानक

- 1. छात्रों की सुविधा के लिए परीक्षा केंद्र, शहर बीचों— बीचे, रेलवे स्टेशन या बस स्टैंड से भली— भांति जुड़ा होना चाहिए।
- 2. किसी शहर या राज्य में परीक्षा केन्द्रों की संख्या, क्षेत्र से छात्र नामांकन के अनुपात में होना चाहिए।
- 3. परीक्षा केंद्र का भवन और खेल का मैदान साफ- सुथरा और अच्छी हालत में होना चाहिए।
- 4. परीक्षा केंद्र में बैठने की पर्याप्त क्षमता और बुनियादी सुविधाओं के साथ एक परीक्षा कक्ष होना चाहिए।
- 5. आग बुझाने के संयंत्र चालू हालत में होने चाहिए, उन्हें रखे जाने का स्थान अच्छी तरह से चिह्नित और सुलभता से ज्ञात होना चाहिए। आपातकालीन निकास स्पष्ट रूप से चिह्नित होना चाहिए और अवरोधों से मुक्त होना चाहिए।
- 6. परीक्षा केंद्र में पर्याप्त प्रकाश, संवातन और आराम से बैठने की व्यवस्था करनी चाहिए। परीक्षा केन्द्र की संरक्षा और सुरक्षा सुनिश्चित की जानी चाहिए।
- 7. विश्रामगृह, परीक्षा केंद्र के ही भवन में स्थित होना चाहिए और विश्रामगृह साफ होना चाहिए, आवश्यक वस्तुएं मुहैया करवाई जानी चाहिए तथा यह चालू हालत में होना चाहिए।
- 8. शिक्षार्थियों के लिए पीने के पानी की व्यवस्था की जानी चाहिए।

- 9. परीक्षा केंद्र के समीप पर्याप्त पार्किंग व्यवस्था होनी चाहिए।
- 10. निशक्त व्यक्तियों के लिए सुविधाएं उपलब्ध होनी चाहिए।

अनुलग्नक IV

कैम्पस में अथवा कैम्पस से इतर पाठ्यक्रम या अध्ययन केंद्र और विश्वविद्यालयों के प्रादेशिक क्षेत्राधिकार

- क) एक केन्द्रीय या राज्य सरकार विश्वविद्यालय अपने स्वयं के विभागों, इसके घटक महाविद्यालयों या उसके संबद्ध महाविद्यालयों के माध्यम से पाठ्यक्रम संचालित कर सकता है।
- ख) राज्य अधिनियम द्वारा या उसके अधीन स्थापित अथवा सिम्मिलित एक विश्वविद्यालय केवल उसके अधिनियम के तहत आवंटित क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र के भीतर ही कार्य करेगा और कोई भी मामला उसके अवस्थिति से परे नहीं होगा।
- ग) निजी विश्वविद्यालय और सम विश्वविद्यालय किसी भी महाविद्यालय अथवा संस्थान से अपने डिप्लोमा, डिग्री या अन्य उपाधियों को प्रदान करने के लिए पाठ्यक्रम संचालित करने के लिए संबद्ध नहीं कर सकते हैं।
- घ) कोई भी विश्वविद्यालय, चाहे केंद्रीय, राज्य, निजी अथवा सम विश्वविद्यालय हो, वह अपने कार्यक्रमों को निजी प्रशिक्षण संस्थानों के साथ फ्रेंचाइजींग व्यवस्था के जरिए प्रदान नहीं कर सकता है, चाहे पाठयक्रमों को दूरस्थ शिक्षा पद्धति के माध्यम से संचालित किया जाना हो।
- ङ) सभी विश्वविद्यालय केवल ऐसी डिग्री प्रदान करेंगे, जैसा कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा विनिर्दिष्ट किया गया है और सरकारी राजपत्र में प्रकाशित किया गया है।
- च) विश्वविद्यालय इस संबंध में आयोग द्वारा अधिसूचित विनियमों के अनुसार अपनी प्रथम डिग्री और निष्णात डिग्री कार्यक्रम आयोजित करेगा।

विनियामककारी प्रावधान

(क) निजी विश्वविद्यालयों के संबंध में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के विनियम

एक राज्य अधिनियम के तहत स्थापित एक निजी विश्वविद्यालय एक एकात्मक विश्वविद्यालय होगा। एक निजी विश्वविद्यालय अपनी स्थापना के पांच वर्ष पश्चात् तथा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (निजी विश्वविद्यालयों में मानकों की स्थापना और रखरखाव) विनियम, 2003 के तहत निर्धारित शर्तों पर खरा उतरने के अध्यधीन कैम्पस से इतर केन्द्र, ऑफ शोर कैम्पस और अध्ययन केंद्रों की स्थापना करने की अनुमति प्रदान की जा सकती है। अब तक, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने कैम्पस से इतर केन्द्र या अध्ययन केंद्रों को स्थापित करने के लिए किसी भी निजी विश्वविद्यालय को अनुमित नहीं दी है।

(ख) सम विश्वविद्यालयों के संबंध में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के विनियम

एक सम विश्वविद्यालय केवल अपने मुख्यालय अथवा उन कैम्पस से इतर केन्द्रों, ऑफ शोर कैम्पस से ही संचालित होगी, जिन्हें सरकारी राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना के माध्यम से भारत सरकार द्वारा अनुमोदित किया गया है।

दूरस्थ शिक्षा कार्यक्रमों के मामले में, कोई भी सम विश्वविद्यालय जिसे भारत सरकार द्वारा दिनांक 26 मई, 2010 (विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (सम विश्वविद्यालय संस्थान) विनियम, 2010, के प्रकाशन की तिथि) को सम विश्वविद्यालय घोषित किया गया हो उसे दूरस्थ पद्धति से पाठ्यक्रमों को संचालित करने की अनुमति दी गई है।

दिनांक 26 मई, 2010 से पहले सम विश्वविद्यालय घोषित किए जाने वाले संस्थानों को 26 मई, 2010 के बाद अनुमोदित किसी भी 'ऑफ– कैम्पस सेंटर' या 'ऑफ– शोर कैम्पस' से दूरस्थ पद्धति से पाठयक्रम संचालित करने की अनुमति नहीं दी गई है।

नए पाठ्यक्रमों के लिए अनुमोदन और सम विश्वविद्यालयों द्वारा पहले ही दूरस्थ शिक्षा पद्धति के तहत संचालित किए जा रहे कार्यक्रमों को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा निर्धारित शर्तों पर खरा उतरने के पश्चात् ही अनुमोदन प्रदान किया जाएगा।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने किसी भी विश्वविद्यालय को अध्ययन केंद्र स्थापित करने के लिए अनुमोदन प्रदान नहीं किया है।

निजी विश्वविद्यालयों या सम विश्वविद्यालयों के संबंध मान्यता और उनके माध्यम से पेशकश किए गए पाठ्यक्रमों के संबंध में कोई भी जानकारी या स्पष्टीकरण जेएस (सीपीपी–आई) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, बहादुरशाह जाफर मार्ग, नई दिल्ली से प्राप्त किया जा सकता है। [भाग III—खण्ड 4] भारत का राजपत्र : असाधारण 21

(ग) केंद्रीय विश्वविद्यालयों और राज्य सरकार के विश्वविद्यालयों के दूरस्थ शिक्षा कार्यक्रम

केन्द्र अथवा राज्य सरकार के विश्वविद्यालय अपने संबंधित अधिनियमों के उपबंधों और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अनुमोदन के पश्चात ही दूरस्थ शिक्षा पद्धति के माध्यम से पाठ्यक्रम संचालित कर सकते हैं।

अनुलग्नक ${f V}$

शिक्षार्थी सहायता केंद्र में परामर्शदाता की सक्षमताएं

- 1. एक मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातकोत्तर उपाधि प्राप्त होनी चाहिए।
- 2. दूरस्थ शिक्षार्थियों की विशेषताओं, उनकी जरूरतों और परंपरागत आमुख शिक्षा पद्धति से भिन्नता के संबंध में बुनियादी शोध से परिचित होना चाहिए।
- 3. अनुदेशात्मक डिजाइन के बुनियादी सिद्धांतों को लागू करने के संबंध में जानकारी होनी चाहिए।
- 4. पाठ्यक्रम(मों) से संबंधित विषय सामग्री और सामान्य गलत धारणाओं का संपूर्ण ज्ञान होना चाहिए।
- 5. ऑनलाइन और मिश्रित शिक्षण पद्धति में शिक्षार्थी केंद्रित परिवेश की आवश्यकता की गहरी समझ होनी चाहिए।
- 6. रचनात्मक ज्ञान अर्जन परिवेश को तैयार करने की क्षमता होनी चाहिए।
- 7. ज्ञान अर्जन के सिद्धांतों, स्वयं की क्षमता के अनुरूप शिक्षण और कंप्यूटर के माध्यसम से सम्प्रेषण और ज्ञान प्राप्ति का व्यावहारिक अनुप्रयोग होना चाहिए।
- 8. शिक्षार्थियों के बीच एक-समुदाय की भावना को बढ़ावा देने की क्षमता होनी चाहिए।
- 9. मीडिया की क्षमताओं और सीमाओं के साथ अनुकूलता और लचीलापन बिठाना आना चाहिए।
- 10. मीडिया की छोटी– मोटी समस्याओं के स्वयं दूर करने करने के लिए प्रणाली से परिचित होना चाहिए।
- 11. अनेकानेक स्वरूप के कार्य करने की क्षमता होनी चाहिए।
- 12. समय प्रबंधन (उदाहरण के लिए समय से शिक्षार्थियों की समस्याओं का हल करना, व्यापक और अग्रिम तैयारी और आयोजना) आना चाहिए।
- 13. व्यावसायिक विशेषताएं (उदाहरण के लिए शिक्षण कार्य को करने के लिए प्रेरित, भरपूर आत्मविश्वास, मुखर, अच्छा लेखक) होना चाहिए।

अनुलग्नक VI

शैक्षणिक और बुनियादी आवश्यकताएं

I. मुक्त वि वविद्यालय अथवा एकल पद्धति वाले उच्च िक्षा संस्थान

अपने संबंधित अधिनियम(मों) के अनुसार मुक्त विश्वविद्यालय में विनिर्दिष्ट पदों का छोड़कर, निम्नलिखित पदों पूर्णकालिक और समर्पित आधार पर हैं: —

- क. मुख्यालय में कर्मचारिवृंद संबंधी मानदंडः
- 1. आचार्य के स्तर पर प्रत्येक विद्यालय के लिए मुखिया।
- 2. एक विद्यालय के अंतर्गत प्रत्येक विधा अथवा विशेषज्ञता अथवा कार्यक्रम में शैक्षणिक कर्मचारियों की संख्या।

निम्नलिखित के अनुसार न्यूनतम तीन संकाय सदस्यों की आवश्यकता है:

सह आचार्यः 1 सहायक आचार्यः 2

3. मुख्यालय अथवा मुख्य परिसर में प्रशासनिक कर्मचारियों की संख्या (दस हजार छात्रों तक):

उप कुल सचिवः 1 सहायक कुल सचिवः 1 अनुभाग अधिकारीः 1 सहायकः 3

कंप्यूटर ऑपरेटरः 2

मल्टी टॉस्किंग स्टॉफः 2

दस हजार से अधिक नामांकन होने पर, मुक्त विश्वविद्यालय उपयुक्त रूप से पदों की संख्या को बढ़ा सकता है।

शिक्षकः शिक्षणेत्तर कर्मचारिवृंद (एनटीएस) अनुपात – 1 : 2 बनाए रखा जाएगा।

ख. वास्तविक अवसंरचनाः

इन विनियमों के प्रयोजनार्थ मौजूदा मुक्त विश्वविद्यालयों के अलावा, न्यूनतम आवश्यकता, समय—समय पर यथा संशोधित विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (अनुदान हेतु मुक्त विश्वविद्यालयों की योग्यता) नियम, 1988 के अनुरूप होगी।

II. दूरस्थ शिक्षा केन्द्र (सीडीई) / दोहरी पद्धति से शिक्षा प्रदान करने वालाउच्च शिक्षा संस्थान

- क. मुख्यालय में कर्मचारिवृंद संबंधी मानदंडः
- 1. निदेशकः (स्थायी, पूर्णकालिक आधार पर नियोजित आचार्य) जिसके पास दूरस्थ शिक्षा के क्षेत्र में पेशेवर अनुभव हो)
- 2. शैक्षणिक कर्मचारिवृंदों की संख्याः

सह और सहायक आचार्य स्तर पर प्रति विधा या विशेषज्ञता या कार्यक्रम के लिए कम से कम दो संकाय सदस्य (मुक्त और दूरस्थ शिक्षा (ओडीएल) पाठ्यक्रमों के लिए पूर्णकालिक तथा समर्पित)।

3. मुख्यालय या मुख्य परिसर में प्रशासनिक कर्मचारिवृंदों की संख्या

(पांच हजार छात्रों तक)ः

उप कुल सचिवः 1
सहायक कुल सचिवः 1
अनुभाग अधिकारीः 1
सहायकः 2
कंप्यूटर ऑपरेटरः 2

चतुर्थ श्रेणी के कमचारिवंदः 2

पांच हजार से अधिक नामांकन होने पर, दूरस्थ शिक्षा केन्द्र अथवा विश्वविद्यालय पदों की संख्या को यथा अनुपात बढ़ा सकता है। शिक्षकः शिक्षणेत्तर कर्मचारिवृंद (एनटीएस) अनुपात — 1 : 2 बनाए रखा जाएगा।

ख. वास्तविक अवसंरचनाः

मुक्त और दूरस्थ शिक्षा संबंधी क्रियाकलापों के लिए कुल निर्मित क्षेत्रः न्यूनतम 15000 वर्ग फुट (फर्शी क्षेत्रफल):

क्रम संख्या	निर्मित क्षेत्र का स्वरूप	प्रति'ात (%)	निर्मित क्षेत्रफल (फर्शी क्षेत्रफल वर्ग फुट में):
1	शिक्षा संबंधी	50 प्रतिशत	7500
2	प्रशासनिक	10 प्रतिशत	1500
3	शिक्षण संबंधी सहायता जैसे ग्रंथालय, वाचनालय, कंप्यूटर केंद्र, सूचना और संचार प्रौद्योगिकी प्रयोगशालाएं, वीडियो और ऑडियो प्रयोगशालाएं आदि।	30 प्रतिशत	4500

4	सुविधाएं या अन्य सहायता सुविधाएं	10 प्रतिशत	1500
कुल			15000

नोटः शौचालयों के लिए निर्मित क्षेत्रफल अलग होगा।

अनुलग्नक VII

बहु-मीडिया, मानव संसाधन, पाठ्यचर्या और शिक्षण हेतु शिक्षण सामग्री की गुणवत्ता आश्वासन संबंधी दिशानिर्देश

1. ज्ञान अर्जन सामग्री (प्रिंट मीडिया)

प्रिंट—मीडिया के माध्यम से ज्ञान अर्जन सामग्री को स्व— शिक्षण सामग्री कहा जाता है, जिसे स्व —व्याख्यात्मक, अपने आप में परिपूर्ण, स्व— निर्देशित, स्व— प्रेरणादायक और स्व— मूल्यांकन के दृष्टिकोण से विकसित किया जा रहा है। मुद्रित सामग्री के लिए गुणवत्तायुक्त मानकों की एक बोधात्मक सूची नीचे दी गई है:

- (क) स्व शिक्षण सामग्री, शिक्षार्थी और विषयवस्तु के बीच दो—तरफा सम्प्रेषण की दृष्टिकोण तैयार की जाएगी।
- (ख) स्व शिक्षण सामग्री, विभिन्न अनुभव—आधारित क्रियाकलापों और कार्यों के माध्यम से शिक्षार्थी को सक्रिय रूप से शिक्षण प्रक्रिया में शामिल करेगी।
- (ग) शिक्षार्थी को कार्यक्रम और पाठ्यक्रम की संरचना के बारे में स्पष्ट जानकारी प्राप्त होनी चाहिए।
- (घ) स्व शिक्षण सामग्री में शिक्षार्थियों के लिए स्वयं सीखने की सामग्रियों में विस्तृत जानकारी होगी ताकि वह अपने अध्ययनों को पूरा करने के लिए स्व-निर्देशित किया हो सके।
- (ङ) स्व शिक्षण सामग्री की संवाद और व्यक्तिगत रूप से लिखने की विधि के साथ विकसित की जाएगी जो स्वयं शिक्षण सामग्री में अन्तरक्रियाशीलता की प्रकृति पैदा करेगा।
- (च) स्व शिक्षण सामग्री शिक्षार्थी को नए ज्ञान और कौशल को लागू करने के लिए प्रोत्साहित करेगी।
- (छ) ज्ञान अर्जन के उद्देश्यों और परिणाम स्पष्ट रूप से परिभाषित होंगे।
- (ज) प्रभावी ढ़ंग से शिक्षण के लिए विषयवस्त् छोटे खंड (ब्लॉक) और उप खंड (इकाइयां और उप–इकाइयों) में विभाजित की जाएगी।
- (झ) प्रत्येक ज्ञान अर्जन के उद्देश्य के लिए आत्म मूल्यांकन हेतु एक कार्य दिया जाएगा।
- (ञ) पाठ्यक्रम की प्रकृति के अनुसार शिक्षार्थी को समस्या निवारण संबंधी क्रियाकलाप के माध्यम से ज्ञान अर्जन कराया जाएगा ।
- (ट) स्व शिक्षण सामग्री निम्नलिखित विषेशताओं के साथ सुपरिभाषित प्रारूपों में विकसित की जाएगी :
 - (i) समान अभिन्यास एवं प्रारूप
 - (ii) विषयवस्तु के सार को सम्मिलित करना
 - (iii) खंड के आरंभ में एक खंड संरचना।
 - (iv) अनेकानेक उदाहरण
 - (v) ज्ञान अर्जन पूर्व संदर्भ
 - (vi) राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय मामलों और मामला अध्ययनों का समावेश।
 - (vii) ज्ञान अर्जन के उद्देश्यों और परिणाम के साथ खंड की विषयवस्तू को समक्रमिक बनाना।
 - (viii) सामग्री में उपयोग किए गए चिह्नों की व्याख्या
 - (ix) सामग्री का उपयुक्त क्रम।
 - (x) एक शब्दावली भाग में तकनीकी, नए, कठिन शब्दों या शब्द पर स्पष्टीकरण।
 - (xi) अतिरिक्त पठन हेतु सुझाए गई पठन सामग्री (प्रिंट और ऑनलाइन दोनों) का समावेश।

2. श्रव्य- दृश्य सामग्री : गुणवत्ता मानक

- (क) शिक्षार्थियों के पूर्व ज्ञान, कौशल और अभिवृत्ति पर पर्याप्त रूप से विचार किया जाएगा।
- (ख) भाषा का स्तर और शैली उपर्युक्त होगी।
- (ग) शिक्षार्थियों द्वारा उपयोग की जाने वाली सहायता सामग्री और अध्ययन क्रियाकलापों के प्रकार के बारे में स्पष्ट जानकारी होगी।
- (घ) यह स्पष्ट और असंदिग्धार्थी होगी, सामान्यतः शैक्षणिक संक्षेपाक्षरों से मुक्त होगी।
- (ङ) श्रव्य– दृश्य सामग्री के उद्देश्य और लक्ष्य तथा लक्षित दर्शकों को स्पष्ट रूप से परिभाषित किया जाएगा।
- (च) यह ज्ञान अर्जन के परिणामों के अनुरूप मूल्यांकन करने में सक्षम होगा।
- (छ) पाठ्यक्रम की अन्य विषयवस्तु की तुलना में श्रव्य- दृश्य सामग्री के उपयोग के संबंध में स्पष्ट दिशानिर्देश होंगे।
- (ज) श्रव्य– दृश्य सामग्री को प्ररूप और प्रारूपों में विकसित किया जाएगा, जिन तक शिक्षार्थियों की आसानी से पहुंच होगी।
- (झ) अध्ययन में श्रव्य— दृश्य सामग्री का उपयोग करने के संबंध में दिशानिर्देश देने के लिए पृथक श्रव्य— दृश्य सामग्री नियमपुस्तिका होगी।
- (ञ) श्रव्य— दृश्य सामग्री, श्रव्य—आधारित अध्ययन सत्रों में निरंतरता और क्रमता प्रदान करेगी।
- (ट) श्रव्य- दृश्य सामग्री में ध्वनि और छवि की समक्रमिकता होगी।
- (ठ) पाठ्यक्रम की विषयवस्तु से संबंधित संगत ग्राफिक्स और एनीमेशन होंगे।
- (ड) शिक्षार्थी को इसमें बनाए रखने के लिए उपर्युक्त 'दृश्य बनावट' और छवि की परिवर्तन दर होगी।

3. ऑनलाइन सामग्री : गुणवत्ता मानक

- (क) पाठ्यक्रम को इकाइयों और पाठ में क्रमबद्ध किया जाएगा
- (ख) इकाइयों के घटक विवरण, उद्देश्यों, क्रियाकलापों, कार्यों और संसाधनों के साथ इकाइयों के सार का ब्यौरा होगा।
- (ग) कार्यक्रम में पाठ्यक्रम के बीच एक कार्यक्रम के खाके और अंतर्संबंध मैट्रिक्स की उपलब्धता होगी।
- (घ) पाठ्यक्रम में प्रत्येक मॉड्यूल या इकाई के क्रेडिट मान का विवरण होगा।
- (ङ) पाठ संबंधी क्रियाकलापों, चर्चाओं और साहित्यिक चोरी के बारे में शैक्षिक सत्यनिष्ठा और 'नेटिकेट्स' (इंटरनेट के शिष्टाचार) की अपेक्षाओं पर स्पष्ट दिशानिर्देश होंगे।
- (च) पाठ के सार, विषयवस्तु और क्रियाकलाप, असाइनमेंट दिए जाएंगे ताकि शिक्षार्थी विषयवस्तु पर महारत हासिल कर सकें।
- (छ) पाठ्यक्रम को इस प्रकार से तैयार किया जाएगा ताकि सभी अवधारणाओं और कौशल को सिखाया जा सके जिसे शिक्षार्थी अध्ययन के दौरान स्मरण रखेगा।
- (ज) शिक्षार्थी की रूचि को सक्रिय शिक्षण में बनाए रखने के लिए शिक्षण के अनेकानेक तरीके होंगे।
- (झ) विषयवस्तु, शिक्षार्थियों को उच्च स्तर की सोच बनाने, महत्वपूर्ण— तर्क संबंधी क्रियाकलाप तथा जटिल तरीकों से विचारों को उन्नत बनाने हेतु अवसर प्रदान करती है।
- (ञ) उपयुक्त पठन— पाठन के स्तर, लिखित भाषा, असाइनमेंट और गणितीय अपेक्षाएं होंगी।
- (ट) विषयवस्तु, में समय-समय पर ज्ञान अर्जन की प्रक्रिया के बारे में प्रतिक्रिया दी जाएगी।
- (ठ) पाठ्यक्रम में किसी विषय को ढूढना आसान होगा।
- (ड) पाठ्यक्रम पूरा करने के लिए अनिवार्य अतिरिक्त पाठ्यपुस्तकों, पाठ्य सामग्री और ऑनलाइन संसाधनों की घोषणा की जाएगी;
- (ढ) विभिन्न उपकरणों पर विषयवस्तु उपलब्ध होगी।
- (ण) ऑनलाइन सामग्री निशक्त विद्यार्थियों की आवश्यकताओं की पूर्ति करेगी।

4. कंप्यूटर आधारित सामग्री : गुणवत्ता मानक

(क) कम्प्यूटर आधारित सामग्री, शिक्षार्थी को अपनी गति और अपने समय में, अभ्यास के लिए एक परिवेश प्रदान करेगी।

- (ख) कंप्यूटर आधारित सामग्री स्व-मूल्यांकन के लिए एक परिवेश प्रदान करेगी।
- (ग) यह शिक्षार्थियों को स्वयं के लिए सिद्धांतों और अवधारणाओं को खोजने के लिए विश्लेषण और निर्णय लेने के कौशल विकसित करने में सक्षम बनाएगा।
- (घ) पाठ्यक्रम इकाइयों और पाठ में विभाजित किया जाएगा।
- (ङ) इकाई के घटक–विवरण, उद्देश्यों, क्रियाकलापों, कार्य और संसाधनों के साथ इकाई का ब्यौरा होगा।
- (च) कार्यक्रम में पाठ्यक्रमों के बीच एक कार्यक्रम के खाके और अंतर्संबंध मैट्रिक्स की उपलब्धता होगी।
- (छ) पाठ्यक्रम में प्रत्येक मॉड्यूल या इकाई के क्रेडिट मान का विवरण होगा।
- (ज) पाठ के सार, विषयवस्तु और क्रियाकलाप, असाइनमेंट दिए जाएंगे ताकि शिक्षार्थी विषयवस्तु पर महारत हासिल कर सकें।
- (झ) पाठ्यक्रम को इस प्रकार से तैयार किया जाएगा ताकि सभी अवधारणाओं और कौशल को सिखाया जा सके जिसे शिक्षार्थी अध्ययन के दौरान स्मरण रखेगा।
- (ञ) शिक्षार्थी की रूचि को सक्रिय शिक्षण में बनाए रखने के लिए शिक्षण के अनेकानेक तरीके होंगे।
- (ट) विषयवस्तु, शिक्षार्थियों को उच्च स्तर की सोच बनाने, महत्वपूर्ण— तर्क संबंधी क्रियाकलाप तथा जटिल तरीकों से विचारों को उन्नत बनाने हेतु अवसर प्रदान करती है।
- (ठ) उपयुक्त पठन–पाठन के स्तर, लिखित भाषा, असाइनमेंट और गणितीय अपेक्षाएं होंगी।
- (ड) पाठ्यक्रम में किसी विषय को ढूढना आसान होगा।
- (ढ) पाठ्यक्रम पूरा करने तथा उसमें महारत हासिल करने के लिए अनिवार्य अतिरिक्त पाठ्यपुस्तकों, पाठ्य सामग्री और ऑनलाइन संसाधनों की घोषणा की जाएगी;
- (ण) कम्प्यूटर–आधारित सामग्री निशक्त छात्रों की आवश्यकताओं की पूर्ति करेगी।

5. पाठचचर्या और अध्यापन : गुणवत्ता मानक

- (क) पाठ्यक्रम के उद्देश्यों उच्च शिक्षा संस्थान के मिशन के अनुरूप होंगे।
- (ख) पाठ्यक्रम के उद्देश्य को तैयार करने की प्रक्रिया में सभी हितधारकों की भागीदारी होगी।
- (ग) पाठ्यक्रम को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के मानक पाठ्यक्रम को अपनाकर और स्थानीय या क्षेत्रीय जरूरतों को शामिल करके तैयार किया जाएगा।
- (घ) शिक्षण के स्तर के अनुरूप पाठ्यक्रम की उपयुक्तता के पीछे तर्काधार होगा।
- (ङ) शिक्षण के पिछले और बाद के चरणों से पाठ्यक्रम के संबंध होंगे।
- (च) शिक्षण के ऐसे अनुभव होंगे जिनमें तरीकों की विविधता (जैसे अभ्यास द्वारा शिक्षण, संवितरित और एकाग्रता के साथ अभ्यास के अवसर, सहपाठियों के साथ शिक्षण, विभाग के भीतर और बाहर की औपचारिक स्थितियों में शिक्षण, स्व अध्ययन, शिक्षक द्वारा विशिष्ट टिप्पणी आदि) होगी।
- (छ) पाठ्यक्रम की संरचना परिभाषित होगी।
- (ज) शिक्षण और ज्ञान अर्जन के तरीकों के संबंध में एक पूरी कार्यनीति होगी।
- (झ) उपयोग की गई मीडिया विषयवस्त् के स्वरूप के आधार पर निर्णय लिया जाएगा।
- (ञ) मूल्यांकन और आंकलन की तकनीकों के एक व्यापक निर्णय लिया जाएगा।
- (ट) विषयवस्त् विश्वसनीय और ज्ञान अर्जन के परिणाम(मों) के अनुरूप होगी।
- (ठ) ज्ञान अर्जन के वांछित परिणामों की स्पष्ट परिभाषा होगी, जिसे ज्ञान अर्जन के चिह्नित चरणों तक बैंचमार्क किया जाएगा।
- (ड) कार्यक्रम को तैयार करने और कार्यक्रम के विकास और अनुमोदन की प्रक्रियाओं में, यदि आवश्यक हो तो, उच्च शिक्षा संस्थान से इतर संदर्भ बिंदुओं तथा विशेषज्ञों की सहायता प्राप्त की जाए।
- (ढ) राष्ट्रीय दक्षता अपेक्षाओं के लिए पाठ्यक्रम की प्रासंगिकता होगी।
- (ण) पाठ्यक्रम में प्रत्येक मॉड्यूल या इकाई के क्रेडिट मान का विवरण होगा।

तालिका 1: क्रेडिट प्रणाली पर आधारित दूरस्थ शिक्षा पद्धित के माध्यम से कार्यक्रमों की पेशकश हेतु मानदंड

कार्यक्रम की अवधि	क्रेडिट	कार्यक्रम का स्तर
तीन वर्ष	96 से 100	स्नातक उपाधि (सामान्य)
दो वर्ष	64 से 72	निष्णात उपाधि (सामान्य)

तालिका 2 : दूरस्थ शिक्षा पद्धति के माध्यम से पाठ्यक्रमों संचालित करने हेतु मानदंड

असाईनमें टों की संख्या	आभ्यासिक सत्र	परामर्श सत्रों की संख्या सिद्धांत (कुल अध्ययन घंटों का दस प्रतिशत)	एसएएम रेंज का आकार (ब्लॉक में विभाजित किए जाने वाली इकाईयों के संदर्भ में)	अध्ययन टिप्पणियां	पाठ्यक्रम के क्रडिट का मान
1	60 घंटे	6 घंटे	6 से 8 घंटे	60 ਬਂਟੇ	2 घंटे
2	120 घंटे	12 घंटे	14 से 16 घंटे	120 घंटे	4 घंटे
3	180 ਬਂਟੇ	18 घंटे	20 से 24 घंटे	180 घंटे	6 घंटे
4	240 घंटे	24 घंटे	30 से 34 घंटे	240 घंटे	8 घंटे

तालिका 3 : स्व-शिक्षण सामग्री के विकास के लिए गैर-प्रिंट प्रपत्र की क्रेडिट संरचना मानदंड

पराम र सत्रों	की संख्या (सिद्ध	ांत)	ई–विषायवस्तु		, ,
समक्र चर्चा 5 प्रतिशत	असमक्र** चर्चा मंच (कम्प्यूटर)	(वैकल्पिक) 10 प्रतिशत	का आकार (इकाईयों के संदर्भ में)	अध्ययन टिप्पणियां	पाठ्यक्रम के क्रडिट का मान
3 घंटे	विषयानुसार 2 से 10 विषय प्रति पाठयक्रम	6 घंटे	6 से 8 इकाईयां	60 घंटे	2 क्रेडिट
6 घंटे	–तदेव–	12 घंटे	14 से 16 इकाईयां	120 घंटे	4 क्रेडिट

9 घंटे	–तदेव–	18 घंटे	20 से 24 इकाईयां	180 ਬੰਟੇ	6 क्रेडिट
	–तदेव–	24 घंटे	30 से 34 इकाईयां	240 ਬਂਟੇ	8 क्रेडिट

*असमक्र = असमक्रमिक

**असमक = असमक्रमिक

एफ2एफ = आमुख

अनुलग्नक VIII

स्व-शिक्षण सामग्री को तैयार करने संबंधी दिशानिर्देश

संक्षिप्त विवरण

स्व-शिक्षण सामग्री स्वतः—स्पष्ट, अपने आप में पिरपूर्ण, स्व-निदेशित, स्व-प्ररेणाप्रद, तथा स्व-मूल्यांकन करने की दृष्टि से विकसित की गई है। मुक्त दूरस्थ शिक्षा प्रणाली के लिए प्रमुख चुनौती शिक्षक का न होना है। इसलिए, प्रत्येक क्रियाकलाप के संबंध में पहले ही योजना बनाना महत्वपूर्ण है। इस प्रणाली में ज्ञान अर्जन की सामग्री महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है और इसमें प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक रूप में स्व-शिक्षण सामग्री शामिल होती है। शिक्षण सामग्री की एक प्रमुख चुनौती यह सुनिश्चित करना है कि उसका लेखन ऐसे तरीके से होना चाहिए जो रूचिकर हो और जो सक्रिय रूप से शिक्षार्थियों के भीतर रूचि पैदा करता है। सीखने की सामग्री की एक अन्य चुनौती तेजी से बदल रही प्रौद्योगिकी है और इन प्रौद्योगिकियों के माध्यम से पारंपिरक शिक्षण—ज्ञान अर्जन पद्धितयों का उपयोग करना है। इसलिए, ज्ञान अर्जन की सामग्री के विकास से पहले उचित आयोजना करना अनिवार्य है। आयोजना की अविध के दौरान, निम्नलिखित बिंदुओं पर बहुत सावधानी पूर्वक ध्यान दिए जाने की आवश्यकता है: —

- शिक्षार्थी की पृष्टभूमि और ज्ञान अर्जन संबंधी आवश्यकताएं;
- ज्ञान अर्जन के अनुभव; तथा
- लचीले ढंग से ज्ञान अर्जन को अपनाने के लिए सहायता देना और उसे तैयार करना।
- 2. ज्ञान अर्जन सामग्री, ज्ञान अर्जन की प्रक्रिया पर अधिक बल देती है। लेखकों (मुद्रित सामग्री के मामले में) और अनुदेशात्मक डिजाइनर (ई—लर्निंग सामग्री के मामले में) द्वारा ज्ञान अर्जन सामग्री के विकास के दौरान निम्नलिखित प्रमुख तत्वों पर विचार किया जाना चाहिएः —
- (क) सीखने का उद्देश्य
- (ख) पूर्व ज्ञान का मूल्यांकन
- (ग) ज्ञान अर्जन के क्रियाकलाप
- (घ) ज्ञान अर्जन के क्रियाकलापों से प्राप्त प्रतिक्रिया
- (ङ) उदाहरण और चित्र
- (च) स्व-मूल्यांकन जांच
- (छ) सारांश और मुख्य बिंदु
- (ज) अध्ययन संबंधी युक्तियां
- 3. ज्ञान अर्जन की सामग्री को रचनात्मक दृष्टिकोण के साथ विकसित किया जाना चाहिए और इसे व्यावहारिक जीवन पर बल देना चाहिए, कार्य या परिस्थितियों के संबंध में ज्ञान अर्जकों के चयन, मामले के अध्ययन, सहयोगात्मक शिक्षा संबंधी कार्य, दूसरों से सीखने

के अवसर, स्व–मूल्यांकन पर बल देना चाहिए। यदि गुणवत्ता के साथ समझौता किए बिना समय और लागत में कटौति की जा सके तो उच्च शिक्षा संस्थान भी विशेषज्ञ एजेंसियों या सलाहकार से ज्ञान अर्जन सामग्री को अपना या खरीद सकते हैं

ज्ञान अर्जन की सामग्री के विकास की योजना

- 4. मुक्त और दूरस्थ शिक्षा पद्धति में शिक्षकों की करीब–करीब अनुपस्थिति के कारण, शिक्षार्थी को ज्ञान अर्जन के दौरान किसी भी समय निर्णय लेने का अवसर प्राप्त होता है। इससे शिक्षार्थियों की धारणा और सीखने की सामग्री के उद्देश्य के बीच असंगतता पैदा हो सकती है। इसलिए, ज्ञान अर्जन की सामग्री के विकास के दौरान निम्नलिखित प्रमुख बिंदुओं पर विचार करना आवश्यक है।
- (क) शिक्षार्थी प्रोफाइल : इसे शिक्षार्थी के साक्षरता के स्तर (भाषा प्रवीणता के स्तर सिहत), आयु समूह, सूचना संचार प्रौद्योगिकी कौशल, अध्ययन का उद्देश्य, निजी पृष्ठभूमि और घर की स्थिति, पूर्व ज्ञान, पूर्व कौशल, ज्ञान अर्जन की स्थिति आदि पर विचार करना आवश्यक है।
- (ख) पृष्ठभूमि: मुक्त और दूरस्थ प्रणाली में, शिक्षार्थी आमुख पद्धित के अनपेक्षतः अपनी गित से अध्ययन करता है ज्यादातर शिक्षार्थी पेशेवर होते हैं और उन्हें अपने घरों में अध्ययन करने के लिए समय मिलता है। यदि हम कुछ संदर्भ जोड़ते हैं, जन्हें वे घर पर प्राप्त नहीं कर सकते हैं, तो यह उनके सीखने में एक बाधा पैदा करेगा। इसलिए, सीखने के स्थान पर पाठ्यक्रम संसाधनों और संदर्भों की पहुंच को ध्यान में रखना आवश्यक है।
- (ग) सीखना उद्देश्य और परिणाम : ज्ञान अर्जन की सामग्री के विकास की प्रक्रिया शुरू करने से पहले ज्ञान अर्जन के उद्देश्यों और परिणामों को परिभाषित करना आवश्यक है। ज्ञान अर्जन के उद्देश्य अंतकारी, मध्यवर्ती या सक्षमकारी स्वरूप के हो सकते हैं। ज्ञान अर्जन के उद्देश्य पाठ्यक्रम, इकाई या मॉड्यूल स्तर पर निर्धारित किए जा सकते हैं।

शिक्षण सामग्री का समूह

5. शिक्षा के मुक्त और दूरस्थ शिक्षा पद्धिम के सिद्धांतों को ध्यान में रखते हुए कार्यक्रम के साथ ज्ञान अर्जन सामग्री या संसाधनों प्रदान किया जाएगा। जिसमें स्व-शिक्षण सामग्री या ई-लर्निंग सामग्री, ई-पुस्तकें, व्यावहारिक पुस्तकें, छात्र की पुस्तिकाएं, प्रश्न बैंक, असाइनमेंट बुक, श्रव्य-दृश्य सामग्री, कार्यक्रम मार्गदर्शिका, प्रोजेक्ट मैनुअल आदि शामिल होंगे।

मुद्रित रूप में स्व-शिक्षण सामग्री (एसएलएम) हेतु मानक

- (i) कार्यक्रम की परिभाषित क्रेडिट संरचना के अनुसार स्व-शिक्षण सामग्री को विकसित किया जाएगा।
- (ii) स्व-शिक्षण सामग्री में विभिन्न अनुभव-आधारित क्रियाकलापों और कार्य के माध्यम से सक्रिय रूप से शिक्षार्थी शामिल होगा।
- (iii) शिक्षार्थी को कार्यक्रम की संरचना और पाठ्यक्रम के बारे में स्पष्ट जानकारी प्राप्त होगी।
- (iv) शिक्षार्थी के लिए स्व-शिक्षण सामग्री में एक विस्तृत अध्ययन खाका होगा ताकि वह अपनी पढ़ाई पूरी करने के लिए स्वयं निर्देशित हो सकें।
- (v) स्व शिक्षण सामग्री की संवाद और व्यक्तिगत रूप से लिखने की विधि के साथ विकसित की जाएगी जो स्वयं शिक्षण सामग्री में अन्तरक्रियाशीलता की प्रकृति पैदा करेगा।
- (vi) स्व–शिक्षण सामग्री शिक्षार्थी को नए ज्ञान और कौशल को लागू करने के लिए प्रोत्साहित करेगी।
- (vii) ज्ञान अर्जन के उद्देश्यों और परिणाम स्पष्ट रूप से परिभाषित होंगे।
- (viii) प्रभावी ढ़ंग से शिक्षण के लिए विषयवस्तु छोटे खंड (ब्लॉक) और उप खंड (इकाइयां और उप–इकाइयों) में विभाजित की जाएगी।
- (ix) स्व-शिक्षण सामग्री के प्रत्येक इकाई में क्रियाकलापों को शामिल किया जाएगा।
- (x) प्रत्येक ज्ञान अर्जन के उद्देश्य के लिए आत्म मूल्यांकन हेतु एक कार्य दिया जाएगा।
- (xi) पाठ्यक्रम की प्रकृति के अनुसार शिक्षार्थी को समस्या निवारण संबंधी क्रियाकलाप के माध्यम से ज्ञान अर्जन कराया जाएगा ।

गैर-मुद्रित रूप में स्व-शिक्षण सामग्री (एसएलएम) के मानक

6. ई–लर्निंग के लिए गुणवत्ता आश्वासन शिक्षार्थियों के परिप्रेक्ष्य का एक महत्वपूर्ण पहलू है। उच्च गुणवत्ता वाले ई–लर्निंग सामग्री को कुशल सामग्री और अनुदेशात्मक डिजाइन पेशेवरों द्वारा डिजाइन किया जाना चाहिए। बेहतर शिक्षात्मक डिजाइन, शिक्षण और ज्ञान अर्जन पर सर्वोत्तम पद्धतियों और शोध को दर्शाएगा। ई–लर्निंग सामग्री डिजाइन करने के प्रमुख सिद्धांत हैं : (1) समान अभिन्यास एवं प्रारूप (2) स्पष्ट वर्गीकरण और जानकारी का प्रस्तुतिकरण (3) सुसंगत और किसी विषय को सुलभता से ढूंढ पाना, और (4) सुंदरता डिजाइन और ग्राफिक्स। इस प्रकार, गैर–मुद्रित रूप में स्व–ज्ञान अर्जन सामग्री के मानकों निम्नानुसार हैं:–

- (i) ई-लर्निंग सामग्री को ऑनलाइन कार्यक्रम की क्रेडिट संरचना के अनुसार तैयार किया जाएगा।
- (ii) पाठ्यक्रम को इकाइयों और पाठ में व्यवस्थित किया जाएगा।
- (iii) इकाई के घटक-विवरण, उद्देश्यों, क्रियाकलापों, कार्य और संसाधनों के साथ इकाई का ब्यौरा होगा।
- (iv) कार्यक्रम के पाठ्यक्रमों के बीच कार्यक्रम मानचित्र और सहसंबंध मैट्रिक्स की उपलब्धता।
- (v) पाठ्यक्रम में प्रत्येक मॉड्यूल या इकाई के क्रेडिट मान का विवरण होगा।
- (vi) पाठ संबंधी क्रियाकलापों, चर्चाओं और साहित्यिक चोरी के बारे में शैक्षिक सत्यनिष्ठा और 'नेटिकेट्स' (इंटरनेट के शिष्टाचार) की अपेक्षाओं पर स्पष्ट दिशानिर्देश होंगे।
- (vii) पाठ के सार, विषयवस्तु और क्रियाकलाप, असाइनमेंट दिए जाएंगे ताकि शिक्षार्थी विषयवस्तु पर महारत हासिल कर सकें।
- (viii) पाठ्यक्रम को इस प्रकार से तैयार किया जाएगा ताकि सभी अवधारणाओं और कौशल को सिखाया जा सके जिसे शिक्षार्थी अध्ययन के दौरान स्मरण रखेगा।
- (ix) शिक्षार्थी की रूचि को सिक्रय शिक्षण में बनाए रखने के लिए शिक्षण के अनेकानेक तरीके होंगे।
- (x) विषयवस्तु, शिक्षार्थियों को उच्च स्तर की सोच बनाने, महत्वपूर्ण—तर्क संबंधी क्रियाकलाप तथा जटिल तरीकों से विचारों को उन्नत बनाने हेत् अवसर प्रदान करती है।
- (xi) उपयुक्त पठन-पाठन के स्तर, लिखित भाषा, असाइनमेंट और गणितीय अपेक्षाएं होंगी।
- (xii) विषयवस्तु, में समय-समय पर ज्ञान अर्जन की प्रक्रिया के बारे में प्रतिक्रिया दी जाएगी।
- (xiii) पाठ्यक्रम में किसी विषय को ढूढना आसान होगा।
- (xiv) पाठ्यक्रम पूरा करने तथा उसमें महारत हासिल करने के लिए अनिवार्य अतिरिक्त पाठ्यपुस्तकों, पाठ्य सामग्री और ऑनलाइन संसाधनों की घोषणा की जाएगी।
- (xv) विभिन्न उपकरणों पर विषयवस्त् उपलब्ध होगी।
- (xvi) ई-लर्निंग सामग्री निशक्त विद्यार्थियों की आवश्यकताओं की पूर्ति करेगी।

अनुलग्नक IX

कार्यक्रम परियोजना रिपोर्ट (पीपीआर) के संबंध में दिशानिर्देश

संक्षिप्त विवरण

उच्च शिक्षा संस्थान की कार्यक्रम परियोजना रिपोर्ट (पीपीआर) एक नया कार्यक्रम पेश करने के लिए तैयार किया जाने वाला एक दस्तावेज है, जिसमें निम्नवत विवरण शामिल हैं — (क) कार्यक्रम के उद्देश्य और परिणाम; (ख) शिक्षार्थियों के लक्ष्य समूह की प्रकृति; (ग) विशिष्ट कौशल प्राप्त करने के लिए गुणवत्ता आश्वासन के साथ कार्यक्रम का औचित्य; (घ) कार्यक्रम विषयवस्तु डिजाइन और विकास; (ङ) कार्यक्रम के विकास के लिए अनुमानित लागत; और (च) कार्यक्रम में प्रवेश, कार्यक्रम चलाने और मूल्यांकन मानदंड। कार्यक्रम परियोजना रिपोर्ट, मुक्त और दूरस्थ शिक्षा पद्धित में कार्यक्रम को आरंभ करने के बारे में संस्थान द्वारा स्वयं प्रकटीकरण है। संस्थान को प्रत्येक शैक्षिक कार्यक्रमों के लिए विशिष्ट लक्ष्यों और उद्देश्यों को परिभाषित करना है जो एक कार्यक्रम को आरंभ करने को दिशा देगा और परिणाम पर ध्यान केंद्रित किया जा सकेगा। अंत में, यह लक्ष्य और उद्देश्य यह प्रदर्शित करने में मदद करेंगे कि क्या उपलब्धि रही है। कार्यक्रम को स्पष्ट रूप से यह ध्यान में रखकर तैयार किया जाएगा कि क्या शिक्षा देनी है तथा कौन से ज्ञान अनुभव प्राप्त किए जाने हैं।

कार्यक्रम परियोजना रिपोर्ट (पीपीआर) तैयार करने की आवश्यकता

- 2. किसी भी नए कार्यक्रम को पेश करने से पहले कार्यक्रम परियोजना रिपोर्ट को उच्चतम शैक्षणिक प्राधिकरण द्वारा विधिवत् रूप से अनुमोदित किए जाने की आवश्यकता है। कार्यक्रम परियोजना रिपोर्ट की मुख्य विषयवस्तु निम्नानुसार है: —
 - (क) कार्यक्रम के मिशन और उद्देश्य : उच्च शिक्षा संस्थान (एचईआई), आरंभ किए जाने वाले कार्यक्रम के लिए मिशन विवरण और उद्देश्यों को परिभाषित करेगा, जो उच्च शिक्षा संस्थान की कार्यनीतिक दिशा और शैक्षिक लक्ष्यों को प्रतिबिंबित करेगा। इन्हें

औद्योगिक जगत अथवा शिक्षार्थियों की मांग के जोड़ा जाएगा, और उन्हें इस प्रकार से परिभाषित किया जाएगा कि उन्हें प्राप्त करना उचित है।

- (ख) एचईआई के मिशन और लक्ष्य के साथ कार्यक्रम की प्रासंगिकता: उच्च शिक्षा संस्थान, मुक्त और दूरस्थ शिक्षा पद्धित के माध्यम से चलाए जाने वाले ऐसे कार्यक्रम के लिए योजना बनायेगा जो उच्च शिक्षा संस्थान के मिशन और लक्ष्यों के प्रित संगत हो। इसलिए, यह अत्यंत महत्वपूर्ण है कि मुक्त और दूरस्थ शिक्षा पद्धित के माध्यम से पेश किए जाने वाला कार्यक्रम, उच्च शिक्षा संस्थान के मिशन और लक्ष्य के साथ जोड़ा जाना चाहिए और जो इसकी उपलब्धि में प्रमुख योगदान कारक साबित होगा।
- (ग) शिक्षार्थियों के संभावित लक्ष्य समूह का स्वरूप: उच्च शिक्षा संस्थान शिक्षार्थियों के लक्ष्य समूह की पहचान करेगा। इसके लिए उसे उनकी ज्ञान अर्जन संबंधी आवश्यकताओं को समझना जरूरी है और इसके आधार पर पाठ्यक्रम को लिक्षत करना चाहिए। उच्च शिक्षा संस्थान को शिक्षार्थियों के विविध वर्ग के संबंध में विचार करना चाहिए जिनमें खर्च किए जाने की क्षमता सीमित होती है, ग्रामीण वासियों, महिलाएं, अकुशल पुरुष, अल्पसंख्यक आदि शामिल हैं।
- (घ) मुक्त और दूरस्थ शिक्षा पद्धित के तहत विशिष्ट कौशल और क्षमता प्राप्त करने के लिए आयोजित किए जाने वाले कार्यक्रम की उपयुक्तता : उच्च शिक्षा संस्थान स्पष्ट रूप से इस कार्यक्रम के ज्ञान अर्जन के परिणामों की पहचान करेगा जिसमें शिक्षार्थी द्वारा प्राप्त किए जाने वाले विशिष्ट कौशल और योग्यता को शामिल किया जाएगा। कार्यक्रम का लक्ष्य उन ज्ञान अर्जन के परिणामों की प्राप्ति होना चाहिए। ज्ञान अर्जन के परिणामों में अध्ययन के क्षेत्र के अनुकूल ज्ञान और बोध का विकास करना और यह उस क्षेत्र के शैक्षणिक, पेशेवर और व्यावसायिक मानकों को प्रतिबिंबित करना चाहिए। ज्ञान अर्जन के परिणामों में सामान्य अंतरणीय कौशल और दक्षता शामिल की जानी चाहिए।
- (ङ) निर्देशात्मक डिजाइन : निर्देशात्मक डिजाइन में पाठ्यक्रम डिजाइन, विस्तृत पाठ्यचर्या, कार्यक्रम की अवधि, संकाय और सहायक स्टॉफ संबंधी आवश्यकताएं, निर्देशात्मक सुपुदर्गी तंत्र, मीडिया की पहचान—प्रिंट, ऑडियो या वीडियो, ऑनलाइन, कंप्यूटर सहायता प्राप्त, और छात्र सहायता सेवा प्रणाली शामिल हैं । उच्च शिक्षा संस्थान, मुक्त और दूरस्थ शिक्षा पद्धित के माध्यम से प्रस्तुत किए जाने वाले प्रत्येक शैक्षिक कार्यक्रमों के लिए अनुदेशात्मक डिजाइन को परिभाषित करेगा और कार्यक्रम के प्रत्येक पाठ्यक्रम अथवा मॉड्यूल के लिए क्रेडिट घंटे को लेखा—जोखा रखेगा।
- (च) प्रवेश, पाठ्यक्रम लागू करने और मूल्यांकन करने की प्रक्रिया : उच्च शिक्षा संस्थान न्यूनतम पात्रता और शुल्क संरचना वाले कार्यक्रम के लिए प्रवेश नीति को पिरभाषित करेगा। वित्तीय सहायता से संबंधित जानकारी, यदि कोई हो, को नीति में शामिल किया जाना चाहिए। उच्च शिक्षा संस्थान अपनाए जाने वाले तरीकों और वेब—आधारित साधनों के विवरण के साथ कार्यक्रम को चलाए जाने की नीति को अधिसूचित करेगा। उच्च शिक्षा संस्थान शैक्षिक सत्र के दौरान चलाए गए सभी अकादिमक क्रियाकलापों सिहत 'एक्टिविटी प्लेनर' को अधिसूचित करेगा। इसके अलावा, उच्च शिक्षा संस्थान भी पद्धितयों और साधनों के साथ शिक्षार्थी प्रगति के मूल्यांकन के लिए नीति को अधिसूचित करेगा।
- (छ) प्रयोगशाला सुविधा और पुस्तकालय संसाधन की आवश्यकता : पाठ्यक्रम में ऐसे कार्यक्रम हो सकते हों जिनमें व्यावहारिक घटक हो सकते हैं। उच्च शिक्षा संस्थान कार्यक्रम में निर्धारित प्रयोगात्मक कार्यों के लिए शिक्षार्थियों को प्रयोगशाला की सुविधा के बारे में स्पष्ट दिशानिर्देश देगा। शिक्षार्थियों के लिए एक प्रयोगात्मक पुस्तक की व्यवस्था होगी। ऑनलाइन ज्ञान अर्जन के मामले में, आभासी वास्तविकता पद्धतियों को लागू करने से प्रयोगों का संचालन किया जाना चाहिए।
- (ज) कार्यक्रम पर होने वाली लागत का अनुमान और प्रावधान : लागत अनुमान में कार्यक्रम विकास, कार्यक्रम को लागू करने और रखरखाव के लिए निर्धारित की गई राशि को दर्शाया जाना चाहिए।
- (झ) गुणवत्ता आश्वासन तंत्र और अपेक्षित कार्यक्रम परिणाम : उच्च शिक्षा संस्थान कार्यक्रम के लिए समीक्षा तंत्र को परिभाषित करेगा और अध्ययन के क्षेत्र की संगत पेशेवर आवश्यकताओं के अनुरूप पाठ्यक्रमों के मानकों, शिक्षा प्रदान करने के लिए ढ़ांचे का सतत् रूप से विकास करेगा। उच्च शिक्षा संस्थान कार्यक्रम की प्रभावी निगरानी करने के लिए एक प्रणाली भी विकसित करेगा।

3नुलग्नक X

शिक्षार्थी सहायता केन्द्र

1. सामान्य: शिक्षा की मुक्त और दूरस्थ (ओडीएल) पद्धित में तीन स्तर के कार्यकरण होते हैं जो उच्च शिक्षा संस्थानों के मुख्यालय (एचक्यू), क्षेत्रीय केंद्रों और अध्ययन केंद्रों (एससी) अथवा शिक्षार्थी सहायता केन्द्र (एलएससी) में होते हैं जो नीचे दिए गए भाग में यथा पिरभाषित उच्च शिक्षा संस्थान के क्षेत्रीय क्षेत्रीधकार के तहत स्थापित हैं। कक्षा के लिए बनी पाठयपुस्तकों की तुलना में एक ऐसे शिक्षार्थी के लिए स्व शिक्षण सामग्री को आयोजनाबद्ध करना, उसे डिजाइन करना, तथा तैयार करना बिल्कुल ही अलग कार्य है जिसका कभी नियमित रूप से किसी शिक्षक से संपर्क न रहा हो, प्रवेश की प्रक्रियाओं के समग्र प्रबंधन, मूल्यांकन और परिणाम घोषित करना आदि उच्च शिक्षा संस्थान के मुख्यालयों की मुख्य जिम्मेदारियां हैं और यह कार्य मुख्य परिसर से ही किया जाता है। उच्च शिक्षा संस्थान के प्रत्यक्ष प्रबंधन और नियंत्रण के तहत, क्षेत्रीय केंद्र, जो कार्यकरण के दूसरे स्तर हैं, वे मुख्यालय और अध्ययन केन्द्र (एससी)

अथवा शिक्षार्थी सहायता केन्द्र (एलएससी) के बीच एक क्रियात्मक प्रचालनात्मक संपर्क का कार्य करते हैं जो कि मुक्त और दूरस्थ शिक्षा प्रणाली के तीसरे स्तर पर हैं और शिक्षार्थियों द्वारा पहुंच के लिए महत्वपूर्ण संपर्क बिंदु, प्रतिक्रियात्मक, सुविधा केन्द्र के रूप में भी कार्य करते हैं जो उनके लिए संपर्क सत्र तथा अन्य प्रचालन जैसे असाइनमेंट आदि को संसाधित भी करते हैं। किसी अन्य फ्रेंचाइजी या ऑउटसोर्स व्यवस्था के माध्यम से नहीं बल्कि उच्च शिक्षा संस्थानों द्वारा अध्ययन केंद्र (एससी) अथवा शिक्षार्थी सहायता केन्द्र (एलएससी) की स्थापना और प्रबंधन किया जाएगा।

2. िाक्षार्थी सहायता केन्द्र अथवा अध्ययन केंद्र की परिभाषा और स्थापना

'अध्ययन केंद्र (एससी) अथवा शिक्षार्थी सहायता केन्द्र (एलएससी)' का अभिप्राय उच्च शिक्षा संस्थान द्वारा स्थापित, अनुरक्षित तथा मान्यता प्राप्त केन्द्र जो कि शिक्षार्थियों के लाभ हेतु परामर्श, व्यावसायिक मार्गदर्शन, अनुभव दिलाने, पुस्तकालय सेवाओं और शिक्षकों और शिक्षार्थियों के बीच संवाद के रूप में कार्य करने साथ ही शिक्षा संबंधी और अन्य संबंद्ध सेवाएं तथा सहायता जैसे क्षेत्र अनुभव, प्रयोगात्मक कार्य के लिए प्रयोगशाला, प्रचालन के लिए सूचना संचार प्रौद्योगिकी की सुविधा और शिक्षार्थियों के साथ संपर्क आदि की सहायता प्रदान करता हैं।

बशर्ते मुक्त और दूरस्थ शिक्षा पद्धित में कार्यक्रम की पेशकश करने वाला एक उच्च शिक्षा संस्थान, इन विनियमों की अधिसूचना की तारीख से छह महीने के भीतर, यह सुनिश्चित करेगा कि सभी अध्ययन केन्द्र अथवा शिक्षार्थी सहायता केन्द्र सिर्फ एक महाविद्यालय अथवा किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से संबद्ध संस्थान (एक निजी विश्वविद्यालय के अलावा) अथवा एक सरकारी मान्यता प्राप्त उच्च शिक्षा संस्थान जो संगत सकाय यथा विज्ञान अथवा सामाजिक विज्ञान अथवा मानविकी अथवा वाणिज्य अथवा प्रबंधन आदि के समान व्यापक क्षेत्रों में समकक्ष स्तर के पारंपरिक पद्धित से कार्यक्रमों की पेशकश की है ऐसे संस्थान में में स्थापित किए जाएं जिसके पास सभी अनिवार्य अवसंरचना उपलब्ध हों तथा उपयुक्त संख्या में योग्य संकाय सदस्य हों जो कि इसी प्रकार के कार्यक्रम चलाने वाले किसी मान्यता प्राप्त महाविद्यालय या संस्थानों के कम से कम सहायक आचार्य के पद पर कार्यरत शिक्षकगण हों, जो सिद्धांत संपर्क सत्रों तथा प्रयोगशाला तथा क्षेत्र में प्रयोगात्क सत्र का संचालन कर सकें;

बशर्ते एक उच्च शिक्षा संस्थान, निःशक्त व्यक्ति (समान अवसर, अधिकार संरक्षण और पूर्ण भागीदारी) अधिनियम, 1995 तथा राष्ट्रीय स्वपरायणता, प्रमस्तिष्क घात, मानसिक मंदता और बहुनिःशक्तताग्रस्त व्यक्ति कल्याण न्यास अधिनियम, 1999 में उल्लिखित व्यक्तियों रक्षा सेनाओं अथवा सुरक्षा बलों के कर्मियों तथा कारागार भोग रहे व्यक्तियों सिहत कठिन परिस्थितियों में जीवनयापन कर रहे अन्य व्यक्तियों के लिए एक विशेष शिक्षार्थी सहायता केन्द्र की स्थापना कर सकता है जो मुक्त और दूरस्थ शिक्षा पद्धित से शिक्षा ग्रहण करने के इच्छुक हों। तथापि, कौशल विकास अथवा आजीवन ज्ञान अर्जन कार्यक्रम, अध्ययन केन्द्र अथवा शिक्षार्थी सहायता केन्द्र जैसे कार्यक्रम जिन्हें सरकार द्वारा कौशल विकास विकसित किया जा रहा है, उन्हें सरकारी संस्थानों में खोला जा सकता है जिनकी संबंधित क्षेत्रों में शिक्षार्थी सहायता सेवाएं प्रदान करने की क्षमताएं हैं।

उच्च शिक्षा संस्थान अपने उपर्यक्त सांविधिक निकायों के माध्यम से प्रस्ताव को संसाधित करने के बाद कोई अध्ययन केंद्र अथवा शिक्षार्थी सहायता केंद्र की स्थापना की जा सकती है। ऐसे अनुमोदनों को संसाधित करते समय अध्ययन केन्द्रों / शिक्षार्थी सहायता केन्द्र को स्थापित किए जाने की तैयारी तथा उनके द्वारा शिक्षार्थियों को सहायता सेवाएं प्रदान करने, शैक्षिक, अन्य कर्मचारिवृंदों की उपलब्धता और योग्य शैक्षणिक परामर्शदाताओं के संबंध में प्रमाण देना अनिवार्य है।

उच्च शिक्षा संस्थान के पास अध्ययन केंद्र या शिक्षार्थी सहायता केंद्र के सुचारु कार्यकरण के लिए एक मानक परिचालन प्रक्रिया होगी, जिससे अध्ययन केन्द्र या शिक्षार्थी सहायता केंद्र निर्बाध रूप से कार्य कर सके। जिसमें अध्ययन केन्द्र या शिक्षार्थी सहायता केंद्र के कार्यकरण के सभी पहलू शामिल हैं यथा केंद्र द्वारा प्रदान की जाने वाली विभिन्न सेवाओं का निगरानी तंत्र और अध्ययन केन्द्र या शिक्षार्थी सहायता केंद्र को परामर्श सत्र, असाइनमेंट के मूल्यांकन तथा प्रभावी ऑनलाइन शिकायत समाधान प्रणाली के संबंध में शिक्षार्थियों के आंकड़ों का रखरखाव करना होगा जिसकी निगरानी क्षेत्रीय केन्द्र तथा मुख्यालय के स्तर पर की जानी चाहिए।

संबंधित उच्च शिक्षा संस्थान द्वारा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को यथा अनुमोदित अध्ययन केंद्रों या शिक्षार्थी सहायता केंद्रों की सूची, अध्ययन केंद्रों या शिक्षार्थी सहायता केंद्रों को संचालित करने से कम से कम 60 दिन पहले दी जाएगी। अध्ययन केंद्रों या शिक्षार्थी सहायता केंद्रों की सूची में ब्यौरे जैसे कि : जहां संस्थान स्थित है उस संस्थान का नाम तथा पता, संपर्क ब्यौरा, समन्वयक का नाम तथा सपर्क ब्यौरा, कामकाजी घंटे और परामर्श सत्रों की अनुसूची, अध्ययन केंद्रों या शिक्षार्थी सहायता केंद्रों में उपलब्ध अवसंरचनाओं तथा अन्य सुविधाओं के ब्यौरे को मुक्त और दूरस्थ शिक्षा संस्थान के वेब पोर्टल पर प्रदर्शित किया जाएगा और इसी जानकारी को शिक्षार्थियों और अन्य हितधारकों की जानकारी के लिए प्रॉस्पेक्टस में मृद्रित करवाया जाएगा।

इसके अलावा, उच्च शिक्षा संस्थान को आयोग को एक वचन भी देना होगा कि उसके अध्ययन केंद्रों या शिक्षार्थी सहायता केंद्रों में शैक्षिक और शिक्षण सुविधाएं इन विनियमों और समय—समय पर जारी दिशानिर्देशों की सभी शर्तों को पूरा करती हैं, और यह शैक्षणिक कार्यक्रमों और शिक्षार्थियों की संख्या के अनुरूप हैं।

बशर्ते उच्च शिक्षा संस्थान मुक्त और दूरस्थ शिक्षा पद्धति से संबंधित गतिविधियों में से किसी को भी संस्थान के अंतर्गत अध्ययन केंद्र या शिक्षार्थी सहायता केंद्र के अलावा किसी अन्य नाम जैसे कि सूचना केन्द्र, सुविधा केंद्र, नोडल केंद्र, ज्ञान सहभागी, सहभागी संस्थान, मल्टीमीडिया केन्द्र और इसी तरह के नाम से संचालित नहीं करेगाः — बशर्ते आगे कि, इन नियमों में यथा वर्णित उच्च शिक्षा संस्थान के अधिकार क्षेत्र से इतर किसी फ्रैंचाइजी या ऑउटसोर्सिंग समझौते के तहत कोई अध्ययन केंद्र या शिक्षार्थी सहायता केंद्र स्थापित नहीं किया जाएगा।

3. अध्ययन केंद्रों या शिक्षार्थी सहायता केंद्रों की स्थापना हेतु क्षेत्रगत क्षेत्राधिकार

मुक्त और दूरस्थ शिक्षा पद्धति से कार्यक्रमों को संचालित करने के लिए उच्च शिक्षा संस्थान के क्षेत्रगत क्षेत्राधिकार को निम्नवत शर्तों के अध्यधीन उच्च शिक्षा संस्थान के संबंधित अधिनियमों में विहित किया जाएगाः

- 3.1. निजी और सम विश्वविद्यालय के अलावा उच्च शिक्षा संस्थान : किसी भी राज्य अधिनियम के तहत स्थापित विश्वविद्यालयों के मामले में संबंधित राज्य की सीमा से बाहर नहीं। केंद्रीय अधिनियम के तहत स्थापित विश्वविद्यालयों के लिए क्षेत्राधिकार, अधिनियम के उपबंधों के अनुरूप होगा।
- 3.2. सम विश्वविद्यालय : सम विश्वविद्यालय विनियमों साथ ही समय समय पर विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा अधिसूचित विनियमों के मौजूदा उपबंधों के अनुरूप की क्षेत्राधिकार होगा।
- 3.3. निजी विश्वविद्यालय : राज्य अधिनियम के तहत स्थापित एक निजी विश्वविद्यालय का स्वरूप एकात्मक होगा और वह कम से कम पांच साल की अविध के लिए पारंपिरक पद्धित से मुक्त और दूरस्थ शिक्षा कार्यक्रम चलाने के लिए पात्र होगा जिसे विश्वविद्यालय द्वारा चलाया गया है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के पूर्व अनुमोदन के साथ और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (निजी विश्वविद्यालयों में मानदंडों की स्थापना और रखरखाव) विनियम, 2003 के अनुसार, राज्य के भीतर अध्ययन केंद्र या शिक्षार्थी सहायता केंद्र स्थापित किए जाएंगे। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा अनुमोदित अध्ययन केंद्र या शिक्षार्थी सहायता केंद्र नहीं होने पर विश्वविद्यालय केवल अपने मुख्य परिसर में ही दूरस्थ शिक्षा कार्यक्रम प्रदान करेगा।

4. प्रवेश और कार्यक्रम शुल्क

मुक्त और दूरस्थ शिक्षा पद्धित के अंतर्गत एक कार्यक्रम के लिए एक उच्च शिक्षा संस्थान में शिक्षार्थियों को पारदर्शी तरीके से प्रवेश दिया जाएगा जिसमें सीधे ही उच्च शिक्षा संस्थान द्वारा तैयार और विकसित किए गए स्व— शिक्षण सामग्री होगी जो प्रवेश या पंजीकरण से संबंधित सभी क्रियाकलापों के लिए पूरी तरह जिम्मेदार होगा जिसे उच्च शिक्षा संस्थान के संबंधित सांविधिक निकायों द्वारा विधिवत्रूप से अनुमोदित किया गया है। इन क्रियाकलापों को किसी भी स्थिति में ऑउटसोर्स नहीं किया जाएगा। हालांकि, मुक्त और दूरस्थ शिक्षा पद्धित से कार्यक्रम संचालित करने वाला कोई अन्य उच्च शिक्षा संस्थान जिसे विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा मान्यताप्राप्त हो, उसके द्वारा विकसित गुणवत्तायुक्त स्व शिक्षण सामग्री को विश्वविद्यालय अनुदान प्राप्त करने के पश्चात् दूरस्थ शिक्षा पद्धित से कार्यक्रम संचालित करने के लिए आपसी करार करके उपयोग किया जा सकता है:

बशर्ते एक अध्ययन केंद्र या शिक्षार्थी सहायता केंद्र मुक्त और दूरस्थ िक्षा पद्धति के तहत संचालित किसी भी कार्यक्रम में किसी अन्य उच्च शिक्षा संस्थान की ओर से किसी भी िक्षार्थी को प्रवे । नहीं देगा।

प्रत्येक उच्च शिक्षा संस्थान, मुक्त और दूरस्थ शिक्षा पद्धति में किसी भी कार्यक्रम में दाखिला प्रारंभ होने की तिथि से पहले 60 दिनों की समाप्ति से पूर्व, उच्च शिक्षा संस्थानों के वेब पोर्टल पर एक प्रॉस्पेक्टस को अपलोड करेगा। इस तरह के विवरणपत्र में संस्थान के किसी भी कार्यक्रम में प्रवेश पाने के इच्छुक शिक्षार्थियों और आम जनता के लिए के लिए निम्न जानकारी शामिल होगी: —

- (i) ऐसे उच्च शिक्षा संस्थान में मुक्त और दूरस्थ शिक्षा के कार्यक्रम में प्रवेश प्राप्त करने वाले प्रत्येक शिक्षार्थी द्वारा भुगतान किए जाने वाले शुल्क, धरोहर राशि और अन्य प्रभारों के प्रत्येक घटक और ऐसे किए जाने वाले भुगतान की अन्य निबंधन और शर्तों का ब्यौरा शामिल होगा;
- (ii) ऐसे उच्च शिक्षा संस्थान में प्रवेश पाने वाले एक शिक्षार्थी द्वारा उच्च शिक्षा संस्थान से नाम वापस लिए जाने अथवा अध्ययन कार्यक्रम अथवा पाठ्यक्रम को पूर्ण किए जाने पर प्रतिदाय योग्य शिक्षण शुल्क और अन्य प्रभारों के प्रतिशत तथा समयाविध और पद्धति जिसके अनुसार शिक्षार्थी को ऐसा प्रतिदाय किया जाएगा, के संबंध में पूर्ण विवरण होगा;
- (iii) प्रत्येक पाठयक्रम या मुक्त और दूरस्थ शिक्षा पद्धति के पाठयक्रम अथवा कार्यक्रम में अनुमोदित सीटों की संख्या का ब्यौराः
- (iv) संगत सांविधिक प्राधिकरण अथवा निकाय अथवा संस्था द्वारा विनिर्दिष्ट शैक्षिक योग्यता सहित प्रवेश हेतु योग्यता की शर्तें, जहां किसी सांविधिक प्राधिकरण द्वारा ऐसे कोई भी न्यूनतम मानदंड निर्धारित नहीं की गई हों।
- (v) अध्ययन के प्रत्येक पाठयक्रम अथवा कार्यक्रम में प्रवेश के लिए और शिक्षार्थियों का चयन करने के लिए परीक्षा अथवा परीक्षण, यदि कोई हो तो, के विवरण के संबंध में सभी प्रासंगिक जानकारी सिहत प्रवेश परीक्षा के लिए किए जाने वाले भुगतान सिहत इस तरह के प्रवेश के लिए आवेदन करने वाले पात्र उम्मीदवारों के प्रवेश और चयन की प्रक्रिया के संबंध में ब्यौरे;

- (vi) मुख्यालय अथवा क्षेत्रीय केन्द्रों अथवा अध्ययन केन्द्रों अथवा शिक्षार्थी सहायता केन्द्र सहित शिक्षण संकाय का विवरण जिसमें इसके शिक्षण संकाय के प्रत्येक सदस्य की शैक्षणिक योग्यता और शिक्षण अनुभव अथवा मुक्त और दूरस्थ शिक्षा पद्धित से कार्यक्रम संचालित करने का अनुभव का उल्लेख किया जाए तथा यह भी उल्लेख किया जाए कि क्या इस तरह के संकाय सदस्य को नियमित या अंशकालिक आधार पर नियोजित हैं अथवा अभ्यागत अथवा संविदात्मक आधार पर नियोजित हैं:
- (vii) संस्थान के शिक्षकों की प्रत्येक श्रेणी और अन्य अधिकारियों को भुगतान किया जाने वाला न्यूनतम वेतन और अन्य देय परिलब्धियों का ब्यौरा;
- (viii) प्रत्येक अध्ययन केंद्र या शिक्षार्थी सहायता केंद्र में वास्तविक और शैक्षिक और अन्य सुविधाओं विशेषरूप से प्रयोगशाला, ग्रंथालय तथा साथ ही प्रत्येक शिक्षार्थी द्वारा संस्थान में प्रवेश प्राप्त किए जाने पर उसे मुहैया करवाए जाने वाली सूचना और संचार प्रौद्योगिकी के संबंध में जानकारी का ब्यौरा; और
- (ix) प्रत्येक पाठयक्रम अथवा अध्ययन कार्यक्रम हेतु उपर्युक्त सांविधिक निकाय या संस्थान, जैसा भी मामला हो, द्वारा विनिर्दिष्ट पाठ्यक्रम की विस्तृत रूपरेखा का ब्यौरा अंतर्विष्ट होगा।

5. शैक्षिक पराम दिाताओं को पैनलबद्ध करने के लिए मानदंड और परामर्श सत्र

- 5.1. शैक्षिक पराम दिताओं की नियुक्ति के लिए पात्रता शर्तें : अध्ययन केंद्र या शिक्षार्थी सहायता केंद्र में ऐसे किसी भी शैक्षिक कर्मचारी को नियुक्त नहीं किया जाएगा जो समय समय पर यथा संशोधित विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में अध्यापकों और अन्य शैक्षिक कर्मचारिवृंदों की नियुक्ति के लिए न्यूनतम योग्यता और उच्च शिक्षा में मानकों के रखरखाव के लिए उपाय) विनियम, 2010 में यथा निर्धारित न्यूनतम योग्यता को पूरा नहीं करते हैं। इसके अतिरिक्त, ऐसे शैक्षिक कर्मचारियों को मुक्त और दूरस्थ शिक्षा पद्धित के अंतर्गत शिक्षार्थियों और उनकी जरूरतों के बारे में जानकारी हानी चाहिए, मुक्त और दूरस्थ शिक्षा पद्धित और पारंपरिक रूप से शिक्षक के आमुख रह कर शिक्षा प्राप्त करने में अंतर ज्ञात होना चाहिए, शिक्षा संबंधी खाके के बारे में जानकारी होनी चाहिए, ज्ञान अर्जन की मिश्रित पद्धित के अंतर्गत शिक्षार्थी केन्द्रीत पद्धित से परिचित होना चाहिए, ऑनलाइन और कंप्यूटर के माध्यम से संम्प्रेषण तथा सूचना और संचार प्रौद्योगिकी सक्षमकारी शिक्षण सहित विभिन्न डिलीवरी मीडिया का उपयोग करने की क्षमता होनी चाहिए।
- 5.2. संपर्क कार्यक्रमों के लिए मानदंड : क्रेडिट आधारित प्रणाली का पालन पिछले दो दशकों से भी अधिक समय से मुक्त और दूरस्थ शिक्षा की एकल पद्धित वाले उच्च शिक्षा संस्थानों द्वारा किया गया है और इसे विशेषरूप से इसे मुक्त विश्वविद्यालयों द्वारा कार्यक्रम के संचालन के लिए मानकीकृत कर दिया गया है। इस तरह के क्रेडिट कुल घंटों की संख्या पर निर्भर करते हैं, जिसमें किसी पाठयक्रम को पूर्ण करने के लिए किसी शिक्षार्थी द्वारा किए गए सभी कार्यकलापों को गिना जाता है जैसे किसी संपर्क कार्यक्रम में भागीदारी, निर्देष्ट कार्य को करना, ग्रंथालय में पुस्तक पढ़ना आदि शामिल हैं। इस संबंध में, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने हाल ही में चयन आधारित क्रेडिट प्रणाली (सीबीसीएस) आरंभ करने के लिए दिशानिर्देश जारी किए हैं, जिन्हें पारंपरिक पद्धित के माध्यम से शिक्षा देने वाले सभी उच्च शिक्षा संस्थानों के लिए अनिवार्य कर दिया गया है। तदनुसार, मुक्त और दूरस्थ शिक्षा पद्धित से स्नातकोत्तर कार्यक्रमों हेतु कुल चार सेमेस्टर के लिए प्रति सेमेस्टर 16 क्रेडिट आवंटित किए जाते हैं। मुक्त और दूरस्थ शिक्षा पद्धित से कार्यक्रमों का संचालन करने के लिए शिक्षकों के साथ संपर्क का घटक तुलनात्मक रूप से पारंपरिक या आमुख शिक्षण पद्धित की तुलना में काफी कम है जिस कमी को शिक्षार्थी द्वारा स्व —शिक्षण से पूर्ण किया जाता है। इसलिए, नियमित या आमुख शिक्षण पद्धित में 15 शिक्षण घंटों के लिए एक क्रेडिट होता है, जबिक मुक्त और दूरस्थ शिक्षा पद्धित में यह आमुख शिक्षण संपर्क पद्धित के लिए स्नातकपूर्व कार्यक्रमों के लिए प्रति सेमेस्टर दिए जाने वाले तुलनात्मक क्रेडिट नीचे तालिका 1 में दिए गए हैं।

तालिका 1. पारंपरिक और मुक्त और दूरस्थ शिक्षा पद्धति में दिए जाने वाले तुलनात्मक क्रेडिट्स

कुल	VI	V	IV	III	II	Ι	सेमेस्टर
144	25	26	26	25	22	20	पारंपरिक पद्धति में क्रेडिट
96	16	16	16	16	16	16	मुक्त और दूरस्थ शिक्षा पद्धति में दिए जाने वाले क्रेडिट्स

इस प्रकार, पारंपरिक पद्धित में चयन आधारित क्रेडिट प्रणाली में इंगित किए गए घंटों की संख्या को ध्यान में रखते हुए और मुक्त और दूरस्थ शिक्षा पद्धित में शिक्षार्थियों के लिए आमुख संपर्क कार्यक्रम हेतु अपेक्षित घंटों का प्रतिशत, मुक्त और दूरस्थ शिक्षा पद्धित कार्यक्रम हेतु सिद्धांत और व्यावहारिक पाठ्यक्रमों में परामर्श सत्रों हेतु मुक्त और दूरस्थ शिक्षा क्रेडिट मान निम्नलिखित तालिका में दिए गए हैं।

तालिका 2 : सिद्धांत और व्यावहारिक संपर्क सत्र

कुल16 क्रेडिट प्रति सेमेस्टर के साथ चार पाठयक्रम								
असाईनमेंटों की संख्या	सिद्धांत के लिए 10 से 12 क्रेडिट अं के लिए 6 से 4 क्रेडिट	केवल सिद्धांत से संबंधित पाठयक्रमों के लिए परामर्शः 4 केडिट के चार पाठचक्रम						
	संपर्क सत्र— व्यावहारिक**	संपर्क सत्र– सिद्धांत*	१ क्रांडट क चार पाठ्यक्रम					
चार प्रति सेमेस्टर	प्रति 2 क्रेडिट के साथ आंतरिक पर्यवेक्षक की सहायता से 60 घंटों के निर्देशित प्रयोग	40 से 48 घं टे	16 घंटे प्रति पाठ्यक्रम					

कृपया ध्यान दें:

** आभासी प्रयोगशाला पद्धति के माध्यम से बीस प्रतिशत की सीमा तक व्यावहारिक सत्र प्रदान किए जा सकते हैं

पारंपरिक पद्धित में चयन आधारित क्रेडिट प्रणाली के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के दिशानिर्देशों में उल्लिखित क्रेडिट के तुलनात्मक मान और मुक्त और दूरस्थ शिक्षा पद्धित संस्थानों के व्यावहारिक रूप में, यह देखा गया है कि प्रत्येक 5—6 महीने की अविध के कुल छह सेमेस्टर स्नातक कार्यक्रम जिसमें प्रति सेमेस्टर 16 क्रेडिट समान रूप से मुक्त और दूरस्थ शिक्षा पद्धित में आवंटित किए गए हैं, जबिक विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने पारंपरिक पद्धित में, प्रति सेमेस्टर में औसतन 24 क्रेडिट आवंटित किए गए हैं। इस प्रकार, मुक्त और दूरस्थ शिक्षा पद्धित में क्रेडिट का अनुपात पारंपरिक पद्धित की तुलना में 2:3 है। स्नातकपूर्व कार्यक्रमों के लिए क्रेडिट के पैटर्न के अनुरूप, मुक्त और दूरस्थ शिक्षा पद्धित में स्नातकोत्तर कार्यक्रमों के लिए, कुल चार सेमेस्टर के लिए प्रति सेमेस्टर में 16 क्रेडिट आवंटित किए जाते हैं। पूर्ववर्ती तुलनात्मक मान का उपयोग शिक्षार्थियों की मुक्त और दूरस्थ शिक्षा पद्धित से पारंपरिक पद्धित में ऊर्ध्वाधर और क्षेतिज गितशीलता अथवा अनुलोमतः को सुकर बनाने और क्रेडिट के पारस्परिक अंतरण के लिए किया जा सकता है।

6. अध्ययन अथवा िक्षार्थी सहायता केन्द्र में जनशक्ति और अन्य प्रकार की सहायता मुहैया करवाना

अध्ययन केंद्र या शिक्षार्थी सहायता केन्द्र की अध्यक्षता एक समन्वयक द्वारा की जाएगी, जो कम से कम सहायक आचार्य के पद पर होगा और शिक्षार्थियों को पर्याप्त सहायता प्रदान करने के लिए विनिर्दिष्ट शिक्षार्थियों की संख्या के आधार पर शैक्षिक और शैक्षणेत्तर कर्मचारियों की सुविधा प्रदान की जाएगी। प्रति कार्यक्रम की क्षमता संगत क्षेत्र में उपलब्ध योग्य संकाय, बेहतर सुसज्जित प्रयोगशाला, पुस्तकालय, ऑनलाइन कनेक्टिविटी और सूचना और संचार प्रौद्योगिकी सुविधाओं और उपयुक्त बुनियादी ढांचे के अनुरूप होनी चाहिए। आमतौर पर, यह अपेक्षा की जाएगी कि उच्च शिक्षा संस्थान द्वारा पारंपरिक पद्धित में आयोजित एक समान कार्यक्रम के लिए विनिर्दिष्ट प्रवेश क्षमता के अनुरूप ही मुक्त एंड डिस्टेंस लिंग कार्यक्रम में कुल प्रवेश क्षमता को सीमित किया जाए, जहां अध्ययन केंद्र या शिक्षार्थी सहायता केन्द्र स्थित हैं लेकिन किसी मामले में यह सीमा उसके दो गुना से अधिक नहीं होनी चाहिए।

- (i) चार क्रेडिट के प्रति सिद्धांत पाठ्यक्रम प्रति के लिए योग्य परामर्शदाताओं की संख्या : 2 से 4 ;
- (ii) दो क्रेडिट के प्रति व्यावहारिक पाठ्यक्रम के लिए योग्य पर्यवेक्षक की संख्या : 1 या उससे अधिक।
- (iii) प्रयोगशाला की उपलब्धता : प्रयोगशाला एक मान्यताप्राप्त उच्चतर शिक्षा संस्थान में होनी चाहिए, जो परंपरागत विधा में कम से कम 3 वर्ष से चल रही है।
- (iv) आदर्श रूप से, अध्ययन केंद्र अथवा शिक्षार्थी सहायता केन्द्र में भर्ती हुए विद्यार्थियों की संख्या, किसी भी समय पांच सौ से अधिक नहीं होनी चाहिए, लेकिन उच्च शिक्षा संस्थानों में स्थित केन्द्र जहां पंद्रह सौ से अधिक छात्र शिक्षा ग्रहण कर रहे हों, पैरा 2 के तहत

^{*} बृहद मुक्त ऑनलाइन पाठ्यक्रम और अन्य ऑनलाइन कार्यक्रम वितरण प्रणाली प्रदान करके बीस प्रतिशत की सीमा तक संपर्क सत्र की व्यवस्था की जा सकती है।

वर्णित अन्य शर्तों की पूर्ति के अध्यधीन किसी भी समय मुक्त और दूरस्थ शिक्षा पद्धति में कुल शिक्षार्थियों की संख्या एक हजार से अधिक नहीं होनी चाहिए।

7. अंतिम सेमेस्टर या वर्णात परीक्षा का आयोजन

- (i) मुक्त और दूरस्थ शिक्षा पद्धित के कार्यक्रमों के लिए सभी परीक्षाएं संस्थान के भीतर आयोजित की जाएंगी जहां अध्ययन केंद्र या शिक्षार्थी सहायता केन्द्र प्रत्यक्ष रूप से मुक्त और दूरस्थ शिक्षा पद्धित के तहत नियंत्रण तथा उत्तरदायित्व के अधीन होंगे। साथ ही, सभी सरकारी संस्थान जैसे केन्द्रीय विद्यालय, नवोदय विद्यालय, सैनिक स्कूल आदि को भी मुक्त और दूरस्थ शिक्षा पद्धित के तहत शिक्षा प्रदान करने वाले मुक्त विश्वविद्यालय अथवा उच्च शिक्षा संस्थान के प्रत्यक्ष समग्र पर्यवेक्षण तहत परीक्षा केन्द्र के रूप में चिह्नित किया जा सकता है।
- (ii) परीक्षा और परीक्षण के विभिन्न घटकों में शिक्षार्थियों के मूल्यांकन की सभी प्रक्रियाओं को सीधे मुक्त और दूरस्थ शिक्षा पद्धित संस्थान द्वारा ही नियंत्रित किया जाएगा और मूल्यांकन का कोई भी अंश आउटसोर्स नहीं किया जाएगा।
- (iii) पारदर्शिता और विश्वसनीयता सुनिश्चित करने के लिए, मुक्त और दूरस्थ शिक्षा पद्धित के तहत उच्च शिक्षा संस्थानों से पूर्णकालिक संकाय अथवा केवल विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा मान्यता प्राप्त उच्च शिक्षा संस्थानों के योग्य शैक्षिक संकायों को पर्यवेक्षक, परीक्षा अधीक्षक, प्रेक्षक आदि के रूप में कार्य करने के लिए संबद्ध करना चाहिए।
- (iv) परीक्षा केंद्र में बैठने की पर्याप्त क्षमता और सुविधाएं, जिनमें पर्याप्त प्रकाश, संवातन, शौचालय और स्वच्छ पेयजल सुविधाएं शामिल हैं, होनी चाहिए।

8. अध्ययन केंद्र अथवा शिक्षार्थी सहायता केन्द्र के कार्यकरण की निगरानी

सामान्यतः, मुक्त और दूरस्थ शिक्षा पद्धित के अंतर्गत चलने वाले उच्च शैक्षिक संस्थानों में अनेकानेक शिक्षार्थियों के विभिन्न समूहों हेतु ज्ञान अर्जन के व्यापक तंत्र जिसमें अनेक ज्ञान अर्जन केन्द्रीत प्रचालन आयोजित किए जाते हैं, जहां बहु पद्धित के माध्यम से कार्यक्रम संचालन का उपयोग करके उनकी आशाओं और स्व शिक्षण संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति की जाती है। किसी दूरस्थ स्थान पर स्थित शिक्षार्थियों के लिए इन चुनौतियों और जिटल प्रचालनों को प्रभावी ढंग से प्रबंधित करने के लिए, मुख्यालय, क्षेत्रीय केंद्रों और अध्ययन केंद्रों के बीच एक बहुत गितशील सम्प्रेषण संचार प्रणाली को प्राथमिकता के आधार पर स्थापित किया जाना चाहिए। इस प्रकार, यह वांछनीय है कि मुख्यालयों, क्षेत्रीय केंद्रों और अध्ययन केंद्रों अथवा शिक्षार्थी सहायता केन्द्रों को जल्द से जल्द आपस में जोड़ते हुए सूचना और संचार प्रौद्योगिकी नेटवर्क स्थापित किया जाना चाहिए और तीव्र और विश्वसनीय प्रचालन के लिए उपयोग किया जाना चाहिए जैसे :—

- (i) प्रत्येक शिक्षार्थी के लिए यूजरनेम और लॉगिन आईडी तैयार की जानी चाहिए ताकि शिक्षार्थी मुक्त और दूरस्थ शिक्षा कार्यक्रम में अपने अध्ययन की प्रगति के रूप में सभी प्रासंगिक जानकारी देख सकें और मुक्त और दूरस्थ शिक्षा कार्यक्रम के संचालन में सुधार के लिए रचनात्मक प्रतिक्रिया प्रदान कर सकें;
- (ii) मुख्यालय, क्षेत्रीय केंद्र और अध्ययन केंद्र अथवा शिक्षार्थी सहायता केन्द्र को एक वेब पोर्टल का रखरखाव करना चाहिए, जिसमें मुक्त और दूरस्थ शिक्षा कार्यक्रमों के संचालन के संबंध में सभी प्रासंगिक जानकारी प्रदान करे और इनकी विषयवस्तु को कम से कम एक सप्ताह में एक बार अद्यतन किया जाना चाहिए:
- (iii) क्षेत्रीय केंद्रों को विशेषकर प्रवेश, परीक्षाओं और परामर्श सत्र आदि के दौरान, अध्ययन केंद्रों अथवा शिक्षार्थी सहायता केंद्रों को सौंपे गए सभी कार्यों और कार्यक्रम संचालन की गुणवत्ता के सभी पहलुओं को के बारे में एक समग्र रिपोर्ट एकत्रित करनी चाहिए, और कम से कम सप्ताह में एक समेकित रिपोर्ट को मुख्यालय के साथ साझा करना चाहिए;
- (iv) शिक्षार्थियों द्वारा प्रतिक्रियाओं के साथ इन रिपोर्टों की समय—समय पर अध्ययन केंद्रों या शिक्षार्थी सहायता केंद्रों के निष्पादन की गुणवत्ता के साथ साथ कार्यक्रम की गुणवत्ता की लेखापरीक्षा और इसके संचालन के लिए विश्लेषण किया जाना चाहिए;
- (v) किसी भी उपचारात्मक कार्रवाई को संयुक्त रूप से मुख्यालय, क्षेत्रीय केंद्रों और अध्ययन केंद्रों अथवा शिक्षार्थी सहायता केंद्रों द्वारा तुरंत सुनिश्चित किया जाना चाहिए;
- (vi) उच्च शिक्षा संस्थान के शैक्षिक कर्मचारिवृंद वर्ष में कम से कम दो बार क्षेत्रीय केन्द्रों और अध्ययन अथवा शिक्षार्थी सहायता केन्द्रों केंद्रों का तत्त्तस्थानिक दौरा करेंगे तथा उनके पदाधिकारियों, शिक्षार्थियों तथा परामर्शदाताओं से बातचीत करेंगे।
- (vii) अध्ययन केंद्रों अथवा शिक्षार्थी सहायता केन्द्रों पर शिक्षार्थियों द्वारा ''स्वयं'' और बृहद मुक्त ऑनलाइन पाठयक्रम की अन्य रिपॉजिटरी तक पहुंच सुनिश्चित करेंगे।

गैर निष्पादनकारी अध्ययन केंद्र अथवा शिक्षार्थी सहायता केन्द्रों को बंद करना :

यदि कोई अध्ययन केंद्र अथवा शिक्षार्थी सहायता केन्द्र निर्धारित मानदंडों या दिशानिर्देशों का पालन करने में विफल रहता है, तो उच्च शिक्षा संस्थान, उचित प्रक्रियाओं का पालन करके केंद्र को बंद करने के लिए कार्रवाई शुरू कर देगा, तािक वैकल्पिक व्यवस्थाओं के माध्यम से शिक्षार्थियों के हित को ध्यान में रखा जा सके।

अनुलग्नक XI

शिकायत निवारण तंत्र

शिक्षार्थियों के लिए शिकायत निवारण प्रणाली का दायरा

दूरस्थ शिक्षा पद्धित के माध्यम से कार्यक्रमों की पेशकश करने वाले उच्च शिक्षा संस्थानों की एक शिकायत निवारण प्रणाली और प्रक्रिया होगी जो उच्च शिक्षा संस्थान के पोर्टल पर डाली जाएगी और यह संबंधित उच्च शिक्षा संस्थान का उत्तरदायित्व होगा कि के जब कभी भी आवश्यक हो इसे अद्यतन करें। प्रत्येक उच्च शिक्षा संस्थान शिकायतों को प्रस्तुत करने और उनकी स्थिति जानने के लिए एक ऑनलाइन सुविधा प्रदान करेगा। उच्च शिक्षा संस्थान अपनी शिकायत निवारण प्रक्रियाओं की प्रभावशीलता की निगरानी, मूल्यांकन और समीक्षा करने के लिए भी उत्तरदायी होगा।

शिकायत निवारण प्रणाली के लिए दिशानिर्देश और मानदंड

उच्च शिक्षा संस्थान के पास निम्नवत दिशानिर्देशों और मानकों के आधार पर शिकायत निवारण प्रणाली नीति होगी. अर्थात : –

- (क) नीति निष्पक्ष और बोधगम्य होनी चाहिए;
- (ख) प्रक्रिया के प्रत्येक चरण के लिए समय सीमा निर्धारित होनी चाहिए;
- (ग) उच्च शैक्षिक संस्थानों पोर्टल पर नीति डाली जानी चाहिए ताकि शिक्षार्थी पढ सकें और संदर्भ लें सकें;
- (घ) नीति को निशक्त शिक्षार्थियों के लिए उपर्युक्त प्रारूप में उपलब्ध कराया जाना चाहिए और तदनुसार, नीति दस्तावेज में उपबंध किया जाना चाहिए:
- (ङ) शिकायत निवारण प्रक्रिया में शामिल प्राधिकारी या अधिकारियों को तथ्यों को निष्पक्ष मानना चाहिए तथा उनकी निष्पक्षता से जांच करना चाहिए;
- (च) उच्च शिक्षा संस्थानों को समय पर शिकायतों को समाधान करना चाहिए तािक शिक्षार्थी के ज्ञान अर्जन में कम से कम व्यवधान हों। उच्च शिक्षा संस्थान के पास उचित संचार प्रणाली होनी चाहिए तथा शिकायत को उच्चाधिकारियों तक भेजने का तंत्र होना चाहिए जिसका ऑनलाइन सॉफ्टवेयर एप्लिकेशन के माध्यम से संचालित और रखरखाव किया जा सकता है।
- (छ) उच्च शिक्षा संस्थान को यथासंभव शिकायतकर्ता की गोपनीयता बनाए रखना चाहिए;
- (ज) उच्च शिक्षा संस्थान को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उच्च शिक्षा संस्थान, क्षेत्रीय केंद्रों और शिक्षार्थी सहायता केन्द्र (एस) में शिक्षार्थियों की सहायता के लिए नियुक्त अधिकारी(यों) शिकायतों को दायर करने के लिए मार्गदर्शन प्रदान करने में सक्षम हैं;
- (झ) प्रक्रिया के दौरान किसी भी समय पूर्वाग्रह के बिना शिकायत को वापस लेने का प्रावधान होना चाहिए; तथा
- (अ) शिक्षार्थी को प्राथमिकता के आधार पर अपने प्रश्नों या शिकायतों के संबंध में स्थिति के बारे में संसूचित रखा जाना चाहिए।

शिक्षार्थी के अधिकार और उत्तरदायित्व

- (क) शिक्षार्थी को कार्यक्रम की गुणवत्ता, ज्ञान अर्जन संसाधनों, शिक्षार्थियों को सहायता और मार्गदर्शन, शिक्षण, शिक्षा और मूल्यांकन सिंहत उनके ज्ञान अर्जन के मार्ग से संबंधित किसी भी पहलू के बारे में शिकायत करने का अधिकार है।
- (ख) शिक्षार्थी अपनी शिकायत को प्रस्तुत करने के लिए संबंधित शिक्षार्थी सहायता केन्द्र (ऑफलाइन या मिश्रित शिक्षा के मामले में) के पास जाने का हकदार है। शिक्षार्थी अपनी शिकायत ऑनलाइन पद्धित सीधे उच्च शिक्षा संस्थान में दायर कर सकता है। शिकायत व्यक्तिगत रूप से अथवा सामूहिक रूप से शिक्षार्थियों के एक समूह द्वारा दायर की जा सकती है।
- (ग) शिक्षार्थी को प्रदान की गई सेवा अथवा एक सेवा की गुणवत्ता की कमी के साथ असंतोष की अभिव्यक्ति के संबंध में उच्च शिक्षा संस्थान द्वारा निर्धारित तरीके से एक औपचारिक शिकायत दर्ज करनी चाहिए। इस तरह की अभिव्यक्ति में यह उल्लेख किया जाना चाहिए कि शिक्षार्थी किस प्रकार की सेवा प्राप्त करने के हकदार थे।

उच्च शिक्षा संस्थान के उत्तरदायित्व

- (i) उच्च शिक्षा संस्थान खुलेपन और सहयोग के सिद्धांतों पर साथ काम करेगा।
- (ii) उच्च शिक्षा संस्थान प्रदान की जा रही सेवाओं में लगातार सुधार करेगा। जब कभी शिकायत प्राप्त होने पर, उच्च शिक्षा संस्थानभली– भांति इसकी जांच करेगा और अपनी सेवाओं में आवश्यक सुधार करेगा।
- (iii) उच्च शिक्षा संस्थान शिक्षार्थी सहायता केन्द्र को जहां तक संभव हो न्यूनतम औपचारिकता के साथ शिकायतों की उत्पत्ति के साथ ही उसका समाधान करने और उसे हल करने की दिशा में प्रारंभिक प्रयास करने के लिए प्रोत्साहित करेगा।
- (iv) उच्च शिक्षा संस्थान अपने शिक्षार्थी सहायता केन्द्र के माध्यम से शिकायत निवारण प्रक्रिया की निगरानी भी करेगा।
- (v) जब तक कि मामले में आगे बढ़ने के लिए प्रकटीकरण आवश्यक नहीं हो, उच्च शिक्षा संस्थान, निजता और गोपनीयता के लिए उत्तरदायी होगा।
- (vi) शिकायत में असंतोष का कारण और प्रत्याशित उपचार सम्मिलित होना चाहिए। शिक्षार्थी को शिक्षार्थी सहायता केन्द्र में शिकायत दर्ज करते समय सृजित ऑनलाइन शिकायत पंजीकरण संख्या का संदर्भ भी देना चाहिए।
- (vii) उच्च शिक्षा संस्थान के संबंधित विद्यालय का प्रमुख, शिकायत(तों) की जांच करेगा या मामले(लों) को उपर्युक्त व्यक्ति, निकाय या समिति या विभाग, जैसा उपर्युक्त समझे, को भेजेगा।
- (viii) उच्च शिक्षा संस्थान के विद्यालय के प्रमुख का यह उत्तरदायित्व होगा कि वह मामले की प्रगति की निगरानी करे तथा समय से मामले का समाधान करे।
- (ix) उच्च शिक्षा संस्थान के संबंधित विद्यालय के प्रमुख, ऑफलाइन या ऑनलाइन पद्धति से लिखित रूप में (पत्र या ईमेल इत्यादि) उत्तर देंगे और इस संबंध में लिए निर्णय के पीछे के कारणों तथा इस संबंध में की गई कार्रवाई का उल्लेख करेंगे।

UNIVERSITY GRANTS COMMISSION NOTIFICATION

New Delhi, the 23rd June, 2017

F. No. 2-4/2015 (DEB-III).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 26 read with clause (j) of section 12 of the University Grants Commission Act, 1956 (3 of 1956) and in supersession of the University Grants Commission Regulations, (the minimum standards of instructions for the grants of first degree through nonformal/distance education in the faculties of Arts, Humanities, Fine Arts, Music, Social Science, Commerce and Sciences) Regulations, 1985 except as respect of things done or omitted to be done before such supersession, the University Grants Commission makes the following regulations, namely:—

PART - I

PRELIMINARY

- 1. Short title, application and commencement.—
- (1) These regulations may be called the University Grants Commission (Open and Distance Learning) Regulations, 2017.
- (2) These Regulations lay down the minimum standards of instruction for the grant of degree at the undergraduate and post-graduate levels, through Open and Distance Learning mode, and shall be in addition to and not in derogation of any other Regulations, Notifications, Guidelines or Instructions issued by the Commission from time to time.
- These regulations shall apply to a University referred to under clause (f) of section 2 of the University Grants Commission Act, 1956, an Institution Deemed to be University under section 3 of the said Act, for all degree programmes of learning at the undergraduate and post-graduate level, other than programmes in engineering, medicine, dental, pharmacy, nursing, architecture, physiotherapy and programmes not permitted to be offered in distance mode by any other regulatory body.
- (4) These regulations shall come into force from the date of their publication in the Official Gazette.
- **2. Definitions.**—In these regulations, unless the context otherwise requires—
 - (a) "Academic session" means duration of twelve months beginning either in January or in the month of July of every year;
 - (b) "Act", means the University Grants Commission Act, 1956 (3 of 1956);
 - (c) "Centre for Internal Quality Assurance" (CIQA) means a Centre as specified in **Annexure I** established by a Higher Educational Institution offering programmes in Open and Distance Learning mode for ensuring the quality of programmes offered by it through internal quality monitoring mechanism in accordance with the guidelines as specified in **Annexure II**;
 - (d) "Commission" means the University Grants Commission established under the University Grants Commission Act, 1956 (3 of 1956);
 - (e) "Credit" means the Unit award gained by a learner by study efforts of a minimum of thirty hours required to acquire the prescribed level of learning in respect of that Unit;
 - (f) "Degree" means a degree specified under sub-section (3) of section 22 of the Act;
 - (g) "Examination Centre" means a place where examinations are conducted for the Open and Distance Learning mode learners and is having the requisite infrastructure and adequate manpower for smooth conduct of examinations, and adhering to such minimum standards as specified in **Annexure III.**
 - (h) "Franchising" for the purpose of these regulations, means and includes the practice of allowing, formally or informally, any person or institution or organisation, other than the Higher Educational Institution recognised under these regulations for offering Open and Distance Learning programmes, to offer such programmes of study on behalf of or in the name of the recognised Higher Educational Institution, and the terms 'franchise' and 'franchisee' shall be construed accordingly;
 - "Higher Education" means such education, imparted by means of conducting regular classes or through distance education systems, beyond twelve years of schooling leading to the award of a Degree or Certificate or Diploma or Postgraduate Diploma;

- (j) "Higher Educational Institution" means a university covered under clause (f) of section 2 and an institution deemed to be a university covered under section 3 of the University Grants Commission Act, 1956, which is imparting by means of conducting regular classes or through Open and Distance Learning systems, higher education or research therein;
- (k) "Learner Support Centre" means a centre established, maintained or recognised by the Higher Educational Institution for advising, counselling, providing interface between the teachers and the learners, and rendering any academic and any other related service and assistance required by the learners;
- (l) "Learner Support Services" means and includes such services as are provided by a Higher Educational Institution in order to facilitate the acquisition of teaching-learning experiences by the learner to the level prescribed by or on behalf of the Commission in respect of a programme of study;
- (m) "Open and Distance Learning" mode means a mode of providing flexible learning opportunities by overcoming separation of teacher and learner using a variety of media, including print, electronic, online and occasional interactive face-to-face meetings with the presence of an Higher Educational Institution or Learner Support Services to deliver teaching-learning experiences, including practical or work experiences.
- (n) "Open University" means a University which imparts education through distance education or Open and Distance Learning mode using variety of Information and Communication Technology educational aids i.e. online education in the form of Open Educational Resources (OERs) or Massive Open Online Courses (MOOCs) etc.:
- (o) "Programme" means a course or programme of study leading to the award of a Degree at graduate and post-graduate levels in a higher educational institution including Certificate or Diploma or Post Graduate Diploma;
- (p) "Professional programmes" means a programme other than programmes in engineering, medicine, dental, pharmacy, nursing, architecture, physiotherapy and programmes not permitted to be offered in distance mode by any Statutory Councils or Regulatory Authorities to be conducted by the Higher Educational Institutions under Open and Distance Learning mode or Distance Education mode for the purpose of these regulations, if any, should be considered only if the same are approved by the respective Statutory Councils or Regulatory Authorities.
- (q) "Prospectus" includes any publication, whether in print or otherwise, issued for providing fair and transparent information, relating to a higher educational institution and programmes, to the general public (including to those seeking admission in such Higher Educational Institutions) by the management of such Higher Educational Institutions or any authority or person authorised by such Higher Educational Institutions to do so;
- (r) "Self Learning Material" means and includes contents in the form of course material, whether print or non-print, which is inter-alia self-explanatory, self-contained, self-directed at the learner, and amenable to self-evaluation, and enables the learner to acquire the prescribed level of learning in a course of study, but does not include text-books or guide-books;
- (s) "Standalone Institutions" means those institutions which are not affiliated to any of the Universities under the provisions of the Act.

PART - II

RECOGNITION OF HIGHER EDUCATIONAL INSTITUTION FOR OPEN AND DISTANCE LEARNING PROGRAMMES

3. Recognition of Higher Educational Institutions offering programmes in Open and Distance Learning mode—

(1) Every Higher Educational Institution offering a programme in Open and Distance Learning mode in pursuance of an approval granted to it for the purpose by the then Distance Education Council or by the Commission or by any other regulatory authority or intending to offer a programme in Open and Distance Learning mode from the academic session immediately after the notification of these regulations shall, for grant of recognition, make an application to the Commission in such form and manner as laid down in sub-regulation (2) on fulfilment of the following conditions, namely:—

- (i) the Higher Educational Institution has the approval of the statutory bodies under the Act for offering the programme in Open and Distance Learning mode;
- (ii) the Higher Educational Institution shall adhere to the policy of territorial jurisdiction as specified in **Annexure IV**;
- (iii) the Higher Educational Institution other than an Open University, is offering similar programme in the conventional mode of classroom teaching;
- (iv) a copy of such application is displayed on the website of the Higher Educational Institutions by way of selfdisclosure;
- (v) that the application is accompanied by evidence of having prepared the self learning materials required for the programmes of study, duly approved by the statutory bodies of the Higher Educational Institutions empowered to decide on academic matters;
- (vi) the application is accompanied by evidence of availability of Open and Distance Learning resources adequate for effective delivery of all the proposed programme(s) of study and the expected enrolment of students;
- (vii) the application is accompanied by evidence of the preparedness for establishing Learner Support Centres, providing Learning Support Services, establishing Centre for Internal Quality Assurance, availability of the academic and other staff in the Unit and Learner Support Centres of the Higher Education, availability of qualified Counselors in the Learner Support Centres meeting such standards of competence as specified in Annexure V, and the administrative arrangements for supportive services for effective delivery of Open and Distance Learning;
- (viii) the Higher Educational Institution has valid accreditation from National Assessment and Accreditation Council (NAAC) and has completed five years of existence:

Provided that this clause shall not be applicable to Open Universities till the time they become eligible for National Assessment and Accreditation Council accreditation and it shall be mandatory for Open Universities to get National Assessment and Accreditation Council accreditation within one year of their becoming eligible for the same:

Provided further that an institution Deemed to be a University so declared by the Central Government shall offer the Open and Distance Learning courses or programmes as per the extant Deemed to be a University Regulations and also notified by the University Grants Commission from time to time in the matter.

- (2) A Higher Educational Institution intending to offer a programme in Open and Distance Learning mode for academic session immediately after the notification of these regulations and for subsequent years shall, notwithstanding that it has obtained permission from the then Distance Education Council or by the Commission for offering a programme in Open and Distance learning mode for academic session immediately after the notification of these regulations and for subsequent years, shall make an on-line application in the format specified by the Commission, and upload the same on the specified portal along with scanned copy of the documents specified therein, at least six months before the commencement of the academic session of the programme intended to be offered by such Higher Educational Institution.
- (3) The Commission shall process the application received under sub-regulation (2) of regulations 3 in the following manner, namely:—
 - any deficiency or defect in the application shall be communicated by the Commission to the Higher Educational Institution preferably within one month from the date of receiving the application and the Higher Educational Institution shall be required to remove or rectify such deficiencies or defects with the necessary documents or information, if any within fifteen days;
 - (ii) where the Higher Educational Institution has made an application for offering programme (s) in Open and Distance Learning mode, notwithstanding that in respect of such programme(s) the Distance Education Council (DEC) or Commission had caused the inspection of the institute in the past or prior to coming into force of these regulations, the Commission may cause an inspection, in respect of such programme(s), of the Higher Educational Institutions at its discretion through an Expert Committee; and
 - (iii) the Commission shall examine the application with the help of an Expert Committee constituted by Chairman of the Commission and the recommendations of the Committee shall be placed before the Commission for its consideration.

- (4) After processing the application in the manner laid down under sub-regulation (3) of regulation 3, the Commission shall—
 - (i) if it is satisfied that such Higher Educational Institution fulfils the conditions laid down and the quality parameters specified under these regulations, pass an order granting recognition to such Higher Educational Institutions for a period of five years in respect of such programmes as it may specify in the order, and subject to such conditions as it may specify:
 - Provided that while passing an order, where the Commission does not grant recognition in respect of one or more programmes, the Commission shall specify the grounds of such refusal in the order:
 - Provided further that before passing an order, the Commission shall provide a reasonable opportunity to the concerned Higher Educational Institution of being heard.
 - (ii) if it is of the opinion that such Higher Educational Institutions does not fulfil the requirements laid down in clause (i) in respect of any of the programme intended to be offered by the Higher Educational Institution, pass an order refusing recognition to such Higher Educational Institution for reasons to be recorded in writing.
- (5) Every order granting or refusing recognition to a Higher Educational Institutions for programme(s) in Open and Distance Learning mode under sub-regulation (4) shall be communicated in writing for appropriate action to such Higher Educational Institutions and to the concerned State Government and the Central Government.
- (6) Every Higher Educational Institution, in respect of which recognition for programme(s) has not been granted by the Commission, shall discontinue the programme(s) in Open and Distance Learning mode with immediate effect.
- (7) No Higher Educational Institution shall offer a programme in Open and Distance Learning mode for academic session immediately after the notification of these regulations and for subsequent academic session and admit students thereto unless it has been granted recognition for the programme under clause (i) of sub-regulation (4).

Explanation—for the purpose of this regulations "Distance Education Council" means the Distance Education Council constituted under statue 28 under the Indira Gandhi National Open University Act, 1985 vide notification GSR No. 692 dated 22.11.1991 (which has since been repealed vide notification number IG/Admn(G)/DEC/2013/3148 dated 14.08.2013 published in Part III, Gazette of India dated 31.08.2013.

4 Withdrawal of recognition –

(1) Where the Commission is, on its own motion or on any representation received from any person, or any information received from any authority or a statutory body, or on the basis of any enquiry or inspection conducted by it, satisfied that a Higher Educational Institution has contravened any of the provisions of these regulations or guidelines and orders made or issued thereunder, or has submitted or produced any information and documentary evidence which is found to be false at any stage or any condition subject to which recognition under clause (i) of sub-regulation (4) of regulation 3 has been granted, it may withdraw recognition of such Higher Educational Institution in respect of such programme(s) as it may specify, for reasons to be recorded in writing:

Provided that no such order against the Higher Educational Institution shall be passed unless a reasonable opportunity of making representation against the proposed order has been given to such Higher Educational Institution:

Provided further that the order withdrawing or refusing recognition passed by the Commission shall come into force with immediate effect.

- (2) If a Higher Educational Institution offers any programme in Open and Distance Learning mode after the coming into force of the order withdrawing recognition under sub-regulation (1) or where a Higher Educational Institution offering a programme in Open and Distance Learning before the commencement of these regulations, fails to obtain recognition under these regulations for offering programmes in Open and Distance Learning mode for academic session immediately after the notification of Regulations and subsequent academic sessions, the degree obtained pursuant to such programme or after undertaking a programme in Open and Distance Learning mode in such Higher Educational Institutions, shall not be treated as a valid qualification.
- (3) In the event of any Higher Educational Institution found offering programmes or courses in Open and Distance Learning mode without the approval of the Commission or in violation to any of the provisions of these regulations and guidelines or orders made thereunder, the Commission may —

- (i) issue Show Cause Notice or withdraw the recognition for an academic session or withdraw the recognition, maximum up to next five academic sessions or withdraw the recognition permanently;
- (ii) if, in spite of above, the Higher Educational Institution is found continuing the violations, a First Information Report may be lodged against the officials or management of the errant Higher Educational Institution to take action as per law.
- (iii) withhold or debar from receiving University Grants Commission grants;
- (iv) refer the matter to the State Government concerned or Central Government as the case may be; and
- (v) take action as per the provisions of the Act or Rules or Regulations as applicable to the Higher Educational Institution.

5. Appeals –

- (1) Any Higher Educational Institution aggrieved by an order made under sub-regulation (4) of regulation 3 or withdrawal of recognition under sub-regulation (1) of regulation 4 may prefer an appeal to the Commission within a period of thirty days.
- (2) No appeal after the expiry of the period prescribed therefore shall be accepted.
- (3) Every appeal made under these regulations shall be accompanied by a copy of the order appealed against accompanied by such fees as may be prescribed by the Commission from time to time.
- (4) The procedure for disposing of an appeal shall be as laid down by the Commission from time to time.
- (5) The Commission may confirm or reverse the order appealed against.
- (6) The decision of the Commission shall be final and binding on the Higher Educational Institutions.

PART-III

MAINTENANCE OF INFRASTRUCTURAL, ACADEMIC AND OTHER QUALITY STANDARDS BY HIGHER EDUCATIONAL INSTITUTIONS

6. Systems Management: Structure and Processes—

- (1) A Higher Educational Institution shall have a designated School or Centre of Distance Education for operationalising the programmes in Open and Distance Learning mode, which shall be headed by a regular functionary not below the rank of a Professor and shall have appropriate and adequate academic, technical, administrative staff and infrastructural resources as specified in **Annexure VI**.
- (2) A Higher Educational Institution shall plan, implement, coordinate and monitor operationalisation and quality assurance of the programmes in Open and Distance Learning mode, including monitoring the conduct and programme delivery by the Learner Support Centres and shall ensure adherence to the regulations and guidelines of the Commission and other regulatory authorities.

7. Self-regulation through disclosures, declarations and reports—

- (1) A Higher Educational Institution offering programmes in Open and Distance Learning mode shall display on its website a declaration by an authorised signatory, not below the rank of the Registrar, authenticating that the following documents have been uploaded on the Institute website, namely:—
 - the establishing Act and Statutes thereunder or the Memorandum of Association, as the case may be or both of the Higher Educational Institution, empowering it to offer programmes in Open and Distance Learning mode;
 - (ii) copies of the letters of recognition from Commission and other relevant statutory or regulatory authorities;
 - (iii) programme details including brochures or programme guides inter alia information such as name of the programme, duration, eligibility for enrolment, programme fee, programme structure etc.;
 - (iv) programme-wise information on syllabus, suggested readings, contact points for counseling, programme structure with credit points, programme-wise faculty details, list of supporting staff, list of Learner Support Centres with addresses and contact details, their working hours and counseling schedule etc.;

- (v) important schedules or date-sheets for admissions, registration, re-registration, counseling, assignments and feedback thereon, examinations, result declarations etc.;
- (vi) detailed strategy plan related to On-line course delivery, if any including learning materials offered through On-line and learner assessment system and quality assurance practices of e-learning programmes;
- (vii) the feedback mechanism on design, development, delivery and continuous evaluation of learnerperformance which shall form an integral part of the transactional design of the Open and Distance Learning mode programmes and shall be an input for maintaining the quality of the programmes and bridging the gaps, if any;
- (viii) information regarding any new programmes launched and those proposed for the next two years;
- (ix) data of year-wise or programme-wise student enrolment details and degrees or certificates or diplomas or post graduate diplomas awarded;
- (x) complete information about 'Self Learning Material' including name of the faculty who prepared it, when was it prepared and last updated, source of Self Learning Material, references of Self Learning Material, etc.;
- (xi) a compilation of questions and answers under the head 'Frequently Asked Questions' with the facility of 'on-line' interaction with learners providing hyperlink support;
- (xii) list of the 'Learner Support Centres' along with the number of students who shall appear at any examination centre and details of the Information and Communication Technology facilities available for conduct of examination in a fair and transparent manner;
- (xiii) list of the 'Examination Centres' along with the number of students in each centre; and
- (xiv) period of the admission process along with the academic session and dates of the term end examinations.

8. Quality Assurance—

- (1) A Higher Educational Institution offering programme(s) in Open and Distance learning mode shall, take the following steps, namely:-
 - (i) establish a Centre for Internal Quality Assurance exclusively for programmes in the Open and Distance Learning mode within one year from the coming into force of these regulations;
 - (ii) follow the Quality Assurance Guidelines on learning materials in multiple media, human resources, curriculum and pedagogy, as specified by the Commission in **Annexure VII** or by any other agency authorised by it for prescribing such guidelines, and shall post its quality assurance mechanism on the website;
 - (iii) take adequate measures for training and capacity building of its teaching and administrative staff and counselors at regular intervals;
 - (iv) shall ensure that the quality of programmes of study offered through Open and Distance Learning mode are maintained at par with standards obtaining in the conventional mode of class-room teaching as provided by the Commission or the appropriate statutory authority;
 - (v) shall award only such degrees as specified under section 22 of the Act, and permitted in the Order of recognition under clause (i) of sub-regulation (4) of regulation 3. However, the Higher Educational Institutions may continue to offer Certificate or Diploma or Post Graduate Diploma programmes subject to the condition that all the Certificate or Diploma or Post Graduate Diploma programmes are duly approved by the statutory authorities or bodies of the respective Higher Educational Institutions and the delivery mechanism conforms to the quality standards of the Open and Distance learning education as specified by the Higher Educational Institutions and further, the Higher Educational Institutions may offer Certificate or Diploma or Post Graduate Diploma in professional programmes (other than in engineering, medicine, dental, nursing, pharmacy, architecture and physiotherapy etc. and programmes not permitted to be offered in distance mode by any other regulatory authority) subject to the condition that the concerned Higher

Educational Institution has already obtained or received the requisite approvals from the concerned statutory regulatory authorities or councils before the actual start of such courses or programmes through Open and Distance Learning mode;

(vi) the Higher Educational Institutions shall have to exhibit the copies of the approval letters duly obtained or received from the concerned statutory regulatory authority or council to run the professional courses or programmes on the Higher Educational Institutions website as well as against the name of the each professional Certificate or Diploma or Post Graduate Diploma programmes in the brochure or bulletin of the respective Higher Educational Institution and inform the same to the University Grants Commission from time to time in the matter:

Provided that in case of violation of these regulations, the provisions specified under sub-regulation (3) of regulation 4 shall apply; and

- (vii) shall ensure that the academic and instructional facilities at its Learner Support Centres, and information resources for on-line delivery of programmes meet the guidelines laid by the Commission from time to time, and are commensurate with the number of programmes and enrolments thereto.
- (2) A Higher Educational Institution offering programme in Open and Distance Learning mode shall, in order to facilitate the pace of learning and multiple choice for learners, prepare Self Learning Material taking into consideration the following, namely:—
 - (i) Self Learning Material has clearly stated objectives, intended learning outcomes, study guidance and advice for the learners as to how to optimally use the material and suggestive related reference material to enhance the learning experience, and linkage within the text with other media (for digital SLM) is maintained for easy referencing and progress;
 - (ii) Self Learning Material developed and offered by it is self-explanatory, self-contained, illustrative, easily comprehensible, and in manageable modules such as units and blocks;
 - (iii) Self Learning Material provides adequate mechanism for the learners to provide feedback on their understanding of the subject;
 - (iv) Self Learning material is revised periodically from the perspective of improving quality and learner support; and
 - (v) Guidelines on preparation of Self-Learning material as shown in Annexure VIII:

Provided that a Higher Educational Institution shall prepare the Self Learning Material only after approval of the Programme Project Report:

Provided further that no programme in Open and Distance Education mode shall be launched by a Higher Educational Institution unless it has prepared the Self Learning Material taking into consideration the above factors.

9. Teachers and Academic staff working in Higher Educational Institutions—

- (1) Teacher and equivalent academic positions in the School or Centre for distance education Learner Support Centres shall be appointed or as per the minimum qualifications laid down in the University Grants Commission (Minimum Qualifications for Appointment of Teachers and other Academic Staff in the Universities and Colleges and Measures for the Maintenance of Standards in Higher Education) Regulations, 2010 as modified; and there shall be positions for Assistant Professor, Associate Professor and Professor in the School or Centre for Distance Education for performing academic functions.
- (2) Every teacher, beside his or her academic responsibilities shall participate in teaching, curriculum and course material development undertake examination or test or evaluation or invigilation work, general assistance to learners in removing their academic difficulties, and participate in extracurricular and institutional support activities as required.
- (3) The workload of a teacher shall take into account teaching, research and extension activities, preparation of lessons, evaluation of assignments, term papers etc. and shall be in accordance with the guidelines issued by the Commission from time to time:

Provided that the time spent on extension work where it forms an integral part of the course specified shall count towards the teaching load.

- (4) The number of full time teachers, academics and other administrative and technical staff shall be provided, keeping in view the type of programme offered as per guidelines issued by Commission from time to time.
- (5) The details of the faculty in the School or Centre for Distance Education of the Higher Educational Institutions and in the Learner Support Centres shall be declared on the website of the HEI and linked to Aadhaar details or other Government identifiers.

10. Use of technology—

- (1) A Higher Educational Institution offering programme(s) in Open and Distance Learning mode shall take such measures as are necessary to blend Information Communication Technologies (ICT) including those developed by national mission on education through Information and Communication Technology, for enhancing effectiveness of teaching learning process, and administrative functioning and for maintenance of updated information at all times in respect of status of admissions, registration, for managing teaching-learning activities through on-line support for interactive learning with learner feedback, to facilitate the use of Open Educational Resources (OER), Massive Open Online Courses and for continuous as well as comprehensive evaluation, certification, and other aspects of student support.
- (2) A Higher Educational Institution may allow up to twenty percent of the total courses being offered in a particular programme in a semester through the Online Learning courses/Massive Open Online Courses as per University Grants Commission (Credit Framework for Online Learning Courses through SWAYAM) Regulations, 2016.

11. Programme Launching Process and Approval—

- (1) Every Higher Educational Institution offering programme in Open and Distance Learning Mode shall publish on its website complete details of each programme on offer including fee structure, minimum eligibility condition for admission as prescribed by Commission from time to time, schedules of activities and academic calendar viz. dates for registration, reregistration, counseling sessions, assignment submissions, receipt of feedbacks on assignments, examination, list of Learner Support Centres for different programmes.
- (2) Before offering any programme, the Higher Educational Institution shall prepare a Programme Project Report for each programme which shall include the following, namely:—
 - information on relevance of programme to the Institution's mission and goals, objectives of the programme, nature of prospective target group of learners, and appropriateness of Open and Distance Learning mode for acquiring specific competencies or skills;
 - (ii) instructional design which shall include duration of programme(s), faculty and support staff requirements, instructional delivery mechanisms, identification of media print, audio or video, online, computer aided, and student support service systems;
 - (iii) procedure for admissions, curriculum transaction and evaluation;
 - (iv) details of laboratory support required for the programme(s), if any;
 - (v) library Resources;
 - (vi) cost estimate of the programme and the provisions therefor, indicating the amount assigned for programme development, delivery and maintenance;
 - (vii) quality assurance mechanism and expected programme outcomes;
 - (viii) curriculum and detailed syllabi of the programme(s); and
 - (ix) guidelines on launching programme(s) design, development and any such matters as specified by the Commission in **Annexure IX** and other regulatory bodies which shall be followed by the Higher Educational Institutions.
- (3) The Programme Project Report shall be approved by the appropriate authority of the Higher Educational Institutions, which shall put in place a monitoring mechanism to ensure its proper implementation.

PART-IV

ADMISSIONS, EXAMINATIONS AND LEARNER SUPPORT

12. Admission and fees—

(1) In order to provide opportunities for Higher Education to a larger segment of the population and to promote the educational well being of the community in general, the fee structure shall be devised by the Higher Educational Institutions in such a manner that it is affordable to all the stakeholders and the Higher Educational Institutions shall comply with the following:—

- (a) A Higher Educational Institution shall, for admission in respect of any programme in Open and Distance Learning mode, accept payment towards admission fee and other fees and charges
 - (i) as may be fixed by it and declared by it in the prospectus for admission, and on the website of the HEI;
 - with a proper receipt in writing issued for such payment to the concerned student admitted in such Higher Educational Institutions;
 - (iii) only by way of online transfer, bank draft or pay order directly in favour of the Higher Educational Institution.
- (b) It shall be mandatory for the Higher Educational Institutions to upload the details of all kind of payment or fee paid by the students on the website of the HEI.
- (c) The fee waiver for Scheduled Caste, Scheduled Tribe and Persons with Disabilities category of students shall be in accordance with the instructions or orders issued by Central Government or State Government:

Provided that a Higher Educational Institution shall not engage in commercialisation of education in any manner whatsoever, and shall provide for equity and access to all deserving learners.

(d) Admission of learners to a Higher Educational Institution for a programme in Open and Distance Learning mode shall be offered in a transparent manner and made directly by the headquarters of the Higher Educational Institution which shall be solely responsible for final approval relating to admissions or registration of students:

Provided that a Learner Support Centre shall not admit a learner to any programme in Open and Distance Learning for or on behalf of the Higher Educational Institution.

- (e) Every Higher Educational Institution shall
 - (i) record Aadhaar details or other Government identifiers of learner;
 - (ii) maintain the records of the entire process of selection of candidates, and preserve such records for a minimum period of five years;
 - (iii) exhibit such records on its website; and
 - (iv) be liable to produce such record, whenever called upon to do so by any statutory authority of the Government under any law for the time being in force.
- (f) Every Higher Educational Institution shall publish, before expiry of sixty days prior to the date of the commencement of admission to any of its programme in Open and Distance Learning mode, a prospectus containing the following for the purposes of informing those persons intending to seek admission to such Higher Educational Institutions and the general public, namely:—
 - (i) each component of the fee, deposits and other charges payable by the learners admitted to such Higher Educational Institutions for pursuing a programme in Open and Distance Learning, and the other terms and conditions of such payment;
 - (ii) the percentage of tuition fee and other charges refundable to a learner admitted in such Higher Educational Institutions in case such learner withdraws from such Higher Educational Institutions before or after completion of course or programme of study and the time within, and the manner in, which such refund shall be made to the learner;
 - (iii) the number of seats approved in respect of each course or programme of Open and Distance Learning mode, which shall be in consonance with the resources;
 - (iv) the conditions of eligibility including the minimum age of a learner in a particular course of programme of study, where so specified by the Higher Educational Institution;
 - (v) the minimum educational qualifications required for admission in programme(s) specified by the relevant statutory authority or body, or by the Higher Educational Institution, where no such qualifying standards have been specified by any statutory authority;

- (vi) the process of admission and selection of eligible candidates applying for such admission, including all relevant information in regard to the details of test or examination for selecting such candidates for admission to each course or programme of study and the amount of fee to be paid for the admission test;
- (vii) details of the teaching faculty, including therein the educational qualifications and teaching experience of every member of its teaching faculty and also indicating therein whether such member is employed on regular or part time or visiting or contractual basis;
- (viii) pay and other emoluments payable for each category of teachers and other employees;
- (ix) information in regard to physical and academic infrastructure and other facilities, including that of each of the Learner Support Centres and in particular the facilities accessible by learners on being admitted to the HEI;
- (x) broad outline of the syllabus specified by the appropriate statutory body or by Higher Educational Institution, as the case may be, for every course or programme of study; and
- (xi) activity planner including all the academic activities to be carried out by the Higher Educational Institution during the academic session and the details of July cycle and January cycle shall be notified separately:

Provided that the Higher Educational Institution shall publish informations referred to in clause (i) to (xi) on its website, and the attention of the prospective learners and the general public shall be drawn to such publication on its website and Higher Educational Institutions admission prospectus and the admission process shall necessarily be over prior to the beginning of the session:

Provided further that the Higher Educational Institution may publish prospectus at any time before the expiry of sixty days.

- (g) No Higher Educational Institution shall, directly or indirectly, demand or charge or accept, capitation fee or demand any donation, by way of consideration for admission to any seat or seats in a course or programme of study conducted by it.
- (h) No person shall, directly or indirectly, offer or pay capitation fee or give any donation, by way of consideration either in cash or kind or otherwise, for obtaining admission to any seat or seats in a programme in Open and Distance Learning mode offered by a Higher Education Institution.
- (i) No Higher Educational Institution, who has in its possession or custody, of any document in the form of certificates of degree, diploma or any other award or other document deposited with it by a person for the purpose of seeking admission in such Higher Educational Institutions, shall refuse to return such degree, certificate award or other document with a view to induce or compel such person to pay any fee or fees in respect of any course or programme of study which such person does not intend to pursue or avail any facility in such Higher Educational Institution.
- (j) In case a learner, after having admitted to a Higher Educational Institution, for pursuing any programme in Open and Distance Learning mode subsequently withdraws from such Higher Educational Institutions, no Higher Educational Institution in that case shall refuse to refund such percentage of fee deposited by such learner and within such time as has been mentioned in the prospectus of such Higher Educational Institution.
- (k) No Higher Educational Institution shall, issue or publish—
 - (i) any advertisement for inducing learners for taking admission in the Higher Educational Institution, claiming to be recognised by the appropriate statutory authority or by the Commission where it is not so recognised; or
 - (ii) any information, through advertisement or otherwise in respect of its infrastructure or its academic facilities or of its faculty or standard of instruction or academic or research performance, which the Higher Educational Institution, or person authorized to issue such advertisement on behalf of the Higher Educational Institution knows to be false or not based on facts or to be misleading.

(l) On being granted recognition under clause (i) of sub-regulation (4) of regulation 3, a Higher Educational Institution shall admit students to its approved programmes only from the academic session specified in the recognition order:

Provided that enrolment of learners to the Higher Educational Institution, for any reason whatsoever, in anticipation of grant of recognition for offering a programme in Open and Distance Learning mode, shall render the enrolment invalid.

13. Evaluation and Certification—

- (1) The Higher Educational Institution shall adopt the guidelines issued by the Commission from time to time in regard to the conduct of examinations.
- (2) There shall be home assignments, students' response sheets, contact programmes and semester or year-end examination, and the marks or grades obtained in home assignment and response sheets shall be shown separately in the grade card
- (3) A Higher Educational Institution offering Open and Distance Learning Programmes shall have a mechanism well in place for evaluation of learners enrolled through Open and Distance Learning mode and their certification.
- (4) A Higher Educational Institution offering a Programme in Open and Distance Learning mode shall adopt a rigorous process in development of question papers, question banks, assignments and their moderation, conduct of examination, evaluation of answer scripts by qualified teachers, and result declaration, and shall so frame the question papers as to ensure that no part of the syllabus is left out of study by a learner.
- (5) The examination of the programmes in Open and Distance learning mode shall be managed by the examination or evaluation Unit of the Higher Educational Institution and shall be conducted in the examination centre approved by the Higher Educational Institution.
- (6) The evaluation shall include two types of assessments continuous or formative assessment in the form of assignments, and summative assessment in the form of end semester examination or term end examination:

Provided that no semester or year-end examination shall be held in a subject unless the Higher Educational Institution is satisfied that at least 75% of the programme of study stipulated for the semester or year have been actually conducted:

Provided further that the weightage for "Term End Examination" shall not be less than 70%.

- (7) The 'Examination Centre' shall be established within the territorial jurisdiction of the Higher Educational Institutions, subject to the following:—
 - (i) The Examination Centre shall be located in Government schools such as Navodaya Vidyalaya, Kendriya Vidyalaya, Sainik school etc. including approved affiliated colleges under the University system in the country and no Examination Centres shall be allotted to any private organisations or unapproved Higher Educational Institutions.
 - (ii) The Examination Centre shall have proper monitoring mechanisms for Closed-Circuit Television (CCTV) recording of the entire examination procedure and biometric system and in case of non-availability of the Closed-Circuit Television facilities, the Higher Educational Institution shall ensure that proper videography be conducted and video recordings are submitted by particular incharge of examination centre to the concerned Higher Educational Institution.
 - (iii) The Higher Educational Institution shall retain all such Closed-Circuit Television recordings in archives for a minimum period of ten years.
 - (iv) The attendance of examinees shall be authenticated through biometric system as per Unique Identification Authority of India (UIDAI) records or Unique Identification Number (UIN), issued by the University.
 - (v) There shall be an observer for each of the Examination Centre appointed by the Higher Educational Institution and it shall be mandatory to have observer report submitted to the Higher Educational Institution.

- (8) The Learner Support Centres, within the territorial jurisdiction, may also be used as examination centres provided they fulfil the criteria of an examination centre and it shall be mandatory for the Higher Educational Institution to mention the name and place of 'Learner Support Centre' and of 'Examination Centre' on all the certificates or mark sheets issued to the students.
- (9) The Higher Educational Institution shall make a mention in the mark sheet and degree about the mode of delivery i.e. Open and Distance Learning and the photograph and the Unique Identification or Aadhaar number of the learner shall be mandatorily mentioned in all the documents issued by the Higher Educational Institution to the learner.
- (10) It shall be mandatory for the Higher Educational Institution to mention 'Date of Admission' and 'Date of Completion' on each of the certificates (in semester or end of the semester or end of the programme or course) issued by it.

14. Learner Support Centre—

(1) A Higher Educational Institution offering programme in Open and Distance mode shall, within one year from the date of commencement of these regulations, ensure that a Learner Support Centre is established only in a college or institution affiliated to a University or in a government recognised Higher Educational Institution offering programmes in the same broad areas having the necessary infrastructure and human resources for offering the programme:

Provided that a Higher Educational Institution may establish a special Learner Support Centre for imparting instruction to persons referred to in the Persons with Disabilities (Equal Opportunities, Protection of Rights and Full Participation) Act, 1995, the National Trust for Welfare of Persons with Autism, Cerebral Palsy, Mental Retardation and Multiple Disability Act, 1999 and other persons in difficult circumstances, including jail inmates:

Provided further that a Learner Support Centre shall not be set up under a franchisee agreement in any case.

- (2) A Learner Support Centre shall be the contact point or centre managed by the Higher Educational Institution for providing academic as well as administrative support to its learners, and shall perform such other functions as specified in **Annexure X.**
- (3) The Learner Support Centre shall be headed by a Coordinator who shall be a regular teacher not below the rank of a qualified Assistant Professor of the concerned College or Higher Educational Institution and assisted by the counselors as decided by the Higher Educational Institution.
- (4) The Higher Educational Institution shall have a Standard Operating Procedure for the smooth functioning of the Learner Support Centre which shall include functions of the Learner Support Centres and its different functionaries, monitoring mechanism of different services provided by the Centre, and it shall be mandatory for the Learner Support Centre to maintain the learner data related to conduct of counseling sessions, evaluation of assignments and grievance redressal.

15. Learner Support Services –

- (1) A Higher Educational Institution offering programmes in Open and Distance Learning mode shall have guidelines for learner support services which is made available to all Learner Support Centres and accessible to the learners.
- (2) The learner support services to be provided by the Higher Educational Institution shall include the following, namely:—
 - (i) pre-admission counselling for prospective learners to provide information to facilitate them in taking an informed decision on joining a specific programme;
 - (ii) support for admission related matters;
 - (iii) details of study material and information shall also be available on the website of the Higher Educational Institution;

- (iv) arrangement to ensure the delivery of study material to learners within a fortnight from the date of admission.
- (v) A full time dedicated help desk well versed with the learner information data base providing single window services for all learner related queries.
- (3) The University Grants Commission (Grievance Redressal) Regulations, 2012 shall be adopted and operationalised by the Higher Educational Institution, and the Higher Educational Institution shall institute a system of Grievance Redressal, in accordance with the guidelines specified in **Annexure XI**.
- (4) The Higher Educational Institution shall provide facilities for on-line guidance and counselling facilities to the learners.
- (5) The Higher Educational Institution shall create 'on-line' discussion forum for learners.
- (6) The 'Self Learning Material' in printed form shall be provided compulsorily to the learners and in addition, the Higher Educational Institution may provide additional learning resources through on-line mode, Compact Disks etc.

PART-V

ASSESSMENT, ACCREDITATION, AUDIT, INSPECTION AND MONITORING

16. Assessment, Accreditation and Audit—

(1) A Higher Educational Institution offering programmes in Open and Distance Learning mode shall comply with University Grants Commission (Mandatory Assessment and Accreditation of Higher Educational Institutions) Regulations, 2012 and in any case shall apply for assessment and accreditation under those regulations for assessment and accreditation of the programmes offered by it in Open and Distance Learning mode:

Provided that this sub-regulation shall not be applicable to Open Universities till the time they become eligible for National Assessment and Accreditation Council accreditation shall be mandatory for Open Universities to get National Assessment and Accreditation Council accreditation within one year of their becoming eligible for the same.

(2) A Higher Educational Institution recognised under these regulations for imparting programmes in Open and Distance Learning mode shall get all its programmes assessed through the Centre for Internal Quality Assurance once in a year in the format prescribed by the Commission and the report on quality assurance shall, before the end of the academic year, be prominently placed on its website and a copy furnished to the Commission.

17. Powers of inspection and calling for information –

- (1) The Commission shall periodically review the performance of the Higher Educational Institution and for the purpose may direct the Higher Educational Institution to provide such information as it may require from the viewpoint of ensuring adherence of the regulations by the Higher Educational Institution, and the Higher Educational Institution shall be under obligation to provide such information in such time period as may be specified.
- (2) Where the Commission, either suo motu or on the basis of information received by it, considers it necessary, for reasons to be recorded in writing, may cause an inquiry through inspection or otherwise by such body of experts or as it may deem fit, to satisfy itself that all the mandatory requirements under these regulations are being complied with by the Higher Educational Institution imparting programmes in Open and Distance Learning mode and take appropriate action to get compliance enforced against the erring Higher Educational Institution.

PART-VI

MISCELLANEOUS

18. Authority –

- (1) The Commission may authorise the officials of the Commission to perform various functions for implementing these regulations.
- (2) For the purposes of regulation 4, the Commission may delegate its power to hear and decide appeal to such person or persons, including officials of the Commission, as it may specify in writing.

19. Savings –

- (1) Nothing in these regulations shall prejudicially affect a Higher Educational Institution in regard to the programme in Open and Distance Learning mode offered by it under permission of the Distance Education Council or the Commission, the students admitted in such programmes, and the Degrees or Diplomas or Post Graduate Diplomas in Open and Distance Learning mode awarded under permission of the then Distance Education Council or of the Commission, prior to coming into force of these regulations.
- Certificates or Diplomas or Post Graduate Diplomas awarded by the Standalone Institutions which also have been approved by the Commission based on the policies of the then Distance Education Council of the Indira Gandhi National Open University for running Open and Distance Learning programmes till the academic session as specified in the recognition letters already issued at the level of the Commission shall remain valid programmes in the field of Open and Distance Learning mode of education and once the recognition period to these Standalone Institutions ceases, such Institutions cannot offer Open and Distance Learning programmes; provided, they shall be free to get converted their Standalone Institution status to University or Deemed to be University for the purpose of these Open and Distance Learning regulations, failing which, the Commission shall not accord any approval to the Open and Distance Learning programmes of Standalone Institutions.

20. Interpretation Clause –

In the event of conflict of opinion with regard to interpretation of these regulations, the opinion of the Commission shall be final.

JASPAL S. SANDHU, Secy., UGC

[ADVT.-III/4/Exty./122/17]

Annexure I

Centre for Internal Quality Assurance (CIQA)

Objectives and Functions:

- 1. The objective of establishment of Centre for Internal Quality Assurance (CIQA) is to develop and put in place a comprehensive and dynamic internal quality assurance system to provide high quality programmes of higher education in the Open and Distance Learning mode. Its functions would inter alia include the following:-
 - (i) To maintain quality in the services provided to the learners.
 - (ii) To ensure continuous improvement in the entire operations of the Higher Educational Institution.
 - (iii) To identify the key areas in which the Higher Educational Institution should maintain quality.
 - (iv) To disseminate information on quality assurance.
 - (v) To devise mechanisms for interaction and obtaining feedback from various Departments or Centres or Schools in the Higher Educational Institution.
 - (vi) To suggest to the authorities of the Higher Educational Institution, measures for qualitative improvement.
 - (vii) To ensure the implementation of its recommendations through regular monitoring.
 - (viii) To ensure participation of all stakeholders namely, learners, teachers, staff, parents, society, employers, and Government in quality improvement processes.
 - (ix) To prepare Programme Project Report and ensure another launch of programme(s).
 - (x) Collection, collation and dissemination of accurate, complete and reliable statistics about the quality of the programme(s).

Activities of Centre for Internal Quality Assurance:

2. To fulfill the above objectives the Centre for Internal Quality Assurance shall -

- (i) prepare a Programme Project Report for each programme according to the norms and guidelines prescribed by the Commission and wherever necessary by the appropriate regulatory authority having control over the programme;
- (ii) get the Programme Project Report approved by the appropriate authority of the Higher Educational Institution and the Commission before launch of the programme;
- (iii) oversee the development of Study Learning Material (SLM), integration of Information and Communication Technology (ICT), setting up of Learning Centres and coordination with the parent institution and relevant Regulatory authorities;
- (iv) put in place monitoring mechanism to ensure the proper implementation of Programme Project Reports;
- (v) design annual plans for quality level enhancement at the level of the Higher Educational Institution and ensure their implementation;
- (vi) arrange for feedback responses from students, employers and other stakeholders for quality related institutional processes;
- (vii) develop quality benchmarks or parameters for the various academic and administrative activities of the Higher Educational Institution;
- (viii) obtain information from other Higher Educational Institutions on various quality benchmarks or parameters and best practices;
- (ix) organise workshops or seminars on quality related themes and Higher Educational Institution wise dissemination of the proceedings of such activities;
- (x) suggest restructuring of programmes in order to make them relevant to the job market;
- (xi) develop and implement innovative practices in major areas leading to quality enhancement in services to the learners:
- (xii) create learner centric environment rather than institution centric environment;
- (xiii) cultivate creativity and innovation in the faculty and staff;
- (xiv) adopt measures to ensure internalisation and institutionalisation of quality enhancement practices through periodic accreditation and audit;
- (xv) conduct or encourage system based research to bring about qualitative change in the entire system;
- (xvi) coordinate between the Higher Educational Institution and the Commission for various quality related issues or guidelines;
- (xvii) record activities undertaken on quality assurance in the form of an annual report; and
- (xviii) to coordinate recognition and accreditation of the Higher Educational Institution.
- It will be mandatory for all Higher Educational Institution to submit Annual Reports to its Statutory Authorities or Bodies about the activities undertaken by Centre for Internal Quality Assurance during the financial year.

Establishment of Centre for Internal Quality Assurance:

- 4. The Centre for Internal Quality Assurance will be established in all Higher Educational Institutions offering programmes in Open and Distance Learning mode and should be headed by a full-time Director, being a senior academician of the rank of Professor, who shall be supported by adequate number of academic and other staff.
- 5. A Centre for Internal Quality Assurance Committee should be constituted which shall be chaired by its Director, and consisting of academic staff and internal quality auditors nominated from various functions or departments of the Higher Educational Institution. It shall perform following functions:-
 - (i) decide policies for programme development methodology and programme delivery mechanism that are aligned with the vision and mission of the Higher Educational Institution;
 - (ii) advice on any issues related to programme development, Information and Communication Technology intervention and implementation, learning and teaching, collaboration referred to the Committee;
 - (iii) supervise academic approval and related modification procedures and to ensure that programmes satisfy stated design requirements and academic standards appropriate to the type and level of award as per philosophy of the Open and Distance Learning mode of education;
 - (iv) promote automation of academic and administrative activities of the Higher Educational Institution, Regional Centres and Study Centres or Learning Support Centres;
 - (v) oversee and report on the effectiveness of systems for self-evaluation and monitoring;

- (vi) appoint external subject experts or agencies or organisations for validation and annual review of its in-house process, its Learner Support Centres, Open and Distance Learning mode programmes etc.;
- (vii) appoint third party auditing bodies for quality audit of programme(s);
- (viii) approval of Self-Appraisal Report to be submitted to the Assessment and Accreditation agencies on behalf of Higher Educational Institution;
- (ix) promote collaboration and association for quality enhancement of Open and Distance Learning mode of education and research therein; and
- (x) encourage industrial involvement and industry-institution linkage for providing exposure to the learners.

Annexure II

QUALITY MONITORING MECHANISM

The guidelines on quality monitoring mechanism are required to be adopted by the Centre for Internal Quality Assurance for conducting institutional quality audits, to promote quality assurance and enhance as well as spread best-in-class practices of quality assurance. Quality monitoring needs to be addressed under the following broad areas, namely:-

(a) Governance, Leadership and Management

This relates to the policies and practices of Higher Educational Institutions (HEIs) in the matter of planning, human resources, recruitment, training, performance appraisal, financial management and the overall role of leadership, with a focus on the following key aspects:

- (i) **Organisation Structure and Governance:** The Higher Educational Institution is ultimately responsible for quality programmes and learning outcomes. Therefore, it is required that the Institution should fill all required positions in the Directorate or Centre or Department and in the Learner Support Centres as prescribed by the Commission, and establish a credible governance system.
- (ii) **Management:** Effective leadership by setting values and participative decision-making process is the key to achieve the vision, mission and goals of the Higher Educational Institution. Therefore, it is required to assess and review the organisational culture to support the management and leadership of the institution to achieve such vision, mission and goals.
- (iii) **Strategic Planning**: The leadership of the Higher Educational Institution is expected to provide clear vision and mission. Its functions are to be governed by the principles of participation and transparency. Therefore, the Higher Educational Institution is expected to do strategic planning of its activities and implementing by aligning those with academic and administrative aspects to improve the overall quality.
- (iv) Operational Plan, Goals and Policies: The Higher Educational Institutions derives the operational plan from its strategic plan that defines targets and measures of the programmes to be achieved by the Institution. The Operational Plan is used as a guideline for the annual planning of programs and activities. The Higher Educational Institution needs to have well defined goals which are realistic and measurable. Equally important is to have well-defined policies that are in sync with its strategic plan and are realistic and achievable. The Higher Educational Institution needs to have clearly stated guidelines in the implementation of its policies and plans. Further, the institution needs to have a transparent and accountable system for its policies and planning that are well communicated to its stakeholders.

(b) Articulation of Higher Educational Institutions Objectives

The Higher Educational Institutions are expected to provide holistic and quality education with a professional focus, the creation of knowledge and innovation, and the practical application of the knowledge to support the business and professional community. Accordingly, the Higher Educational Institution should articulate a clear vision, mission, ethos and

broad strategy consistent with the goals to strengthen its position for offering programmes in Open and Distance Learning mode.

(c) Programme Development and Approval Processes

This area of concern relates to programme development and approval mechanism for the programme(s) to be launched, covering the following key aspects:

- (i) Curriculum Design: The Higher Educational Institution plays the foremost role in the curriculum design and development of learning content and therefore, it is expected to have processes, systems and structures in place to carry these responsibilities. Curriculum design is a process of developing appropriate need-based curriculum in consultation with expert groups, based on the feedback from stakeholders, resulting in the development of relevant programmes with flexibility, to suit the professional and personal needs of the learner and realisation of core values. The key aspect is also to consider the good practices of the Institution in initiating a range of programme options and courses that are relevant to the local needs and in tune with the emerging national and global trends.
- (ii) **Curriculum Planning and Implementation :** It is required that the Higher Educational Institution shall have specific implementation plans for identifying the time to be spent on specific components of the implementation phase. It is the basis for the effectiveness of the programme(s) and their usefulness as a whole.
- (iii) Academic Flexibility: Academic flexibility is the key feature of the Open and Distance Learning mode of education and refers to freedom in the use of the time-frame of courses, vertical mobility, and inter-disciplinary options facilitated by curricular transactions. Therefore, the Higher Educational Institution shall adopt proper strategies for imparting academic flexibility.
- (iv) Learning Resource: Learning Resource is a key component of the Open and Distance Learning mode of education. Learning resource can be of print and digital mode. Considering the need of blended learning, the Higher Educational Institution should also develop e-resources for the learner to refer and study. There is no or very little interaction of teachers with the learners, the content and structure of learning resources play a vital role in the Open and Distance Learning mode of education. Therefore, it is required that each Higher Educational Institution shall ensure the quality of learner resources and their periodical review. While deciding on the appropriateness of the media and the technologies, the Higher Educational Institution should take into consideration various factors the media and technology utilised matches the course content in order to enhance and expand learning, and to match to the learners' needs; that these are accessible, practical and equitable, and cost effective to the learners.
- (v) **Feedback System:** The process of revision and redesign of curricula shall be based on recent market dynamics, industrial developments, research and feedback from the stakeholders including learners. The feedback from all stakeholders in terms of its relevance and appropriateness in catering to the needs of the society, economy and environment are also considered in this key aspect.

(d) Programme Monitoring and Review

The Higher Educational Institution shall plan and execute programme monitoring review system which should include a programme management structure, annual programme reviews, external benchmarking, channels for collecting learner feedback, and development of improvement plans and actions to close the feedback. To maintain the quality of academic programme, it is required to conduct periodical internal reviews. For such reviews the Institution shall also consider the achievements of learning outcomes that are assessed through the examination system.

(e) Infrastructure Resources

This criterion seeks to elicit data on the adequacy and optimal use of the facilities available in a University or Institution to maintain the quality of academic and other programmes – physical facilities, library (or e-library), Information Technology infrastructure, etc. It also requires information on how every constituent of the Institution; the learners, teachers or Counselors and staff - benefits from these facilities.

(f) Learning Environment and Learner Support

The learner support unit is responsible for the delivery of services to all learners. The learner support services

including library services shall be accessed electronically by the learner. "Physical library" and classroom environment is the core requirement for programme delivery through offline and blended mode. Additionally, Higher Educational Institution shall establish virtual facilities as component of the learning environment which are focused around the pedagogical use of modern educational practices to support blended learning. Learner Support Services shall be provided through the campus-wide portal and e-Learning platform. The Institution shall take a more sophisticated approach to the use of Information and Communication Technology and expertise in e-learning. The approach shall provide a seamless learner-centred environment.

(g) Assessment & Evaluation

Learning outcomes are the specifications of what a Learner shall learn and demonstrate on successful completion of the course or the programme. It can also be seen as the desired outcome of the learning process in terms of acquisition of the skills and knowledge. They are embedded in the curriculum. Achieving Learning Outcomes needs specific experiences to be provided to the Learner and evaluation of their attainment. The Institution needs to ensure that the purposes of assessment are clearly described in the course materials, and the learners are able to access some of the assignments. A programme that states Learning Outcomes that are not evaluated or assessed gets neglected in implementation. Hence all the stated Learning Outcomes must be part of the evaluation protocol of the programme. Learner assessment provides an indication of the areas where learning has happened and where it has to be improved upon. The Higher Educational Institutions shall execute the assessment and evaluation through varied assessment tools including multiple choice questions, projects, reports, case-studies, presentations, and term-end examinations, to suit the different learning outcomes expected of the course elements. The Higher Educational Institutions shall have proper assessment and moderation system for assessing the learning outcomes of learners.

(h) Teaching Quality and Staff Development

The Higher Educational Institutions shall have a well established structure for promoting quality counseling and provide staff development programmes and activities to encourage academic staff to improve teaching and learning. The Higher Educational Institution should provide the support for the academic staff in understanding and implementing the institutional learning outcomes and subject learning outcomes. The Institution also needs to ensure that the academic staff is conversant with formative and summative assessment procedures and their importance in the learning process.

Process of Quality Audit

- (A) Academic Planning: The main purpose of academic planning is to ensure that the overall portfolio of delivered programmes offered by the Higher Educational Institutions is relevant to market needs, reflects the Institution's strategic direction and offers a high quality 'value-added' learner experience. Academic planning promotes robust and appropriate procedures to help ensure that every new programme starts with the best chance possible to admit and retain viable learner cohorts. The Institution has a streamline modification process to support staff in ensuring that the curriculum remains up to date. The guiding principle behind this process is that all relevant stakeholders are communicated and consulted with and learners' needs are assessed while launching new programmes.
- **(B)** Validation: The main purpose of validation is to assure the Higher Educational Institution that a new programme is academically viable, that academic standards have been appropriately defined and that it will offer learners the best opportunity to learn.
- **(C)** Monitoring, evaluation and enhancement plans: Across the Higher Educational Institution, there would be various levels from where the reports are being generated to ensure quality deliverance of the Open and Distance Learning programmes and their final outcomes. The same are described as follows:
 - (i) Reports from Learner Support Centre: The Higher Educational Institution shall collect the report of academic activities and other related activities periodically from Learner Support Centres. There should be details of all the activities related to academic planning, counseling, learner support, etc. The Higher Educational Institution shall adopt the technological solutions for easy receipt of these reports. These reports will be the base for the quality audit.
 - (ii) **External examiner or other external agencies report:** Programme development teams and Centre for Internal Quality Assurance team shall consider the comments made by experts and third party of quality audit. The Higher Educational Institution shall also encourage to consider the adoption of identified good practices that will benefit and develop the programme.
 - (iii) Systematic consideration of performance data at programme, faculty and Higher Educational Institution levels: In order to make a meaningful evaluation and audit, the Higher Educational Institution needs easy access

- to performance monitoring information such as course pass rates, learner entry profiles and progression and achievement reports. These shall be produced and available through web-based application. The data collected through the application will be useful for report making at the Higher Educational institution.
- (iv) **Reporting and Analytics by the Higher Educational Institution:** Further, the Higher Educational institution shall generate the required reports out of such web-based applications and analyze learner and academic analytics for deciding the improvements to be executed for stronger performance.
- (v) Periodic Review: The Higher Educational institution needs to have an effective system for soliciting feedbacks from the stakeholders regularly to improve its programmes. There is a need for an integrated quality assurance system for its programmes and implementation units, including the Learner Support Centres. The Higher Educational institution needs to conduct self-assessments regularly and uses the results to improve its operations andprogrammes.

Annexure III

Minimum Standards to be Maintained at Examination Centres

- 1. The examination centre must be centrally located in the city, with good connectivity from railway station or bus stand, for the convenience of the students.
- 2. The number of examination centres in a city or State must be proportionate to the student enrollment from the region.
- 3. Building and grounds of the examination centre must be clean and in good condition.
- 4. The examination centre must have an examination hall with adequate seating capacity and basic amenities.
- 5. Fire extinguishers must be in working order, locations well marked and easily accessible. Emergency exits must be clearly identified and clear of obstructions.
- 6. The examination centre must provide adequate lighting, ventilation and comfortable seating. Safety and security of the examination centre must be ensured.
- 7. Restrooms must be located in the same building as the examination centre, and restrooms must be clean, supplied with necessary items, and in working order.
- 8. Provision of drinking water must be made for learners.
- 9. Adequate parking must be available near the examination centre.
- 10. Facilities for Persons with Disabilities should be available.

Annexure IV

Courses or Study Centres or Off Campuses and Territorial Jurisdiction of Universities

- a) A Central or State Government University can conduct courses through its own departments, its constituent colleges or through its affiliated Colleges.
- b) A university established or incorporated by or under a State Act shall operate only within the territorial jurisdiction allotted to it under its Act and in no case beyond the territory of the state of its location.
- c) The private universities and deemed universities cannot affiliated any college or institution for conducting courses leading to award of its diplomas, degrees or other qualifications.
- d) No university, whether central, state, private or deemed, can offer its programmes through franchising arrangement with private coaching institutions even for the purpose of conducting courses through distance mode.
- e) All universities shall award only such degrees as are specified by the University Grants Commission and published in the Official Gazette.
- f) The University shall conduct their first degree and Master's degree programmes in accordance with the regulations notified by the Commission in this regard.

Regulating provisions

(A) University Grants Commission Regulations on Private Universities

A Private university established under a State Act shall be a unitary University. A private university may be permitted to open off campus centres, off shore campuses and study centres after five years of its coming into existence subject to the fulfilment of conditions as laid down under University Grants Commission (Establishment of & Maintenance of Standards in Private Universities) Regulations, 2003. As of now, the University Grants Commission has not granted permission to any Private University to establish off-campus or study centre.

(B) University Grants Commission Regulations on Deemed Universities

A Deemed University shall operate only within its Headquarters or from those off campuses or off-shore campuses which are approved by the Government of India through notification published in the Official Gazette.

In case of distance education programmes, no institution deemed to be university, so declared by the Government of India after 26th May, 2010 [date of publication of University Grants Commission (Institutions Deemed to be Universities) Regulations, 2010] is allowed to conduct courses in the distance mode.

The institutions deemed to be universities declared before 26th May, 2010 are not allowed to conduct courses in distance mode from any of its off-campus centres or off-shore campuses approved after 26th May, 2010.

Approval for new courses and extension of approval of the courses already run by the Deemed to be Universities under distance mode would be granted by the University Grants Commission subject to the fulfilment of conditions as laid down by the University Grants Commission.

The University Grants Commission has not granted approval to any deemed to be university to establish study centres.

Any information or clarification with regard to recognition of Private Universities or Deemed Universities and the courses offered by them may be obtained from JS (CPP-I) University Grants Commission, Bahadurshah Zafar Marg, New Delhi.

(C) Distance Education programmes of the Central Universities and

State Government Universities

The Central or State Government Universities can conduct courses through distance mode in accordance with the provisions of their respective Act and after the approval of the University Grants Commission.

Annexure V

Competencies of Counselor in a Learner Support Centre

- 1. Should be a post graduate from a recognised University.
- 2. Familiarity with basic research on the characteristics of Distance learners, their needs and difference from conventional face-to-face education.
- 3. Application of basic principles of instructional design.
- 4. Thorough knowledge of subject matter and common misconceptions related to the course(s).
- 5. Deep understanding of the necessity of learner-centered environment in online and blended learning mode.
- 6. Ability to design constructivist learning environment.
- 7. Practical applications of learning theories, self-paced instruction, and computer-mediated communication and learning.
- 8. Ability to foster a sense of community among learners.
- 9. Adaptability and flexibility with the capabilities and limitations of the delivery media.
- 10. Familiarity with the delivery medium to provide basic troubleshooting.
- 11. Ability to multitask.
- 12. Time management (e.g. respond to learners in timely manner, extensive and advance preparation and planning).
- 13. Professional characteristics (e.g. motivated to teach, self-confident, articulate, good writer).

Annexure VI

ACADEMIC AND INFRASTRUCTURAL REQUIREMENTS

I. Open Universities or Single Mode Higher Educational Institutions

The following positions are on full time and dedicated basis, excluding the designated positions in the Open Universities as per their respective Act(s): -

- A. Staffing Norms at Headquarters:
 - 1. Head for each school at the Professor level.
 - 2. Academic staff strength per discipline or specialisation or programme under a school.

Minimum three faculty members are required as per the following:

Associate Professor: 1
Assistant Professor: 2

3. Administrative staff strength at Headquarters or Main Campus (up to 10,000 students):

Deputy Registrar: 1
Assistant Registrar: 1
Section Officer: 1
Assistants: 3
Computer Operator: 2
Multi Tasking Staff: 2

In case of the enrolment higher than 10000, Open University may increase the number of positions appropriately.

Teacher: Non Teaching Staff (NTS) ratio - 1: 2 shall be maintained.

B. Physical Infrastructure:

Minimum requirement will be as per University Grants Commission (Fitness of Open Universities for Grants) Rules, 1988 and as amended from time to time, except for the existing Open Universities for the purpose of these regulations.

II. Centre for Distance Education (CDE)/Dual Mode Higher Educational Institutions

- A. Staffing Norms at Headquarters:
 - 1. Director: (permanent, full time Professor) preferably having professional experience in distance education)
 - 2. Academic staff strength:

At least two faculty member (full time-dedicated for Open and Distance Learning (ODL) courses) per discipline or specialisation or programme at Associate and Assistant Professor level.

3. Administrative staff strength at Headquarters or Main Campus (upto 5,000 students):

Deputy Registrar: 1
Assistant Registrar: 1
Section Officer: 1
Assistants: 2
Computer operators : 2
Class IV: 2

In case of the enrolment higher than 5000, Centre for Distance Education or University may increase the number of positions appropriately.

Teacher: Non-Teaching Staff (NTS) ratio -1: 2 shall be maintained

B. Physical Infrastructure

Total Built-up area for Open and Distance Learning activity: Minimum 15000 sq. ft. (carpet area):

Sl.No.	Built-up Area Type	Percentage (%)	Built-up Area
			(Carpet Area, in sq ft)
1	Academic	50%	7500
2	Administrative	10%	1500
3	Academic support such as Library, Reading room, Computer Centre, Informational and Communication technology Labs, Video and Audio Labs etc.	30%	4500
4	Amenities or other support facilities	10%	1500
	,	15000	

Note: Built up area for toilets shall be separate.

Annexure VII

QUALITY ASSURANCE GUIDELINES OF LEARNING MATERIAL IN MULTIPLE MEDIA, HUMAN RESOURCE, CURRICULUM AND PEDAGOGY

1. Learning Material (Print Media)

Learning Material through print-media is termed as Self Learning Material, being developed with the approach of self-explanatory, self-contained, self-directed, self-motivating and self-evaluating. The following is an indicative list of quality standards for print material:

- (a) The Self Learning Material shall be designed with the approach of two-way communication between the learner and content.
- (b) The Self Learning Material shall involve the learner actively through various experience-based activities and assignments.
- (c) The learner should get clear information about the structure of the programme and course.
- (d) There shall be detail learning map in Self Learning Material for the learner so that he or she will be self-directed for completion of his or her studies.
- (e) The content of Self Learning Material shall be developed with dialogue and personal system of writing method which will create the nature of interactivity in Self Learning Material.
- (f) The Self Learning Material shall encourage learner to apply new knowledge and skills.
- (g) There shall be clear definition of learning objectives and outcomes.
- (h) The content shall be divided into small sections (blocks) and sub-sections (units & sub-units) for effective learning.
- (i) There shall be an assignment on each learning objective for self-assessment.
- (j) The learner shall be directed through problem solving activities as applicable to nature of the course.
- (k) The Self Learning Material shall be developed in defined formats with following features:
 - (i) Consistent layout and format.
 - (ii) Inclusion of overview of content.
 - (iii) A unit structure at the beginning of the unit.

- (iv) Plenty of examples.
- (v) Reference to prior learning.
- (vi) Inclusion of national or international caselets and case studies.
- (vii) Content in segments synchronised with learning objectives and outcome.
- (viii) Explanation of icons used in content.
- (ix) Appropriate sequence of material.
- (x) Explanation on technical, new, difficult terms or word in a glossary section.
- (xi) Inclusion of adequate suggested reading (both print and online).

2. Audio-Video Material: Quality Standards

- (a) There shall be adequate consideration of learners' prior knowledge, skills and attitudes.
- (b) Level and style of language shall be appropriate.
- (c) There shall be clear information on types of support material and study activities to be used by the learner.
- (d) It shall be clear and unambiguous, also preferably free from pedagogic jargon.
- (e) The aim, objective and target audience for the Audio Video material shall be clearly defined.
- (f) It shall be capable of being evaluated to conform to the learning outcomes.
- (g) There shall be clear guidelines with regard to the use of the Audio or Visual material vis-a-vis other content of the course.
- (h) AV Material shall be developed in forms and formats that will be easily accessible by the learners.
- (i) There shall be separate Audio Video manual for giving the guidelines of using the Audio Video material in study.
- (j) Audio Video Material shall provide continuity and coherence within and between audio-based study sessions.
- (k) There shall be synchronisation of Sound and Image in Audio Video material.
- (1) There shall be appropriate graphics and animations relevant to the course content.
- (m) There shall be appropriate 'visual texture' and rate of change of image to keep the learner involved.

3. Online Material: Quality Standards

- (a) The course shall be organised into units and lessons.
- (b) There shall be description of unit overview along with objectives, activities, assignments and resources that frame the unit.
- (c) Availability of a program map and correlation matrix among the courses in the programme.
- (d) There shall be description of credit value of each module or unit in the course.
- (e) There shall be clear guidelines on academic integrity and netiquette (internet etiquette) expectations regarding lesson activities, discussions and plagiarism.
- (f) There shall be lesson overview, content and activities, assignments to provide the learning opportunities for learner to master the content.
- (g) The course shall be designed to teach concepts and skills that the learner will retain throughout the study.
- (h) There shall be multiple learning paths for engaging the learner in active learning
- (i) The content shall provide opportunities for learners to engage in high-order thinking, critical-reasoning activities and thinking in increasing by complex ways.
- (j) There shall be appropriate readability levels, written language assignments and mathematical requirements.
- (k) The content shall provide for periodical feedback about the learning process.
- (1) The course shall be easy to navigate.
- (m) There shall be declaration of textbooks, courseware, and online resources necessary to refer additionally to complete the course
- (n) The content shall be accessible on various devices.
- (o) The online material shall satisfy the needs of learners with disabilities

4. Computer-based material: Quality Standards

- (a) The Computer-based material shall provide an environment for practise, at the learner's own pace and in his own time.
- (b) The Computer-based material shall provide an environment for self-assessment.
- (c) It shall allow learners to develop analysis and decision-making skills, to discover principles and concepts for themselves.
- (d) The course shall be organised into units and lessons.
- (e) There shall be description of unit overview along with objectives, activities, assignments and resources that frame the unit.
- (f) Availability of a program map and correlation matrix among the courses in the programme.
- (g) There shall be description of credit value of each module or unit in the course.
- (h) There shall be lesson's overview, content and activities, assignments to provide the learning opportunities for learner to master the content.
- (i) The course shall be designed to teach concepts and skills that the learner will retain throughout the study.
- (j) There shall be multiple learning paths for engaging the learner in active learning.
- (k) The content shall provide opportunities for learners to engage in high-order thinking, critical-reasoning activities and thinking in increasing by complex ways.
- (1) There shall appropriate readability levels, written language assignments and mathematical requirements.
- (m) The course shall be easy to navigate.
- (n) There shall be declaration of textbooks, courseware, and online resources necessary to refer additionally to complete and master the course.
- (o) The Compute-based material shall satisfy the needs of learners with disabilities.

5. Curriculum and Pedagogy: Quality Standards

- (a) The curriculum objectives shall be consistent with the mission of the HEI.
- (b) There shall be involvement of all the stakeholders in the process of framing the curriculum objective.
- (c) The curriculum shall be designed by adopting University Grants Commission Model Curriculum and incorporating local or regional needs.
- (d) There shall be rationale for the appropriateness of the curriculum to the stage of learning.
- (e) There shall be linkages of the curriculum to previous and subsequent stages of learning.
- (f) There shall be such learning experiences which allow a diversity of methods (like learning from practice, opportunities for distributed and concentrated practice, learning with peers, learning in formal situations inside and outside the department, personal study, specific teacher inputs etc).
- (g) The structure of curriculum shall be defined.
- (h) There shall be a complete strategy on teaching and learning methods.
- (i) There shall be a decision made on types of media content used.
- (j) There shall be a comprehensive decision on assessment & evaluation techniques.
- (k) The content shall be reliable and justify the learning outcome(s).
- (1) There shall be clear definition of intended outcomes of learning, benchmarked to identifiable stages of learning.
- (m) There shall be the use of reference points and expertise from outside the Higher Educational Institution, if required, in programme design and in the processes of programme development and approval.
- (n) There shall be relevance of curriculum to national competency requirement.
- (o) There shall be description of credit value of each module or unit in the course.

Table I: Norms for offering programmes through Distance mode based on credit system

Duration of the programme	Credits	Level of the Programme		
3 years	96-100	Bachelor's Degree (General)		
2 years	64-72	Master's Degree (General)		

Table 2: Norms for delivery of courses through distance mode

No. of Assignments	Practical Sessions	No. of Counseling Sessions Theory (10% of total study hours)	Size of SLMs Range (in terms of units, to be divided into blocks)	Study input	Credit Value of the course
1	60 hours	6 hours	6-8 units	60 hours	2 Credits
2	120 hours	12 hours	14-16 units	120 hours	4 credits
3	180 hours	18 hours	20-24 units	180 hours	6 credits
4	240 hours	24 hours	30-34 units	240 hours	8 credits

Table 3: Norms of Credit Structure for Self Learning Material Development Non-Print Form

No. of counseling sessions (theory)						
Syn Chat 5%	Asyn** Discussion Forum (comp)	Syn* (f2f)# (optl) 10%	Size of e-content (in terms of units)	Study input	Credit value of the course	
3 hrs	2-10 topics per course as per the subject	6 hrs	6-8 units	60 hours	2 credits	
6 hrs	-do-	12 hrs	14-16 units	120 hours	4 credits	
9 hrs	-do-	18 hrs	20-24 units	180 hours	6 credits	
	-do-	24 hrs	30-34 units	240 hours	8 credits	

* Syn : Synchronous **Asyn : Asynchronous

f2f : face-to-face

Annexure VIII

Guidelines on Preparation of Self-Learning Material

Overview

Self Learning Material is developed with the approach of self-explanatory, self-contained, self-directed, self-motivating and self-evaluating. The major challenge for the Open and Distance Learning system is near absence of the teacher. Therefore, it is very essential to pre-plan each of the activities. The learning material plays a vital role in this system and it includes Self-Learning Material in print and electronic form. A key challenge of Learning Material is ensuring that its writing is to be in a way that is engaging and which actively involves the learners. Another challenge of learning material is rapidly changing technology and deploying traditional teaching-learning methods through these technologies. Therefore, it is necessary to have the proper planning prior to development of the learning material. During the planned period, the following points should be considered very carefully:-

- backgrounds of learner and learning needs;
- learning experiences; and
- support and preparation in adapting to flexible learning.
- 2. Learning materials place much more emphasis on the processes of learning. Following are the major ingredients to be considered while developing the learning material by authors (in case of print material) and instructional designers (in case of e-learning material):-
 - (a) learning objectives
 - (b) assessment of prior knowledge
 - (c) learning activities
 - (d) feedback of learning activities
 - (e) examples and illustrations
 - (f) self-assessment tests
 - (g) summaries and key points
 - (h) study tips
- 3. The learning material should be developed with the constructivist approach and that should lay emphasis on real-world tasks, learner's choice of tasks or situations, case studies, collaborative learning tasks, opportunities for observing others, self-evaluation. The Higher Educational Institution may also adopt or procure the Learning Materials from expert agencies or consultant if it saves the time and cost without compromising on the quality.

Planning for development of learning material

- 4. Due to the near absence of the teachers in the Open and Distance Learning mode, the learner has the opportunity to take the decision(s) at any point during the learning path. This may create disagreement between learner's perception and the objective of the learning material. Therefore, it is required to consider the following key points during planning for the development of learning material.
 - (a) Learner Profile: It is required to consider literacy level (including level of language proficiency), age group, information communication technology skills, aim of study, personal background and home situation, prior knowledge, prior skills, learning situations, etc.
 - (b) **Background:** In Open and Distance Learning system, learner studies at his pace and not like face-to-face mode. Most of the learners are working professionals and they get time to study at their homes. If we add certain references which they cannot access at home, then it will create an obstacle in their learning. Therefore, it is necessary to consider the accessibility of course resources and references at the place of learning.
 - (c) Learning Objectives and Outcome: It is required to define the learning objectives and outcomes prior to initiating the process for the learning material development. The learning objectives can be of terminal, intermediate or enabling nature. These learning objectives can be set at course, unit, or module level.

Group of Learning Material

5. Considering the principles of Open and Distance Learning mode of education, the programmes shall be accompanied with learning material or resources which shall comprise of self-learning material or e-learning material, e-books, practical

book, student's handbook, question bank, assignment book, Audio Video material, programme guide, project manual, etc.

Standards of Self Learning Material (SLM) in Print Form

- (i) The Self Learning Material shall be developed as per the defined credit structure of the programme.
- (ii) The Self Learning Material shall involve the learner actively through various experience-based activities and assignments.
- (iii) The learner shall get the clear information about the structure of the programme and the course.
- (iv) There shall be a detailed learning map in the Self Learning Material for the learner so that she or he will be self-directed for completion of their studies.
- (v) The content of the Self Learning Material shall be developed with dialogue and personal system of writing method which will create a nature of interactivity in the Self Learning Material.
- (vi) The Self Learning Material shall encourage the learner to apply new knowledge and skills.
- (vii) There shall be clear definition of learning objectives and outcomes.
- (viii) The content shall be divided into small sections (blocks) and sub-sections (units & sub-units) for effective learning.
- (ix) Activities shall be included in each unit of the Self Learning Material.
- (x) There shall be assignments on each learning objective for self-assessment.
- (xi) The learner shall be directed through problem solving activities as applicable to the nature of the course.

Standards of Self Learning Material (SLM) in Non-print Form

- 6. The learners' perspective is an important aspect of quality assurance for e-learning. High-quality e-learning content should be designed by skilled content and instructional design professionals. Good instructional design will reflect best practices and research on teaching and learning. The key principles of designing e-learning content are: (1) consistent layout and design; (2) clear organisation and presentation of information; (3) consistent and easy-to-use navigation; and (4) aesthetically pleasing design and graphics. Thus, the standards of Self Learning Material in non-print form as under:-
 - (i) The e-learning material shall be designed as per the credit structure of the online programme.
 - (ii) The course shall be organised into units and lessons.
 - (iii) There shall be description of unit overview along with objectives, activities, assignments and resources that frame the unit.
 - (iv) Availability of a programme map and correlation matrix among the courses in the programme.
 - (v) There shall be description of credit value of each module or unit in the course.
 - (vi) There shall be clear guidelines on academic integrity and netiquette (internet etiquette) expectations regarding lesson activities, discussions and plagiarism.
 - (vii) There shall be lesson overview, content and activities, assignments to provide the learning opportunities for learner to master the content.
 - (viii) The course shall be designed to teach concepts and skills that the learner will retain throughout the study.
 - (ix) There shall be multiple learning paths for engaging the learner in active learning.
 - (x) The content shall provide opportunities for learners to engage in high-order thinking, critical-reasoning activities and thinking in increasing by complex ways.
 - (xi) There shall be appropriate readability levels, written language assignments and mathematical requirements.
 - (xii) The content shall provide for periodical feedback about the learner process.
 - (xiii) The course shall be easy to navigate.
 - (xiv) There shall be declaration of textbooks, courseware, and online resources necessary to refer additionally to complete and master the course
 - (xv) The content shall be accessible on various devices.
 - (xvi) The e-Learning Material shall satisfy the needs of learners with disabilities.

Annexure IX

Guidelines on Programme Project Report (PPR)

Overview

A Programme Project Report (PPR) of a Higher Educational Institution is a document prepared to introduce a new programme, which includes details of - (a) programme objectives and outcomes; (b) nature of target group of learners; (c) appropriateness of the programme with quality assurance for acquiring specific skills; (d) programme content designing and developing; (e) cost estimates for development of the programme; and (f) admission, delivery and evaluation norms. The Programme Project Report is a self-disclosure by the Institution about launching the programme in the Open and Distance Learning mode. The Institution has to define specific aims and objectives for each of the academic programmes which will give the direction to launch a programme and will allow to focus on results. At the end, these aims and objectives will help to demonstrate what has been achieved. The programme shall be planned with clear deliverables and knowledge experiences to be gained.

Need to Prepare Programme Project Report (PPR)

- 2. A Programme Project Report is required to be prepared before introducing any new programme duly approved by its highest academic authority. The main contents of the Programme Project Report are as follow:-
 - (a) **Programme's mission & objectives:** The Higher Educational Institution (HEI) shall define the mission statement and objectives for the programme to be launched, which shall reflect the strategic direction and the academic goals of the Higher Educational Institution. Those shall be aligned with industrial or learners' demand, and shall be defined in such a manner that they are appropriate to be achieved.
 - (b) Relevance of the program with HEI's Mission and Goals: The Higher Educational Institution shall plan for such a programme to be offered through the Open and Distance Learning mode that is relevant to the Higher Educational Institution's mission and goals. Therefore, it is very much important that the programme to be offered through Open and Distance Learning should be aligned with Higher Educational Institution's mission and goal and will prove as major contributing factor in its achievement.
 - (c) **Nature of prospective target group of learners**: The Higher Educational Institution shall identify the target group of learners. It is required to understand their learning needs and on its basis the curriculum should be aimed. The Higher Educational Institution should also consider diverse class of learners including a class having of low level of disposable income, rural dwellers, women, unskilled men, minorities etc.
 - (d) Appropriateness of programme to be conducted in Open and Distance Learning mode to acquire specific skills and competence: The Higher Educational Institution shall clearly identify the learning outcomes for the programme which shall cover the specific skills and competence to be acquired by the learner. The programme should be aimed appropriately to those learning outcomes. The learning outcomes shall include the development of knowledge and understanding appropriate to the area of study and these should also reflect academic, professional and occupational standards of that field. The learning outcomes should incorporate generic transferable skills and competencies.
 - (e) **Instructional Design :** Instructional Design includes Curriculum design, detailed syllabi, duration of the programme, faculty and support staff requirement, instructional delivery mechanisms, identification of media print, audio or video, online, computer aided, and student support service systems. The Higher Educational Institution shall define the instructional design for each of the academic programmes to be offered through the Open and Distance Learning mode and shall map the credit hours for each course or module of the programme.
 - (f) **Procedure for admissions, curriculum transaction and evaluation:** The Higher Educational Institution shall define the admission policy for the programme with minimum eligibility and fee structure. The information related to financial assistance, if any, should be included in the policy. The Higher Educational Institution shall notify the policy of programme delivery alongwith the details of methods and web-based tools to be adopted. The Higher Educational Institution shall notify the activity planner including all the academic activities to be carried out by the Higher Educational Institution during the academic session. Further, the Higher Educational Institution shall also notify policy for evaluation of learner progress along with methods and tools.
 - (g) **Requirement of the laboratory support and Library Resources:** There may be programmes having practical component in syllabus. The Higher Educational Institution shall give clear guidelines about the laboratory support to the learners to perform the practicals prescribed in the programme. There shall be provision of a practicals book for the learners. In case of online learning, the practical should be conducted and performed by applying virtual reality methods.

- (h) **Cost estimate of the programme and the provisions:** The cost estimate should indicate the amount assigned for programme development, delivery and maintenance.
- (i) **Quality assurance mechanism and expected programme outcomes:** The Higher Educational Institution shall define the review mechanism for programme and continuously enhance the standards of curriculum, instructional design relevant to professional requirements of the area of study. There should be course benchmark statements. The Higher Educational Institution shall also devise the mechanism for monitoring effectiveness of the programme.

Annexure X

Learner Support Centre

1. General: Open and Distance Learning (ODL) mode of Education consists of three levels of functioning which are located at the Head-Quarters (HQ) of the Higher Educational Institutions, Regional Centres and Study Centres (SCs) or Learner Support Centres (LSCs) established within the territorial jurisdiction of the Higher Educational Institution as defined in the following Part. Planning, Designing and Preparation of Self Learning Material (SLM) for a learner who does not have any regular access to teachers is quite different than a Text Book meant for classroom teaching, overall management of the processes of Admissions, Evaluation, and Declaration of Results etc. are the main responsibilities of the Head-Quarters of the Higher Educational Institution and are discharged from the main campus. Under the direct management and control of the Higher Educational Institution, Regional Centres which are the second level of functioning, perform a dynamic operational link between the Head-Quarter and the Study Centres (SCs) or Learner Support Centres (LSCs) which are the third level of Open and Distance Learning system and are important main contact points for access by the learners, responsive and facilitating information centres, arranging contact sessions and other operations like processing of assignments etc. The Study Centres (SCs) or Learner Support Centres (LSCs) will also be established and managed directly by the Higher Educational Institution and not through any franchise or outsourced arrangement.

2. Definition and Establishment of Learner Support Centre or Study Centre

'Study Centre (SC) or Learner Support Centre (LSC)' means a Centre established, maintained or recognised by the Higher Education Institution for advising, counseling, vocational guidance, hands on experience, library services and providing interface between the teachers and the learners, rendering academic and any other related services and assistance, like field experience, laboratory for experimental work, Information Communication Technology facilities for operations and interaction with the learners etc. for the benefit of the learners:

Provided that a Higher Educational Institution offering programmes in Open and Distance Learning mode shall, within six months from the date of notification of these Regulations, ensure that all Study Centre or Learner Support Centre are established only in a College or Institute affiliated to a recognised university (other than a Private University) or a Government recognized Higher Educational Institution offering conventional mode programmes of equivalent level in the same broad areas under the relevant faculty such as faculty of sciences or social science or humanities or commerce or management etc. and having all the necessary infrastructure and availability of appropriate number of qualified faculty not below the rank of qualified Assistant Professors of recognised Colleges or Institutes offering a similar programme for engaging theory contact sessions and supervising practical sessions in laboratory or field:

Provided that a Higher Educational Institution may establish a Special Learner Support Centre for imparting instruction to persons referred to in the Persons with Disabilities (Equal Opportunities, Protection of Rights and Full Participation) Act, 1995, the National Trust for Welfare of Persons with Autism, Cerebral Palsy, Mental Retardation and Multiple Disability Act, 1999 including the employees of Defence or Security Forces and jail inmates interested to study through the Open and Distance Learning mode. However, in case of programmes like those being developed by the Government for Skill Development or Lifelong Learning, the Study Centre or Learner Support Centre could be opened in Government institutions having capabilities for learner support services in the respective areas.

Any Study Centre or Learner Support Centre shall be established by the Higher Educational Institution after processing through the appropriate statutory bodies of the Higher Educational Institution. While processing such approvals it is mandatory to provide evidence of the preparedness for establishing Study Centres/Learner Support Centres, providing learner support services, availability of the academic, other staff and qualified academic counsellors.

The Higher Educational Institution shall have a Standard Operating Procedure for the smooth functioning of the Study Centre or Learner Support Centre which will include all aspects of functions of the Study Centre or Learner Support Centre,

monitoring mechanism of different services provided by the Centre, and it shall be mandatory for the Study Centre or Learner Support Centre to maintain the learner data related to conduct of counselling sessions, evaluation of assignments and effective and online grievance redressal system, which should be monitored at the level of regional centre and Head-Quarters.

List of the Study Centre or Learner Support Centre as approved by the respective Higher Educational Institution shall be submitted to the University Grants Commission at least 60 days in advance before operationalising the Study Centres or Learner Support Centres with details such as: Name with address of the institution where the centre is located, name of the coordinator with contact details, working hours and schedules for counselling sessions, infrastructure and other facilities available in the Study Centre or Learner Support Centre shall be displayed on the web portal of the Open and Distance Learning institution and the same information shall be made available in the printed prospectus for the information of the learners and other stakeholders.

In addition, a Higher Educational Institution should submit an undertaking to the Commission effect that the academic and instructional facilities at its Study Centres or Learner Support Centres meet all the conditions of these regulations and guidelines issued from time to time, and are commensurate with the number of academic programmes and learners' strength thereto:-

Provided that the Higher Educational Institution shall not carry out any of its activities related to the Open and Distance Learning mode at places other than Study Centres or Learner Support Centres under a different name such as Information Centre, Facilitation Centre, Nodal Centre, Knowledge Partner, Partner Institution, Multimedia Centres and similar such names:-

Provided further that, no Study Centre or Learner Support Centre shall be established beyond the jurisdiction of the Higher Educational Institution or under any franchisee or outsourcing agreement, as described in these regulations.

3. Territorial Jurisdiction for Establishment of Study Centres or Learner Support Centres

Territorial jurisdiction of the Higher Educational Institution for Open and Distance Learning mode programmes shall be as prescribed in the respective Acts of the Higher Educational Institution, subject to the following conditions:

- **3.1 Higher Educational Institution other than Private and Deemed to be University:** Not beyond the respective State in case of Universities set up under any State Act. For Universities set up under a Central Act the jurisdiction shall be as per the provisions of the Act.
- **3.2. Deemed to be a University**: The jurisdiction shall be as per extant provisions of the Deemed to be a University regulations and also notified by the University Grants Commission from time to time.
- **3.3. Private University**: A Private University established under a State Act shall be unitary in nature and will be eligible to run Open and Distance Learning Programmes, which have been conducted by the university in conventional mode for a minimum period of five years. The Learner Support Centres or Study Centres shall be set up, within the State, with the prior approval of the University Grants Commission and as per University Grants Commission (Establishment and Maintenance of Standards in Private Universities) Regulations, 2003. In the absence of University Grants Commission approved Learner Support Centre or Study Centre, the University shall offer distance education programmes at its main campus only.

4. Admission and Programme Fees

Admission of learners to a Higher Educational Institution for a programme in Open and Distance Learning mode shall be offered in a transparent manner with Self Learning Material designed and developed directly by the Higher Educational Institution which shall be solely responsible for all activities relating to admissions or registration or evaluation processes, duly approved by the respective statutory bodies of the Higher Educational Institutions. *In no case these activities shall be outsourced.* However, quality Self Learning Material developed by any other Higher Educational Institutions recognized by the University Grants Commission to run Open and Distance Learning programmes could be used under a mutual agreement after seeking approval of the University Grants Commission:

Provided that a Study Centre or Learner Support Centre shall not admit a learner to any programme in Open and Distance Learning mode for or on behalf of any other Higher Educational Institution.

Every Higher Educational Institution shall publicise a prospectus on the web portal of the Higher Educational Institutions, before the expiry of sixty days prior to the date of commencement of admission to any of its programmes in the Open and

Distance learning mode. Such a prospectus shall contain the following information for learners seeking admission to any programme of the institution and for the general public:-

- (i) each component of the fee and any other charges or deposits payable by the learners admitted to such Higher Educational Institutions for pursuing a programme in Open and Distance Learning mode, and clear terms and conditions of such payments to be charged by the Institute;
- (ii) the percentage of tuition fee and other charges refundable to a learner admitted in such Higher Educational Institutions in case such a learner withdraws from the institution before joining or after full completion of course or programme of study and the time within, and the manner in, which such refund shall be made to the learner;
- (iii) the number of seats approved in respect of each course or programme of Open and Distance Learning mode;
- (iv) Eligibility conditions for admission including educational qualifications specified by the relevant statutory authority or body, or by the institution, where no such qualifying standards have been specified by any statutory authority;
- (v) the process of admission and selection of eligible learners applying for such admission, including all relevant information in regard to the details of test or examination, if any, for selecting such candidates for admission to each course or programme of study and the amount of fee to be paid for the admission test;
- (vi) details of the academic faculty at the Headquarters or Regional Centres or Study Centre or Learner Support Centre, including therein the educational qualifications and experience in teaching or conduction of Open and Distance Learning programmes and also indicating therein whether such a faculty member is on regular basis or visiting or contract basis;
- (vii) the minimum pay and other emoluments payable for each category of faculty and Officers of the Institute;
- (viii) physical and academic infrastructure and other facilities, including that of each of the Study Centre or Learner Support Centre and in particular the laboratory, library and Information and Communication Technology facilities to be provided to learners on being admitted to the institution; and
- (ix) broad outline of the syllabus specified by the appropriate statutory body or by institution, as the case may be, for every course or programme of study.

5. Norms for Empanelment of Academic Counsellors and Counselling Sessions

- **5.1. Eligibility conditions for appointment of academic counselors**: No academic staff in the Study Centre or Learner Support Centre shall be appointed who does not fulfill the minimum qualifications as laid down in the University Grants Commission (Minimum Qualifications for Appointment of Teachers and other Academic Staff in the Universities and Colleges and Measures for the Maintenance of Standards in Higher Education) Regulation, 2010 as modified from time to time. In addition, such academic staff should have familiarity with the characteristics of Open and Distance Learning mode learners and their needs, difference between Open and Distance Learning and conventional face to face education, awareness about instructional design, familiarity with the learner centered approach in blended mode of learning, ability to use different delivery media including online and computer mediated communication and Information and Communication Technology enabled learning.
- **5.2. Norms for Contact Programmes**: Credit Based System has been followed by Open and Distance Learning single mode Higher Educational Institutions during the last more than two decades and it has got standardised for programme delivery especially by the Open Universities. Such credits depend on the total number of hours that a learner is required to cover for all activities like participation in Contact Programmes, Working on Assignments, Library Consultation etc., in completing a course. In this direction, University Grants Commission has recently issued guidelines for introduction of Choice Based Credit System (CBCS) which has been made mandatory for all Higher Educational Institutions delivering education through conventional mode. Accordingly, for Post Graduate programmes in Open and Distance Learning mode, 16 credits per semester are assigned for a total of four semesters. In Open and Distance Learning mode Programme delivery, the component of contact with teachers is comparatively much lower than the conventional or face to face mode which is complemented by self-learning on the part of the learner. Therefore, one credit in regular or face to face mode accounts for 15 teaching hours, whereas, in Open and Distance Learning mode it is 30 study hours of study including face to face contact component. Comparative credits assigned per semester in Choice Based Credit System for conventional mode and Open and Distance Learning mode for undergraduate programmes is given below in Table 1.

Total	VI	V	IV	III	II	I	Semester
144	25	26	26	25	22	20	Credits Conventional mode
144	23	20	20	23	22	20	Credits Conventional mode
96	16	16	16	16	16	16	Credits in Open and Distance Learning

It will be desirable to ensure uniformity in distribution of units between the two systems as far as possible.

Thus, taking into account the number of hours indicated in Choice Based Credit System for conventional mode and the percentage of hours required for face-to-face Contact Programmes for learners in Open and Distance Learning mode, the following table is provided for norms for counseling sessions in theory and practical courses with Open and Distance Learning credit value for Open and Distance Learning mode programme delivery.

Table 2: Contact Theory and Practical Sessions

Four Courses with a total of 16 Credits per semester								
Number of Assignments	10-12 credits for theory and 6-2 courses	counseling for theory only Courses:						
	contact sessions-practical**	Contact sessions- theory*	Four courses of 4 credits each					
Four per semester	60 hours of guided experiments with support of internal supervisor per 2 credits	40-48 hours	16 hours per course					

Note:

Comparative value of credits mentioned in the University Grants Commission Guidelines for Choice Based Credit System in conventional mode and that in practice in Open and Distance Learning mode Institutions, it is observed that for a total of six semester undergraduate programme each of nearly 5-6 months duration, 16 credits per semester are uniformly assigned in the Open and Distance Learning mode, whereas, in the University Grants Commission guidelines for conventional mode on an average 24 credits per semester have been assigned. Thus, the ratio of a credit in Open and Distance Learning mode to that of the conventional mode is 2:3. In line with the pattern of credits for Under Graduate programmes, for Post Graduate programmes in Open and Distance Learning mode, 16 credits per semester are assigned for a total of four semesters. The foregoing comparative value could be used to facilitate both vertical and horizontal mobility of learners from Open and Distance Learning mode to Conventional mode and vice versa through mutual transfer of credits.

6. Deployment of manpower and other support at study or Learner Support Centres

The Study Centres or Learner Support Centres shall be headed by a Coordinator, not below the rank of an Assistant Professor and shall be augmented with academic and non-academic staff depending on the number of learners assigned for adequate support to the learners. Capacity of intake per programme should be commensurate with the available qualified faculty in relevant area, well equipped laboratory, library, online connectivity and Information and Communication Technology facilities, and appropriate infrastructure. Normally it would be expected to restrict total intake capacity for Open and

^{*}Contact session up to the extent of twenty percent could be arranged by providing Massive Open Online Courses and other online programme delivery systems.

^{**} Practical sessions to the extent of twenty percent could be provided through virtual lab mode

Distance Learning programme to the capacity specified for a similar programme being conducted in the conventional mode by the Higher Educational Institution where the Study Centres or Learner Support Centres is located but in no case it should exceed two times of that.

- (i) Number of qualified counsellors per theory course of 4 credits: 2 to 4.
- (ii) Number of qualified supervisors per practical course of 2 credits: 1 or more.
- (iii) Availability of laboratory: The laboratory should be in a recognised Higher Educational Institution running a similar course in conventional mode for a period of not less than 3 years.
- (iv) Ideally, total number of learners admitted at any Study Centres or Learner Support Centres should not exceed 500 at any time, but for those located in Higher Educational Institutions providing education to more than 1500 students, the total strength of Open and Distance Learning mode learners at any time should not exceed 1000, subject to fulfilment of other conditions as described under paragraph 2.

7. Conduct of End Semester or Term End Examination

- (i) All Examinations for Open and Distance Learning mode programmes shall be conducted within the Institution where the Study Centres or Learner Support Centres is located under the direct control and responsibility of the Open and Distance Learning mode Institution. Also, all Government Institutions like Kendriya Vidyalaya(s), Navodaya Vidyalaya(s), Sainik School(s) etc. can also be identified as examination centre(s) under direct overall supervision of Open University or Higher Educational Institution offering education under the Open and Distance Learning mode.
- (ii) All processes of assessment of learners in different components of Testing and Examination shall be directly handled by the Open and Distance Learning mode Institution and no part of the assessment shall be outsourced.
- (iii) For ensuring transparency and credibility, full time faculty of the Open and Distance Learning mode Higher Educational Institutions or qualified faculty from University Grants Commission recognised Higher Educational Institutions only should be associated to function as invigilators, examination superintendents, as observers etc.
- (iv) The Examination Centre should have adequate seating capacity and amenities including adequate lighting, ventilation, washrooms and clean drinking water facilities.

8. Monitoring of functioning of the Learner Support Centres or Study Centres

Generally, the Open and Distance Learning mode Higher Educational Institutions have to manage a fairly large and well spread system with a variety of learner centric operations for a number of heterogeneous groups of learners to meet their expectations and self-learning requirements using multimode programme delivery. To effectively manage these challenges and complex operations for a learner at a distance, a very dynamic interactive communication system between Headquarters, regional centres and study centres has to be established on priority. Thus, it is desirable that an Information and Communication Technology network connecting the Head-Quarters, Regional Centres and Study Centre or Learner Support Centres should be established at the earliest and used for faster and reliable operations such as:-

- i. username and login ID should be generated for every learner so that learners can see all relevant information as their studies progress in an Open and Distance Learning programme and also provide constructive feedback for improvement in Open and Distance Learning programme delivery;
- ii. headquarters, Regional Centres and Study Centre or Learner Support Centres should maintain a web portal giving all relevant information about the Open and Distance Learning programmes being a delivered and the content of these should be updated at least on a weekly basis;
- iii. regional centres should collect a holistic report about all functions assigned to Study Centres or Learner Support Centres and all aspects of quality of programme delivery periodically especially during the Admissions, Examinations, and Counselling Sessions etc., and at least weekly share a consolidated report with the Head quarters;
- iv. these reports along with responses by learners should be periodically analysed for the quality audit of a programme and its delivery besides the quality of performance of the Study Centres or Learner Support Centres;
- v. any remedial action should be jointly ensured by the headquarters, Regional Centres and Study Centres or Learner Support Centres promptly;
- vi. regular visits, at least twice a year by the academic staff of the Higher Educational Institution for on the spot monitoring and interaction with functionaries of the Regional Centres and Study Centres or Learner Support Centres, the learners and the counselors; and
- vii. ensuring access of "Swayam" and other repositories of Massive Open Online Courses by the learners at Study Centres or Learner Support Centres.

Closure of Non-performing Study Centre or Learner Support Centre:

In case a Study Centre or Learner Support Centre fails to adhere to the prescribed norms or guidelines, the Higher Educational Institution shall initiate action for closure of the centre by following due procedures, so that interest of learners are taken care by some alternative arrangement.

Annexure XI

GRIEVANCE REDRESSAL MECHANISM

Scope of Grievance Redressal System for Learner

The Higher Educational Institutions, offering programmes through the Open and Distance Learning mode, shall have a Grievance Redressal System and Procedure which shall be published on the portal of Higher Educational Institution and it shall be the responsibility of the concerned Higher Educational Institution to update the same as and when required. Each of the Higher Educational Institutions shall provide an online facility for submitting grievances and track their status. The Higher Educational Institution shall also be responsible for monitoring, assessing and reviewing the effectiveness of its Grievance Redressal Procedures.

Guidelines and Standards for the Grievance Redressal System

The Higher Educational Institution shall have the policy on Grievance Redressal System based on following guidelines and standards, namely:—

- (a) the policy should be unbiased and understandable;
- (b) there should be time line for each stage of the process;
- (c) the policy should be published on Higher Educational Institutions portal so that the learners may read and refer to;
- (d) the policy should be made available to learners with disability in appropriate format and the provision should be made accordingly in the policy document;
- (e) the authority or authorities involved in the grievance redressal process should treat and investigate facts impartially;
- (f) the Higher Educational Institutions should address the grievances in a timely manner so as to lessen interruption in learning process of the learner. The Higher Educational Institution should have the proper communication and escalation mechanism which can be operated and maintained through the online software application;
- (g) the Higher Educational Institution should maintain the confidentiality of the complainant as far as possible;
- (h) the Higher Educational Institution should ensure that officer(s) deputed for the learner support at the Higher Educational Institution, the Regional Centres and Learner Support Centre(s) are able to provide guidance on submitting grievances in the portal;
- (i) There should be a provision to withdraw a complaint without prejudice at any time during the procedure; and
- (j) The learner should be kept informed of the status in relation to his queries or grievance on priority.

Rights and responsibilities of a learner

- (a) The learner has right to complain regarding any aspect related to his or her learning path including programme quality, learning resources, learner support and guidance, teaching, learning and assessment.
- (b) The learner is entitled to approach the respective Learner Support Centres (in case of offline or blended learning) for submitting his or her complaint. The learners of online mode may submit their complaint directly to the Higher Educational Institution. The complaint can be submitted individually or collectively by a group of learners.
- (c) The learner should submit a formal complaint in a manner prescribed by the Higher Educational Institution regarding expression of dissatisfaction with a service provided or the lack of a service or the quality of a service. Such expression should be correlated with what the learners were entitled to receive.

Responsibility of the Higher Educational Institution

- (i) The Higher Educational Institution shall work with the principles of openness and collaboration.
- (ii) The Higher Educational Institution shall continuously improve the services it offers. As and when a grievance is received, the Higher Educational Institution shall investigate it thoroughly and make the necessary improvement(s) in its services.
- (iii) The Higher Educational Institution shall encourage Learner Support Centres to make initial attempts to address and resolve complaints as close as possible to the point of origin, and with the minimum of formality.

- (iv) The Higher Educational Institution shall also monitor the Grievance Redressal process through its Learner Support Centres.
- (v) The Higher Educational Institution is responsible for privacy and confidentiality unless disclosure is necessary to proceed in the matter.
- (vi) The grievance should be accompanied with the reasons for dissatisfaction and expected remedy. The learner should also give the reference of Online Grievance Registration Number generated at the time of submitting the complaint at the Learner Support Centre.
- (Vii) The Head of concerned school of the Higher Educational Institution shall investigate the complaint(s) or refer the matter(s) to a more appropriate person, body or committee or departments, as appropriate.
- (Viii) It shall be the responsibility of the Head of school of the Higher Educational Institution to monitor the progress and to timely resolve the matter.
- (ix) The Head of concerned school of the Higher Educational Institution will respond in writing (letters or email etc.) through offline or online mode giving reasons for a decision and action taken thereto.

RAKESH SUKUL Digitally signed by RAKESH SUKUL Date: 2017.06.24 17:34:48 +05'30'